Ministry of Environment,
Forest and Climate Change

सत्यमेव जयते
Government of India

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)

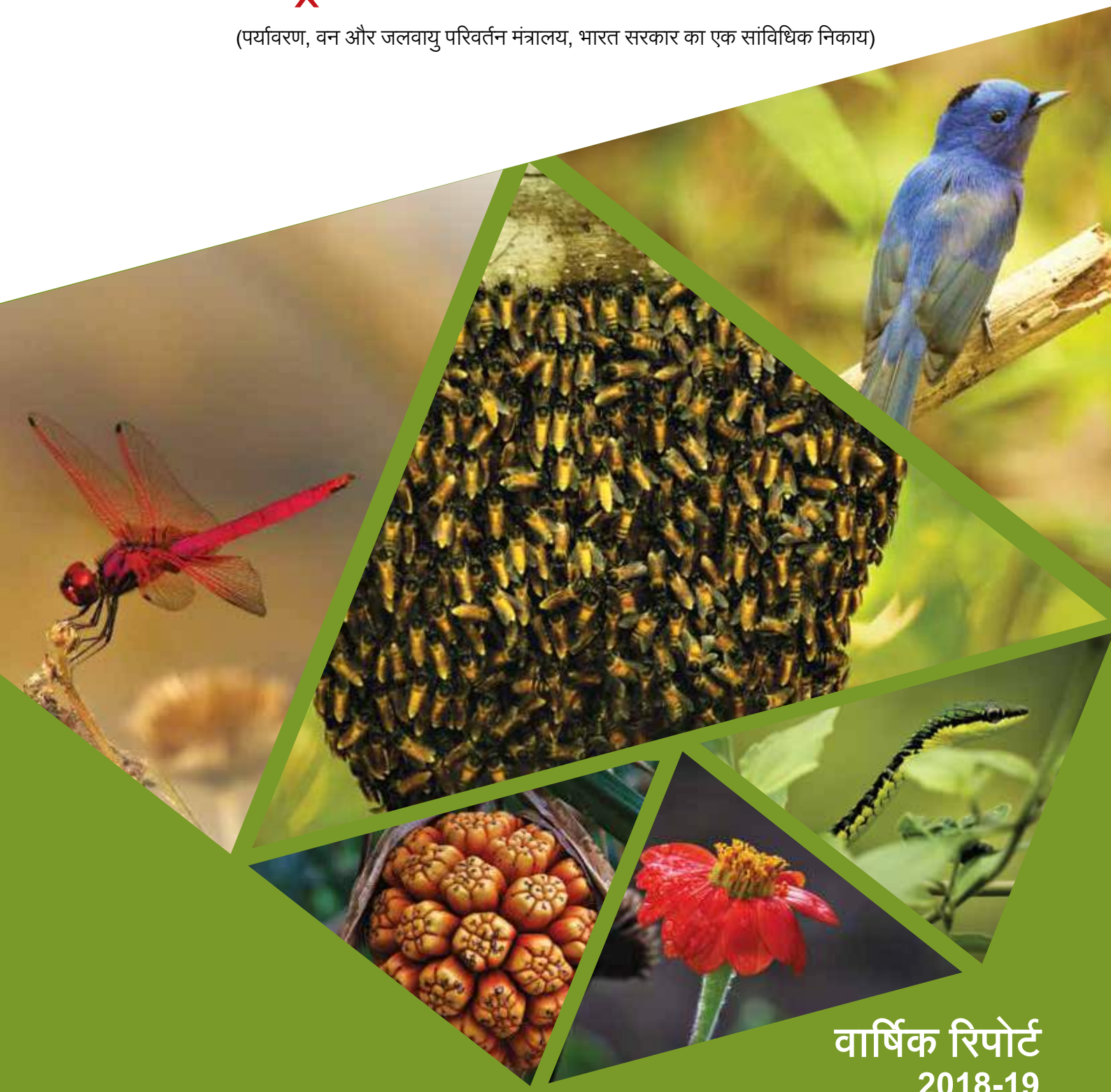

वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

This Publication is available im electronic form at: www.nbaindia.org

Published by:

National Biodiversity Authority

5th Floor, TICEL Bio Park,
CSIR Road, Taramani, Chennai - 600 113
Tel: +91-44-2254 1805 I Fax: +91-44-2254 1073
e-mail: chairman@nba.nic.in

Disclaimer & Copy right

Copyright© National Biodiversity Authority

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted by any means, without prior written permission from the publisher. Any person involved in any unauthorised act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damage.

Published by NBA, 2020

Ministry of Environment,
Forest and Climate Change

सत्यमेव जयते
Government of India

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)

वार्षिक रिपोर्ट

2018-19

मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
और
श्रम एवं रोज़गार
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

MINISTER
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
AND
LABOUR AND EMPLOYMENT
GOVERNMENT OF INDIA

भूपेन्द्र यादव
BHUPENDER YADAV

lns'k

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है, जो तीन स्तरीय संस्थागत संरचना अर्थात एनबीए के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) के माध्यम से राज्य स्तर पर और स्थानीय निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों(बीएमसी) के माध्यम से जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था।

वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट विभिन्न स्तरों पर अधिनियम, नियमों और विनियमों के सफल कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति और उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2018 के अंत तक देश भर में कुल 1,44,371 बीएमसी का गठन किया गया है और 6,834 पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) तैयार किए गए हैं। 26 राज्यों में राज्य–विशिष्ट नियमों की घोषणा और मेघालय, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जैव विविधता विरासत स्थलों की घोषणा कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि, समीक्षाधीन अवधि 2018–19 के दौरान, प्राधिकरण ने सात बार बैठक की और विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से विचार–विमर्श किया और उचित कार्रवाई की। एनबीए की एक प्रमुख ताकत अपने कार्यों के निर्वहन में विशेषज्ञ सलाह लेने के लिए विभिन्न विशेषज्ञ समितियों का गठन है।

मैं इस वार्षिक रिपोर्ट को संकलित करने और प्रकाशित करने में एनबीए के प्रयासों की सराहना करता हूं।

दिनांकः 10.02.2022

¼Hkwis Uæ ;kno½

पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003, फोनः 011–24695136, 24695132, फैक्सः 011–24695329
Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003 Tel.: 011-24695136, 24695132, Fax: 011-24695329
ई–मेल/E-mail: mefcc@gov.in

अश्विनी कुमार चौबे
Ashwini Kumar Choubey

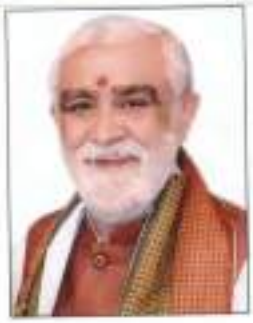

राज्य मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
भारत सरकार
MINISTER OF STATE
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
GOVERNMENT OF INDIA

lans'k

मुझे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है जिसे जैविक विविधता अधिनियम की धारा 28 के अनुसार संकलित किया गया है। रिपोर्ट में अधिनियम, नियमों और विनियमों के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की दिशा में एनबीए, राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) की गतिविधियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है।

वर्ष के दौरान 29 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में एसबीबी की 13वीं राष्ट्रीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जैविक विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 22 राज्य जैव विविधता बोर्डों के प्रतिनिधियों को शामिल करना वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण घटना थी। इस वर्ष में एनबीए और एसबीबी गतिविधियों की एक उल्लेखनीय विशेषता में हितधारकों के परामर्श से उनके द्वारा किए गए जैव विविधता से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों, प्रकाशनों, प्रलेखन की संख्या शामिल है।

मुझे यह नोट करते हुए विशेष रूप से प्रसन्नता हो रही है कि एनबीए और एसबीबी एक साथ मिलकर जैविक विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस–2018 के हिस्से के रूप में जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लागू होने के 25 साल को उपयुक्त तरीके से मनाने के लिए शामिल हुए हैं।

मैं एसबीबी द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्यों की सराहना करता हूं और जमीनी स्तर पर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। मैं जैविक विविधता अधिनियम, 2002 को अक्षरशः लागू करने की कार्यसूची को आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों के लिए एनबीए के कर्मचारियों की सराहना करता हूं।

¼vfÜouh dqekj pkScs½

कार्यालय: 5वां तल, आकाश विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003, दूरभाष: 011-20819418, 011-20819421, फैक्स: 011-20819207, ई-मेल : mos.akc@gov.in
Office : 5th Floor, Aakash Wing, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-20819418, 011-20819421, Fax : 011-20819207, E-mail : mos.akc@gov.in
कार्यालय: कमरा नं.173, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001, दूरभाष: 011-23380630; फैक्स: 011-23380632
Office : Room No. 173, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel. : 011-23380630, Fax : 011-23380632
निवास: 30, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली–110003, दूरभाष: 011-23794971, 23017049
Residence : 30, Dr. APJ Kalam Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-23794971, 23017049

प्रस्तावना

सत्यमेव जयते
Government of India

भारत ने तीन स्तरीय जैव विविधता शासन प्रक्रिया की स्थापना की है जिसमें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। रिपोर्टिंग अवधि 2018-19 के दौरान एनबीए ने जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए कई गतिविधियां चलाई। एनबीए ने और विशेष रूप से विशेषज्ञ समिति द्वारा गठित सभी समितियों ने एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग (एबीएस) में एबीएस एप्लिकेशन प्रोसेस को निर्देशित किया गया है जिसके फ़लस्वरूप लाभ के बंटवारे, अग्रिम भुगतान, खाते में जमा और रायल्टी के रूप में रू. 18.38 करोड़ की राशि प्रोद्भूत हुई. 2018-19 के दौरान, एनबीए ने अनुपालन के 741 अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया।

एनबीए ने राज्य जैव विविधता बोर्डों की 13 वीं राष्ट्रीय बैठक आयोजित की थी, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने किया। अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस (आईडीबी) का आयोजन किया गया जिसमें तेलंगाना के महामहिम राज्यपाल श्री ई.एस.एल. नरसिंहम मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिये। आईडीबी 2018 के लिए विषय-वस्तु का नाम था- जैव विविधता पर 25 वर्षों के कार्यों का आयोजन/जश्न। इस अवसर पर, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले व्यक्तियों और समुदायों के प्रयासों को पहचानने के लिए 14 विशेष उल्लेखों के साथ, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2018 चार अलग-अलग श्रेणियों में 9 पुरस्कार विजेताओं को दिये गये।

मैं एनबीए की अत्यंत प्रशंसा और कृतज्ञता को बहुत बड़े स्तर पर दर्ज करना चाहता हूं जिसमें हितधारकों और विशेष रूप से एमओईएफ़सीसी के अनेकों वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग शामिल है, जिनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए विभिन्न समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों ने जिन्होंने एनबीए को अपने जनादेश और नियत कार्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। मैं एनबीए के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एनबीए को आगे ले जाने के लिये किये गये व्यापक प्रयासों के संबंध में उनकी सराहना भी दर्ज करना चाहूंगा।

मैं वर्ष 2018-19 की अवधि के लिये लेखा लिखित परीक्षा के साथ एनबीए की वार्षिक रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं।

(डॉ. वि.बि. माथुर)

अध्यक्ष, एनबीए

अभिस्वीकृति

सत्यमेव जयते
Government of India

जे. जस्टिन मोहन, आईएफ़एस

सचिव,

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

वर्ष 2018-19 की राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार संकलित किया गया है। रिपोर्ट में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिये एनबीए की विभिन्न गतिविधियों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारें में प्रकाश डाला गया है. राज्य जैव विविधता बोर्डों द्वारा की गई गतिविधियों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

मैं अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए बहुमूल्य सुझावों को स्वीकार करता हूं। वे इस रिपोर्ट को तैयार करने के कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरणा और समर्थन के एक निरंतर स्रोत रहे है।

मैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की गतिविधियों के संबंध में निरंतर समर्थन के लिए सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं एनबीए को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने और विभिन्न परियोजना आधारित गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए मार्गदर्शन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव को भी धन्यवाद देता हूं। मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव को धन्यवाद देता हूं, जो एनबीए सचिवालय की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में बहुमूल्य सहायता और सलाह प्रदान करते रहे हैं।

मैं इस वार्षिक रिपोर्ट को संकलित करने में राज्य जैव विविधता बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों की प्रशंसनीय भूमिका को आभार के साथ स्वीकार करता हूं। मैं एनबीए का विस्तृत ऑडिट करने और ऑडिट सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए प्रधान लेखा निदेशक (वैज्ञानिक ऑडिट) को भी धन्यवाद देता हूं।

मैं एनबीए सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक रिपोर्ट को संकलित और तैयार करने के प्रयासों के लिये उनकी सराहना करता हूं।

जे. जस्टिन मोहन

सचिव, एनबीए

अंतर्वस्तु

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
	कार्यकारी सारांश	9
1	प्रस्तावना	11
2	प्राधिकरण का गठन और कार्य, संबंधित सांविधिक निकाय	13
3	प्राधिकरण की बैठकें.	15
4	प्राधिकरण द्वारा गठित समितियां और उनकी गतिविधियां	19
5	जैविक संसाधनों तक पहुंच और उचित तथा समान लाभ साझा करने के लिए गतिविधियों को विनियमित करना	21
6	जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 3, 4, और 6 में उल्लिखित गतिविधियों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।	23
7	आनुवांशिक संसाधनों और संबंधित ज्ञान से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में किये गये उपाय	25
8	जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृति	27
9	बौद्धिक संपदा अधिकार और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 से संबंधित जागरूकता; और सार्वजनिक भागीदारी	29
10	जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37, 38 और 64 के तहत विनियम जारी किए गए	33
11	वित्त एवं लेखा	35
12	वार्षिक योजना 2019-20	39
13	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण –जीईएफ़ की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां	41

अनुलग्नक

1.	प्राधिकरण के सदस्य	63
2.	संगठन चार्ट	65
3.	भर्ती सहित कर्मचारियों की संख्या	66
4.	प्रकाशन	67
5.	आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/ सम्मेलन/ बैठकें/ कार्यशालाएं जिसमें भाग लिया	68
6.	अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित बैठकों मेंएनबी एअधिकारियों की भागेदारी	69
7.	सिटिजन चार्टर	70
8.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	72

जैविक संसाधनों का वैश्विक स्तर पर ह्रास हो रहा है और प्राकृतिक आवास आबादी के तेजी से विकास, तेजी से आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण के कारण विखंडित हो रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अत्यधिक दबाव पैदा होता है। जैव विविधता का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव कल्याण के लिए आवश्यक संसाधन और सेवाएं प्रदान करता है। यह इन देशों में प्रमुख नीति और कार्यक्रम फोकस के माध्यम से जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका के संरक्षण और समर्थन के लिए सभी देशों से तत्काल ध्यान और कार्रवाई का आह्वान करता है। रियो डी जनेरियो में 1992 के पृथ्वी सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरण, 'कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी' (सीबीडी) को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान पर्यावरण और विकास (यूएनसीईडी) के संरक्षण, सतत उपयोग,जैविक विविधता के लाभों के साझाकरण को निष्पक्ष और न्यायसंगत बनाने के लिए प्रेरित किया। नतीजतन, भारत ने 2002 में जैविक विविधता अधिनियम (बीडी) अधिनियम लागू किया और 2004 में जैविक विविधता नियमों को अधिसूचित किया। बीडी अधिनियम 2002, जिसके द्वारा सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) के कार्यान्वयन के लिए एक त्रिस्तरीय संस्थागत संरचना का गठन किया गया था। भारत के 2003 में अधिनियम की धारा 8 के तहत, शीर्ष स्थान पर है, चेन्नई में मुख्यालय और बीडी अधिनियम को राष्ट्रीय स्तर पर पहली श्रेणी के रूप में लागू करता है। दूसरी और तीसरी श्रेणी राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन करती है।

एनबीए जैविक संसाधनों की पहुंच के लिए गतिविधियों और दिशानिर्देशों को नियंत्रित करता है और जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के समान साझाकरण से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है।

एनबीए, भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में एक समर्पित और लक्ष्य उन्मुख योजना का पालन कर रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान प्रगति और उपलब्धियों का मुख्य विवरण यहाँ दिया गया है और वार्षिक रिपोर्ट में विस्तृत रूप से दिया गया है।

2018-19 की अवधि के दौरान, प्राधिकरण ने सात बार बैठकें की और विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 12 और बीडी नियमों के नियम 10 के अनुसार उचित कार्रवाई के लिए एनबीए सचिवालय को निर्देश दिया।

एनबीए ने तीन विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जैसे पहुंच और लाभ साझाकरण पर विशेषज्ञ समिति; विशेषज्ञ समूह अधिनियम की धारा 39 के तहत रिपॉजिटरी की पहचान के लिए पात्रता शर्तों / मापदंडों के लिए एक दिशानिर्देश विकसित करने के लिए समिति और जैव विविधता अधिनियम और नियमों में मुद्दों की पहचान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति, जिसमें बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, और उसमें संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं।

एबीएसपर चुनाव आयोग ने सात बार बैठकें की और एमओईएफ़सीसी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत आने वाले आवेदनों सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण और अनुमोदन के लिए उपयुक्त सिफारिशें दीं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 931 आवेदन अनुसंधान / वाणिज्यिक उपयोग, अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा अधिकारों और तीसरे पक्ष के हस्तांतरण के लिए जैविक संसाधनों की पहुंच के संबंध में प्राप्त हुए थे। इस अवधि के दौरान कुल 266 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। एनबीए को लाभ के बंटवारे के रूप में 18.38 करोड़ रुपये की राशि प्राप्ति हुईजिसमें अपफ्रंट पेमेंट, रॉयल्टी आदि शामिल हैं। भारत नागोया प्रोटोकॉल की एक पार्टी है, एनबीए ने एबीएस सीएच (एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग हाउस) में मंजूर किए गए 750 स्वीकृतियों को अपलोड किया है और 2018-19 के दौरान अनुपालन के 741% मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट जनरेट किए हैं।

बीडी अधिनियम 2002 का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) की स्थापना और स्थानीय स्तर पर राज्यों द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन करके शुरू किया गया था। 29 एसबीबी में से अब तक 26 एसबीबी ने अपने राज्य नियमों को अधिसूचित किया है। 2018-2019 के अंत तक, देश भर में 144371 बीएमसी गठित किए गए हैं और 6,834 पीबीआर तैयार किए गए हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मेघालय, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 7 के प्रावधानों के तहत तीन जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस) घोषित किए। एनबीए ने ग्रांट द्वारा

लगभग सभी एसबीबी को इन-सोर्सिंग, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की दिशा में जैसे आउटसोर्सिंग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के घटक, पीयर टू पीयर लर्निंग एक्सचेंज विजिट, प्रिंटिंग और ज्ञान सामग्री के प्रसार, थिमेटिक एक्सपर्ट कमेटी के गठन और 2018-19 के दौरान संबंधित राज्यों के लिए वेबसाइट रखरखाव हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है।समीक्षा की अवधि के दौरान, एसबीबी की क्षेत्रीय बैठकें राज्य और स्थानीय निकाय स्तर पर सामना की जाने वाली समस्याओं और चुनौतियों पर बातचीत और समझने के लिए बुलाई गई थीं।

देश में विभिन्न राज्यों में जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) की 13 वीं राष्ट्रीय बैठक 29 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। एसबीबीकी राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, माननीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा किया गया, जो इस अवसर के मुख्य अतिथि थे। श्री सिद्धांत दास, आईएफ़एस, महानिदेधेक वन, , डा. ए.के. मेहता, अतिरिक्त सचिव, एमओएफ़सीसी, डा. सुजाता अरोरा, सलाहकार, एमओईएफ़सीसी, डा. कुलदीप सिंह, निदेशक, एनबीपीजीआर, श्री यशवीर सिंह, आर्थिक सलाहकार, एमओईएफ़सीसी तथा श्रीमती अमरजीत आहुजा, आईएएस (रिटायर्ड) इस बैठक में भाग लेने वाले अन्य गणमान्य व्यक्ति थे. 22 एसबीवी के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिवों सहित लगभग 80 प्रतिनिधियों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, प्राधिकरण के सदस्य, एमओईएफ़एफ़सीसी के अधिकारी, विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से विशेष आमंत्रित और प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने एसबीबी की इस वार्षिक बैठक में भाग लिया. बैठक में जैव विविधता के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई जिसमें विशेष रूप से जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थापना और माननीय हरित क्रांति न्यायाधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा हाल ही में पारित आदेश के अंतर्गत जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करना शामिल है.

एनबीए ने प्रस्ताओं, छान्बीन समिति (पीएसी) की सिफ़ारिश के अंतर्गत विश्वविद्यालयों/कालेजों, शैक्षिक संस्थानों द्वारा किये गये जैव विविधता से संबंधित गतिविधियो, जागरूकता कार्यक्रमों, प्रकाशनो<, प्रेलेखों का भी समर्थन किया है.

आईडीबी समारोह का उद्घाटन श्री एम. वेंकैया नायडू, भारत के माननीय उपराष्ट्रपतिद्वारा 22 मई 2019 को किया गया था। आईडीबी-2019 का राष्ट्रीय स्तर का यह उत्सव भारत सरकार और एनबीए द्वारा संयुक्त रूप से 22 मई, 2019 को तमिलनाडु के कलैवनार आरंगम, चेन्नई में तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। आईडीबी2019 का विषय था “हमारी जैव विविधता, हमारा भोजन, हमारा स्वास्थ्य। समारोह में भाग लेने वाले अन्य गणमान्य व्यक्ति थे- श्री ए.के. जैन, आईएएस, अध्यक्ष, एनबीए और अतिरिक्त सचिव, एमओईएफ और सीसी,श्री हंस राज वर्मा, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तमिलनाडुसरकार,श्री केशंभू कलोलिकर, आईएएस, प्रमुख सचिव, तमिलनाडु सरकार और डॉ पूर्वजा रामचंद्रन, सचिव, एनबीए. जैव विविधता / पर्यावरण के क्षेत्र में कई प्रसिद्ध व्यक्तित्व, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी (पर्यावरण, वन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, तटरक्षक, राज्य जैव विविधता बोर्ड, प्राधिकरण के सदस्य, वैज्ञानिक और शोधकर्ता, सदस्य), बीएमसी के सदस्यों ने भी इस अवसर भाग लिया। लगभग 1200 प्रतिभागियों में स्कूली छात्र, महिला स्व-सहायता समूह, इको-क्लब, गैर सरकारी संगठन आदि शामिल थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसे एक शानदार सफलता बनाया। एनबीएद्वारा मनाये गये गए अन्य महत्वपूर्ण दिन थे -अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एनबीए के 15 का स्थापना दिवस, हिंदी दिवस, चौथाभारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव -2017, आदि। इस अवधि के दौरान, एनबीए ने विभिन्न हितधारकों जैसे शोधकर्ताओं के लिए आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों,छात्रों, वैज्ञानिकों और जनता को जैव विविधता के संरक्षण और संरक्षण के महत्व के बारे में कार्यक्रमों को आयोजित किया/में भाग लियाऔर जैव विविधता संरक्षकों को पुरस्कृत किया गया।

वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट में 2018-19 का वार्षिक लेखा और वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक योजना भी शामिल हैं।

जैव विविधता सभी जीवों के बीच विविधता और परिवर्तनशीलता है और प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र के बीच और भीतर विविधता शामिल है। यह पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों की नींव बनाता है जो मानव जाति के कल्याण में योगदान करती हैं। भारत 17 मेगा जैव विविधता वाले देशों में से एक है और दुनिया की दर्ज प्रजातियों का 7-8% लंगर है। भारत इस तथ्य से भी समृद्ध है कि इस तथ्य से उदाहरण के लिए कि लगभग 62 प्रतिशत उभयचर प्रजातियां भारत में स्थानिक हैं, उनमें से अधिकांश पश्चिमी घाटों में पाई जाती हैं। विश्व स्तर पर, भारत में फसल पौधों की उत्पत्ति और विविधता के लिए आठवां स्थान है क्योंकि इसमें 300 से अधिक जंगली पूर्वजों और खेती के पौधों के करीबी रिश्तेदार स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं।

भारत में लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जैविक संसाधन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मानव आबादी का एक बड़ा प्रतिशत अभी भी आर्थिक जीविका के लिए और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए स्थानीय वनस्पतियों और जीवों पर निर्भर है। हालांकि, भारत की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, तेजी से आर्थिक विकास और औद्योगीकरण के कारण जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर भारी दबाव परिणामस्वरूप, प्राकृतिक आवासों का विनाश और विखंडन होता है, जो पारिस्थितिकी और इसके निवासियों को बदल देता है और लाखों लोगों की आजीविका को भी प्रभावित करता है।

मेगा जैव विविधता का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक संसाधन और सेवाएं प्रदान करता है। यह स्थानीय लोगों की आजीविका और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने में भी मदद करता है और इस तरह सतत विकास में योगदान देता है। उदाहरण के लिए, भारत की विशाल तटरेखा भी एक विशाल मानव आबादी का समर्थन करती है, जो समृद्ध तटीय और समुद्री संसाधनों पर निर्भर है। यह अनुमान है कि लगभग 250 मिलियन लोग भारत के समुद्र तट से 50 किमी की दूरी पर रहते हैं।

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जैविक विविधता के इस अभूतपूर्व नुकसान को कई सम्मेलनों और सम्मेलनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैविक संसाधनों की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए उजागर किया गया है। इसने 1992 में एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरण को अपनाया, जिसका अर्थ है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED) के दौरान जैव विविधता (सीबीडी) पर कन्वेंशन, रियो डी जनेरियो में संरक्षण, स्थायी उपयोग और निष्पक्ष और न्यायसंगत के लिए आयोजित किया गया। जैविक विविधता के लाभों का साझाकरण। नतीजतन, भारत ने 2002 में जैविक विविधता अधिनियम (बीडी) अधिनियम को लागू किया और 2004 में जैविक विविधता नियमों को अधिसूचित किया। बीडी अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन के लिए एक त्रिस्तरीय संस्थागत संरचना बनाई गई है, जिसके तहत केंद्रीय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) है। भारत सरकार ने 2003 में अधिनियम की धारा 8 के तहत शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया, चेन्नई में मुख्यालय बीडी अधिनियम को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करता है। 29 राज्यों में स्थापित राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी), राज्य स्तर पर संचालित होता है और जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) अधिनियम की धारा 41 के अनुसार स्थानीय निकाय में बनाई जाती है और क्रमशः दूसरी और तीसरी श्रेणी का गठन करती है। एनबीए भारत सरकार को जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग और न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मुद्दों पर सलाह देता है। यह जैविक संसाधनों की पहुंच के लिए गतिविधियों को जारी करता है और दिशानिर्देश जारी करता है। इसी तरह, एसबीबी जैव विविधता से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकारों को सलाह देते हैं। बीएमसी जैविक विविधता के संरक्षण, स्थायी उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें निवासों के संरक्षण, भूमि दौड़, लोक किस्मों और खेती के संरक्षण, घरेलू स्टॉक और जानवरों और सूक्ष्मजीवों की नस्लों के अलावा जैविक विविधता से संबंधित ज्ञान का क्रंदन भी शामिल है।

प्राधिकरण के संविधान और कार्य, संबंधित सांविधिक निकाय

2.1 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की संरचना

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) का अध्यक्ष एक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, जो जैव विविधता के स्थायी प्रबंधन में ज्ञान और अनुभव के साथ एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। इसमें भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के दस पदेन सदस्य और पांच गैर-आधिकारिक सदस्य शामिल हैं जो जैव विविधता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के विशेषज्ञ हैं।

2.1.1 बीडी अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) के खंड (क) के तहत नियुक्त अध्यक्ष

अध्यक्ष डॉ. बी. मीनाकुमारी, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थीं, जो पूर्व में मत्स्य पालन के उप महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रूप में 8 फरवरी, 2019 तक कार्यरत थीं; और श्री ए.के जैन, आईएएस, अतिरिक्त सचिव एमओईएफ और सीसी रिपोर्टिंग अवधि तकअध्यक्षथे.

2.1.2 बीडी अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) के खंड (बी) के तहत नियुक्त एमओईएफ और सीसी और जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले पदेन सदस्य\

केंद्र सरकार द्वारा तीन पदेन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिनमें से दो एमओईएफ और सीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं- अपर वन महानिदेशक और भारत सरकार के संयुक्त सचिव, और एक संयुक्त सचिव के रैंक का या समकक्ष का एक अधिकारी जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2.1.3 बीडी अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (ग) के तहत नियुक्त अन्य पदेन सदस्य

केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के अधिकारी के पद पर सात अन्य पदेन सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वे निम्नलिखित विषयों पर कार्य करते हैं:

i कृषि अनुसंधान और शिक्षा

ii जैव प्रौद्योगिकी

iii महासागरीय विकास

iv कृषि और सहकारिता

v. चिकित्सा और होम्योपैथी की भारतीय पद्धति

vi विज्ञान और प्रौद्योगिकी

vii वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान

2.1.4 बीडी अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (डी) के तहत नियुक्त गैर-आधिकारिक सदस्य

पांच गैर-आधिकारिक सदस्यों को वैज्ञानिकों और उद्योग के प्रतिनिधियों, संरक्षणवादियों और ज्ञान के बीच चुना जाता है- जैविक संसाधनों के संरक्षण, जैविक विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और लाभ के समान बंटवारे से संबंधित मामलों में ध्वनि ज्ञान और जैविक संसाधनों का अनुभव रखने वाले जैविक संसाधनों के धारक.

2.2 एनबीए के कार्य

- जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत साझाकरण से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना.
- बीडी अधिनियम 2002 की धारा 3, 4 और 6 के अनुसार जैविक संसाधनों और / या संबद्ध ज्ञान तक पहुंच और निष्पक्ष और न्यायसंगत साझा करने के लिए गतिविधियों को जारी करना और दिशानिर्देश जारी करना। (जैविक संसाधनों और / या उपयोग के लिए संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ व्यक्तियों / नागरिकों / संगठनों को एनबीए की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है)।
- भारत से बाहर किसी भी जैविक संसाधन पर भारत के बाहर किसी भी देश में बौद्धिक संपदा अधिकारों के अनुदान का विरोध करने के लिए आवश्यक उपाय करना या अवैध रूप से भारत से प्राप्त ऐसे जैविक संसाधनों से जुड़े ज्ञान।
- राज्य सरकारों को जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों के चयन के लिए विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित करने और उनके प्रबंधन के लिए उपाय सुझाने की सलाह देना।
- लोगों की जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों के माध्यम से जैव विविधता प्रबंधन समितियों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- जैविक विविधता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य कार्य करना।

2.3 राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी)

एसबीबी राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम की धारा 22 के अनुसार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्थापित की जाती हैं। एनबीए केंद्र शासित प्रदेशों में एक एसबीबी की शक्तियों और कार्यों का अभ्यास

करता है। एनबीए केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को अपनी सभी शक्तियों या कार्यों को सौंप सकता है। एसबीबी में एक अध्यक्ष, पांच पदेन सदस्य होते हैं, जो संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं और पांच विशेषज्ञों को जैविक विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत साझाकरण से संबंधित अनुभव होता हैं।

2.3.1 एसबीबी के कार्य

- जैव संसाधनों के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन राज्य सरकारों को सलाह देना।
- भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए अनुमोदन या अन्यथा, अनुरोध को विनियमित करना।
- अधिनियम के प्रावधानों या राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य कार्य करना।

2.4 जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (बीएमसी)

बीडी अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, क्षेत्राधिकार के अपने क्षेत्रों के भीतर स्थानीय निकाय जैविक विविधता के संरक्षण, स्थायी उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीएमसी का गठन कर सकते हैं जिसमें आवासों का संरक्षण, भूमि की दौड़, लोक किस्मों और किसानों का संरक्षण शामिल है। पशुओं और सूक्ष्मजीवों के घरेलू स्टॉक और नस्लों, और जैविक विविधता से संबंधित ज्ञान का क्रैकिंग। प्रत्येक बीएमसी में एक अध्यक्ष होता है और स्थानीय निकाय द्वारा नामित छह व्यक्ति होते हैं, जिनमें से एक तिहाई महिलाएँ होती हैं और 18% अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग की होती हैं।

2.4.1 बीएमसी के कार्य

- स्थानीय लोगों के परामर्श से पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टरों (पीबीआरR) को तैयार करना, उसका रखरखाव और सत्यापन करना।
- सलाह अनुमोदन प्रदान करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड या एनबीए द्वारा संदर्भित किसी भी मामले पर सलाह प्रदान करना।
- जैविक संसाधनों का उपयोग करते हुए स्थानीय वैद्यऔर चिकित्सा चिकित्सकों के बारे में डेटा बनाए रखना।

2.5 केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना करना।
- जैविक विविधता के संरक्षण, संवर्धन और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का विकास करना।
- राज्य सरकारों को जैव-विविधता से भरपूर आवासों के संरक्षण, अति प्रयोग, दुरुपयोग या उपेक्षा से बचाव के लिए तात्कालिक संशोधन करने के निर्देश जारी करना।
- जैविक विविधता के संरक्षण, संवर्धन और सतत उपयोग को प्रासंगिक क्षेत्रीय या पार-क्षेत्रीय योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों में एकीकृत करना। एनबीए द्वारा अनुशंसित जैविक विविधता से संबंधित स्थानीय लोगों के ज्ञान का सम्मान और रक्षा करने के लिए प्रयास करना.
- पर्यावरण और जैव विविधता पर परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करना और संरक्षण पर जीवित संशोधित जीवों के उपयोग / रिलीज के जोखिम या प्रतिकूल प्रभाव को प्रबंधित या नियंत्रित करनाऔर जैविक विविधता और मानव स्वास्थ्य के सतत उपयोग के बीच लिंक का अध्ययन करना।
- केंद्र सरकार, एनबीकेके परामर्श से,

क. खतरे के अंतर्गत आने वाली प्रजातियों को सूचित करें और उनके संग्रह, पुनर्वास और संरक्षण को प्रतिबंधित या विनियमित करें।

ख. जैविक संसाधनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए रिपॉजिटरी के रूप में संस्थानों को नामित करें।

ग. सामान्य रूप से वस्तुओं के रूप में कारोबार करने वाले कुछ जैविक संसाधनों की छूट दें।

- राज्य सरकारें, स्थानीय निकायों के परामर्श से, जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित करती हैं, और सभी धरोहर स्थलों (केंद्र सरकार के परामर्श से) के प्रबंधन और संरक्षण के लिए नियमों को प्रभावित करती हैं और प्रभावित लोगों के पुनर्वास / पुनर्वास के लिए योजनाएं शुरू करती हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, प्राधिकरण ने सात बार मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 12 और बीडी नियमों के नियम 10 के अनुसार उचित कार्रवाई के लिए एनबीए सचिवालय को निर्देश दिया। इसके अलावा, प्राधिकरण ने एबीएसपर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के साथ एबीएस अनुप्रयोगों पर विचार किया, और निर्णय दिए और एनबीएसचिवालय को सलाह दी। जिन एजेंडा पर चर्चा की गई और जिन बैठकों का आयोजन किया गया, उसके परिणाम नीचे दिए गए हैं:

3.1 46 वीं प्राधिकरण की बैठक

प्राधिकरण (गवर्निंग बॉडी) की छठी बैठक 24 जुलाई 2018 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में डॉ. बी।. मीनाकुमारी, अध्यक्ष, एनबीए की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण विषय, विचार-विमर्श और निर्णय निम्नलिखित थे:

- 14-15 मई को आयोजित एबीएस पर विशेषज्ञ समिति की 48वींवीं बैठक की विशेषग्य समिति की कार्यवाही को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- एबीएस से संबंधित अग्रिम भुगतान पर संशोधित दिशानिर्देशों को मंजूरी दी गई थी और इसे एनबीए वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया था।
- 13 जून, 2018 को आयोजित बीएमसी / लाभार्थियों के साथ लाभ-साझेदारी राशि के बंटवारे के बारे में तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए बैठक का कार्यवृत्त।

3.2 47 वीं प्राधिकरण की बैठक

प्राधिकरण की सैंतालीसवीं बैठक 26 सितंबर 2018 को एनबीए के अध्यक्ष डॉ. बी. मीनाकुमारी की अध्यक्षता में चेन्नई में आयोजित की गई थी।

बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण विषय, विचार-विमर्श और निर्णय थे -

क) 10 नवंबर 2017 को आयोजित एबीएसपर विशेषज्ञ समिति की 49 वीं बैठक की कार्यवाही को मंजूरी दी गई।

ख) एनबीए उल्लंघन / उल्लंघन के मामलों की जांच करने और तदनुसार उन्हें वर्गीकृत करने और उन मामलों को वरीयता देने के लिए है जो प्रक्रियात्मक गर्भनिरोधक हैं लेकिन जिसके लिए, उन्हें अनुमोदित किया गया होगा।

ग) एनबीए प्रचार के लिये एनबीए की वेबसाइट में और समचारपत्रो में मंत्रालय के निर्देश को अपलोड करेगा.

घ) उल्लंघन वाले आवेदनोम की सुनवाई के लिए प्राधिकरण तीन बार (29.10.2018; 10.12.2018 और 18.12.2018)को बैठकें करेगा।

च) वर्ष 1917-18 की एनबीए की गतिविधियों की मसौदा रिपोर्ट नोट की गई और अनुमोदित की गई.

छ) एनबीए ने एबीएस सीएच प्लेटफॉर्म में दिए गए 145 स्वीकृतियों को अपलोड किया है और अनुपालन के लिये अंतर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र को जेनरेट किया है। नागोया प्रोटोकॉल के तहत जेनेटिक संसाधनों के उपयोग की निगरानी के लिए आईआरसीसी प्रकाशित करने में दलों के बीच भारत एक अग्रणी देश है।

3.3- 48 वीं प्राधिकरण की बैठक-

प्राधिकरण की अडतालीसवीं बैठक 29 अक्टूबर, 2018 को एनबीए की अध्यक्ष डॉ. बी. मीनाकुमारी की अध्यक्षता में चेन्नई में आयोजित की गई थी। बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण मद, विचार-विमर्श और निर्णय में निम्नलिखित शामिल हैं-

क) 10 वीं -11 सितंबर और 15-16 अक्टूबर, 2018 को आयोजित एबीएस पर विशेषज्ञ समिति की 50 वीं 51 वीं बैठक की कार्यवाही को मंजूरी दी गई।

ख) जहां किसी भी रूप में प्राप्त शुल्क पर लाइसेंसधारी / कार्यवाहक सहित; ऐसे सभी मामलों में क्रमशः असाइनमेंट / लाइसेंसधारी से वार्षिक रूप से प्राप्त की जाने वाली रॉयल्टी के संबंध में एमओईएफ और सीसी के ओ.एम. दिनांक 10 सितंबर 2018 के निर्देशन में मंजूरी दी जाती है वहां प्रक्रिया / उत्पाद / नवाचार के वाणिज्यिक उपयोग पर 1%, 5% और 5% के रूप में लाभ साझाकरण का निर्धारण;

ग) प्राधिकरण ने फैसला किया कि एनबीए ऐसे सभी मामलों में समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है जहां प्राधिकरण द्वारा सिद्धांत अनुमोदन के बाद पेटेंट प्रदान किए जाते हैं।

3.4 49वीं प्राधिकरण बैठक –

प्राधिकरण की उन्चासवीं बैठक 15 नवंबर, 2018 को एनबीए की अध्यक्ष डॉ. बी. मीनाकुमारी की अध्यक्षता में चेन्नई में आयोजित की गई थी। बैठक में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं, विचार-विमर्श और निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) आईएएस, सेबाल और एनबीए पर ईसी द्वारा तैयार की गई इनवेसिव एलियन प्रजातियों की व्यापक सूची की छपाई और मेजबानी। एनबीए ने भारत के वनस्पतियों और जीवों में विशेषज्ञता के साथ तैयार किए गए इनवेसिव एलियन प्रजातियों की सूची भी उनके मूल्यवान इनपुट, टिप्पणियों, मूल्य संवर्धन और पशु चिकित्सक के लिए भेजी।

ख) एमओईएफ़सीसी के द्वारा जारी ओ.एम. के संबद्ध कार्य-

1. लाइसेंसधारी / कार्यवाहक सहित; असाइनमेंट / लाइसेंसधारी से वार्षिक रूप से प्राप्त रॉयल्टी पर किसी भी रूप में प्राप्त शुल्क पर प्राधिकरण ने प्रक्रिया / उत्पाद / नवाचार के व्यावसायिक उपयोग पर 1%, 5% और 5% पर रखे लाभ बंटवारे के साथ फॉर्म III अनुप्रयोगों को मंजूरी दी;
2. आवेदक बीडी अधिनियम के प्रावधानों को भविष्य में पालन करने का वचन देंगे।
3. अनुमोदन (समझौतों) में खंड एनबीए सचिवालय द्वारा उचित रूप से संशोधित किए जा सकते हैं।

3.5 50वीं प्राधिकरण की बैठक-

प्राधिकरण की पच्चासवीं बैठक 10 वीं -11 दिसंबर, 2018 को एनबीए के अध्यक्ष डॉ. बी. मीनाकुमारी की अध्यक्षता में चेन्नई में आयोजित की गई थी। बैठक में उठाए गए वे कुछ महत्वपूर्ण विषय जिन पर चर्चा और विचार-विमर्श किया गया और उन पर निर्णय लिये गये, में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) प्राधिकरण ने एबीएस पर 52वीं ईसी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी और इस बात पर भी सहमति जताई कि हवाई नमूनों के संग्रह के लिए 25 पेट्री डिश / प्लेट को एक इकाई के रूप में लिया जा सकता है।

ख) निम्नलिखित विषयों पर एमओईएफ और सीसी द्वारा जारी दिनांक 10-09-2018 के ओ.एम. पर कार्य करना।

i) प्राधिकरण ने उन 3 (2) संस्थाओं के आवेदकों से फॉर्म I में आवेदन करने के लिए जैव संसाधन के एक्सेस हेतु पूछा, जिनके लिये यदि एनबीए से पूर्व अनुमति न ली गई हो और अनुसंधान पहले ही किया जा चुका हो.

ii) प्राधिकरण ने एनबीए को 18 दिसंबर 2018 से पहले आवेदित फॉर्म की जांच की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा। इस अवधि के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र, जहां जैव संसाधन एक्सेस हुआ है और एक्सेस होगा, संबंधित एसबीबी को उनकी सहमति के लिय भेजा जायेगा और स्म्बंधित एसबीबी 15 दिनों में वापस करेंगे। द्वितीयत: फ़ार्म I जिसके लिए बायो रिसोर्स पहले ही एक्सेस हो चुका है और आगे कोई एक्सेस की आवश्यकता नहीं है, उसे संबंधित एसबीबी को सहमति के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए, लेकिन प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय को एसबीबी को सूचित किया जाएगा।

3.6 51वीं प्राधिकरण की बैठक

प्राधिकरण की 51वीं बैठक 24 जनवरी, 2019 को को एनबीए के अध्यक्ष डॉ. बी. मीनाकुमारी की अध्यक्षता में चेन्नई में आयोजित की गई थी। बैठक में उठाए गए वे कुछ महत्वपूर्ण विषय जिन पर चर्चा और विचार-विमर्श किया गया और उन पर निर्णय लिये गये, में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) सचिवालय द्वारा रेड सैंडर्स के आवेदनों की जांच की जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है। फिर निर्णय को जानकारी के लिए एबीएस पर ईसी के समक्ष रखा जा सकता है।

ख) ओ.एम. के अंतर्गत आवेदनों की स्थिति के बारे में एमओईएफ़ और सीसी को फरवरी, 2019 के पहले सप्ताह तक प्रारंभिक रिपोर्ट भेजी जा सकती है।

ग) सचिवालय जंगलों से बड़ी मात्रा में एकत्र किए जाने वाले औषधीय पौधों के भौगोलिक वितरण पर एक अध्ययन शुरू करने पर विचार कर सकता है।

घ) एनबीए मेसर्स इंटर्नेशन्ल फ़्लेवर्स एण्ड फ्रेगरेंश इ.लि.के खिलाफ उचित कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

च) इन संस्थानों की संस्थागत समितियों द्वारा एनबीए के द्वारा विकसित की जाने वाली एसओपी के अनुसार जैविक विविधता नियमों के संशोधन के माध्यम से गैर-वाणिज्यिक अनुसंधान के लिए सरल और शीघ्र प्रक्रियाओं के लिए एक प्रस्ताव विकसित करने के लिए एनबीए; और संबंधित संस्थानों के प्रमुखों को जवाबदेह बनाने के लिए जब जिम्मेदार / गैर-वाणिज्यिक अनुसंधान के लिए आवेदनों की जांच के माध्यम से अधिनियम के कार्यान्वयन को बढ़ायेगा, तब उस पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

छ) प्राधिकरण ने उन आविष्कारों को छूट देने के निर्णय पर मुहर लगा दी जो यांत्रिक / डिजाइन सुधारक है.

3.7 52वीं प्राधिकरण की बैठक-

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की 52 वीं प्राधिकरण बैठक 19 वीं मार्च 2019 को श्री अनिल कुमार जैन, आईएएस, अतिरिक्त सचिव, एमओईएफ और सीसी और अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता की अध्यक्षता में गोदावरी कॉन्फ्रेंस हॉल, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में उठाए गए वे कुछ महत्वपूर्ण विषय जिन पर चर्चा और विचार-विमर्श किया गया और उन पर निर्णय लिये गये, में निम्नलिखित शामिल हैं:

- एबीएस विनियम, 2014 पर दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और इसके लिए उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।
- चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत मसौदा दिशानिर्देश जनता से टिप्पणियां लेने के लिए एनबीए वेबसाइट पर होस्ट किए जा सकते हैं। सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई की गई कार्रवाई सचिवालय स्तर पर की जा सकती है और रिपोर्ट को अगली बैठक में विचार के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा जा सकता है।
- चुनाव आयोग का गठन श्री ए.के. गोयल की अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसका उद्देश है- जैविक विविधता नियमों की जांच करना एवं नागोया प्रोटोकॉल के तहत उपयोगकर्ता देश के उपायों और सेक्टर विशिष्ट एसओपी के विकास की जांच करना है।
- भारत हेतु जैव विविधता पुरस्कार 2020 के लिए केवल सात श्रेणियों को अधिसूचित किया जाएगा, जो 22.5.2019 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के दौरान घोषित की जा सकती है

- क्रमशः व्यक्तियों और संस्थानों के विजेताओं हेतु नकद पुरस्कार रु. 2,00,000 और रु. 5,00,000 तक बढ़ाया जा सकता है। ।
- एक नया एनबीए लोगो और इसके संस्करण को एनआईडी जैसे विशेष संगठनों को शामिल करते हुए डिजाइन किया जा सकता है और विशेष उत्पाद के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अनुपालन के प्रमाणन के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है।
- सदस्यों ने अनुशंसित सरकारी संस्थानों को अनुसंधान प्रस्तावों के पुरस्कार के संबंध में लाल सैंडर्स पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी।
- सचिवालय भविष्य में अनुसंधान सुविधाओं के साथ सरकारी संस्थानों और सभी विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित कर सकता है।

प्राधिकरण द्वार गठित समितियां और उनकी गतिविधियां

4.1 अधिनियम की धारा 39 के तहत रिपॉजिटरी की पहचान के लिए पात्रता शर्तों / मापदंडों के लिए एक दिशानिर्देश विकसित करने के लिए विशेषज्ञ समूह

21 अगस्त, 2017 को आयोजित 42 वीं प्राधिकरण की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, अधिनियम की धारा 39 के तहत रिपॉजिटरी की पहचान के लिए पात्रता शर्तों / मापदंडों के लिए एक दिशानिर्देश विकसित करने के लिए एक कोर विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। कोर विशेषज्ञ समूह की बैठक एनबीए चेन्नई में 05 मई 2018 को आयोजित की गई थी और बीडी अधिनियम की धारा 39 के तहत राष्ट्रीय रिपॉजिटरी के पदनाम के लिए मानदंड विकसित किया गया था और प्राधिकरण द्वारा अपनी 46 वीं बैठक में इसका समर्थन किया गया था। नतीजतन, एनबीए ने आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी रिपॉजिटरी को धारा 39 के तहत राष्ट्रीय रिपॉजिटरी के पदनाम के लिए मानदंड को सूचित किया।

जैविक संसाधनों और उचित और समान लाभ साझा करने के लिए पहुँच को विनियमित करने के लिए गतिविधियाँ-

5.1 एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग (एबीएस) पर विशेषज्ञ समिति (ईसी)

जैविक संसाधनों और / या संबद्ध ज्ञान, अनुसंधान, जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग और वाणिज्यिक उपयोग, अनुसंधान के परिणामों के हस्तांतरण, जैविक संसाधनों पर अनुसंधान या जानकारी के आधार पर आविष्कार के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमोदन की मांग करने वाले आवेदन और एनबीए द्वारा प्राप्त तृतीय पक्ष के लिए सुलभ जैविक संसाधनों का हस्तांतरण इस विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है जिसने प्राधिकरण के विचार के लिए उपयुक्त सिफारिशें की थीं।

वर्ष के दौरान, समिति सात बार अर्थात 48वीं बैठक 14 और 15 मई 2018

को, 49वीं बैठक 10 और 11 जुलाई 2018 को, 50वीं बैठक 10 और 11 सितंबर 2018 को, 51वीं बैठक 15 और 16 अक्टूबर 2018 को, 52वीं बैठक 4 दिसंबर 2018 को, 53वीं बैठक 08 जनवरी 2019 को और 54वीं बैठक 14 मार्च 2019 को आयोजित हुई और उनमें पहूच और लाभ साझाकरण पर लगभग 660 आवेदनों का मूल्यांकन किया गया और प्राधिकरण की संस्तुतियों को प्रदान किया गया .इसके अलावा, ईसी ने गैर-भारतीय जैविक संसाधनों तक पहुंच बनाने, जैव संसाधनों का उपयोग किए बिना बेहतर डिजाइन के दावे पर बीडी अधिनियम की प्रयोज्यता और अग्रिम भुगतानों के लिए तौर-तरीकों के लिए तकनीकी कानूनों पर तकनीकी-कानूनी इनपुट प्रदान किया।

5.2 एबीएस विनियम 2014 पर दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिये विशेषज्ञ समिति-

48 वीं प्राधिकरण की बैठक में किए गए निर्णय और एमओईएफसीसी के निर्देशों के अनुसार, एनबीए ने एबीएस विनियम, 2014 पर दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और इसके लिए उचित उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रस्तुत मुद्दों पर विचार किया और बैठकों में विचार-विमर्श किया. उदाहरणत: पहली बैठक

13 फरवरी, 2019 को आयोजि हुई,, सूसरी बैठक 21 और 22 फ़रवरी 2019 को आयोजित हुई और तीसरी बैठक 6 तथा 7 मार्च को आयोजित हुई. इसके बाद समिति एनबीए को अपनी रिपोर्ट "बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए दिशानिर्देश और संबद्ध ज्ञान और लाभ विनियमों के समान साझाकरण, 2019" पर संशोधित संशोधित अधिसूचना के साथ प्रस्तुत किया। एनबीए ने मसौदे के दिशानिर्देशों पर सार्वजनिक टिप्पणी के लिए एक महीने का समय दिया और जनता से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया जा रहा है।

5.3 अनुपालन के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र (आईआरसीसी) उत्पन्न करना;

आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग पर नागोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 17 के तहत और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण, पार्टियों को प्रवेश के समय एक परमिट या इसके

समकक्ष जारी करने की आवश्यकता होती है, सबूत के रूप में कि आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच आधारित थी पहले से सूचित सहमति और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों की स्थापना की गई थी। चूंकि भारत नागोया प्रोटोकॉल का एक पक्ष है, इसलिए एनबीए ने एबीएस सीएच प्लेटफॉर्म में दी गई 741 स्वीकृतियों का विवरण अपलोड किया है, जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र उत्पन्न किए गए थे।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 3, 4 और 6 में उल्लिखित गतिविधियों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई

6.1 अनुमोदन का विवरण:

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण, इसके घटकों का स्थायी उपयोग और उसी के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण है। तदनुसार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैविक संसाधनों और / या अनुसंधान के लिए संबंधित ज्ञान तक पहुंच की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए अनिवार्य है; जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग; व्यावसायिक उपयोग; आईपी अधिकार प्राप्त करना; अनुसंधान के परिणामों का स्थानांतरण और एक्सेस किए गए जैविक संसाधनों और / या संबंधित ज्ञान का हस्तांतरण। आवेदक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को अधिनियम की धारा 3, 4, 6, 14, 17 और 18 में जैव विविधता नियम 2004 और एअबीएस विनियम 2014 में उल्लिखित किया गया है।

उपरोक्त गतिविधियों के लिए, एनबीए को विभिन्न हितधारकों से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। गैर-भारतीय व्यक्ति या संस्था; इस उद्देश्य के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से भारतीय व्यक्ति या संस्था और उसी की जांच की जा रही है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी तालिका 1 में दी गई है।

तालिका -1 एबीएस आवेदनों की श्रेणी

बीडी अधिनियम 2002 के खंड	फ़ार्म संख्या.	आवेदन का उद्देश्य	किसके द्वारा
खंड 3	I	अनुसंधान, वाणिज्यिक उपयोग, जैव-सर्वेक्षण या जैव-उपयोग के लिए जैविक संसाधनों और / या संबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच	गैर-भारतीय, एनआरआई, विदेशी इकाई या भारतीय इकाई में गैर-भारतीय भागीदारी पूंजी या प्रबंधन है
खंड 4	II	अनुसंधान परिणाम का स्थानांतरण	किसी भी भारतीय / गैर-भारतीय या किसी गैर-भारतीय, एनआरआई, विदेशी इकाई या भारतीय इकाई के पास शेयर पूंजी में गैर-भारतीय भागीदारी है।
खंड 6	III	बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई आपत्ति नहीं	कोई भी भारतीय / गैर-भारतीय या इकाई

स्थापना के बाद से, इस कार्यालय को विभिन्न हितधारकों से 3114 आवेदन प्राप्त हुए हैं। विवरण चित्र 1 में दिखाए गए हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, एनबीए को 931 आवेदन प्राप्त हुए हैं जो सभी प्रकार से पूर्ण हैं और प्रसंस्करण के लिए उठाए गए हैं। अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण के चरणों को तालिका -2 में दिखाया गया है।

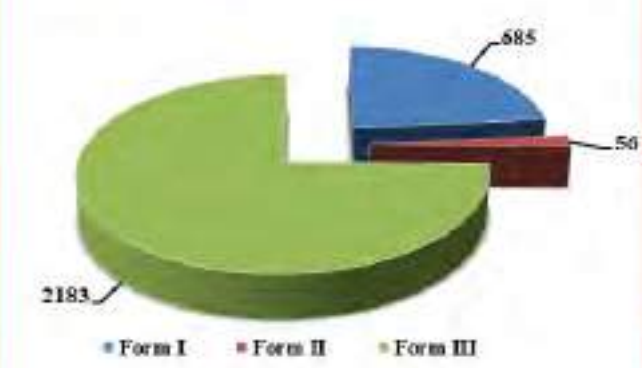

चित्र- 1- विभिन्न श्रेणियों के तहत आवेदनों की प्राप्ति

*31/03/2019 तक प्राप्त आवेदन

तालिका 2: ABS अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण के चरण

विवरण	फ़ार्म I	फ़ार्म II	फ़ार्म III
प्राप्त	288	5	610
निष्पादित	42	1	331
प्रक्रियाधीन	244	3	238
उल्लंघन	1	1	23
बंद / वापस लिये गये	1	0	18
अनुबंध पर हस्ताक्षर किए / अनुमोदित	61	1	204
मंजूरी दे दी (पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदन)	27	0	143
बंद / वापस ले लिया गया (पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदन)	9	0	43
निरस्त	0	0	0
उल्लंघन	0	0	0

6.2 साझाकरण की प्राप्ति हुई-

एनबीए को 2018-2019 के दौरान लाभ साझाकरण (बीएस) घटक के रूप में लगभग 18.38 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। रेड सैंडर्स लकड़ी की पहुंच पर महसूस की गई बीएस राशि में से, एनबीए ने प्राधिकरण की मंजूरी

के साथ लाल सैंडर्स पर चुनाव आयोग की सिफारिश के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से आंध्र प्रदेश वन विभाग को 3.00 करोड़ रुपये की राशि वितरित किया है।

पिछले वर्षों में, एनबीए ने समुद्री वीड्स की एक्सेस के लिए मेसर्स पेप्सिको होल्डिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लाभ साझाकरण घटक की प्राप्ति किया था, जिसमें से, एनबीए ने तमिलनाडु के चार दक्षिणी तटीय जिलों में लाभार्थियों के बीच वितरण के लिए तमिलनाडु स्टेट एसबीबी को 32.00 लाख रुपये जारी किए हैं।

आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित ज्ञान से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में किए गए उपाय

7.1 आरंभ किये गये उपाय-

जेनेटिक संसाधन और संबंधित ज्ञान बायोप्रोस्पेक्टिंग के लिए कच्चे माल का गठन करते हैं जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते आर एंड डी सेक्टर में से एक है। बायोप्रास्पेस्पेक्टिंग मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण में योगदान देता है जो बदले में अत्यधिक आर्थिक क्षमता रखते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों को इस अत्यधिक मूल्यवान जानकारी पर एकाधिकार अधिकार बनाने के लिए एक कानूनी उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है और जिससे बाजार की सफलता सुनिश्चित होती है। लेकिन पेटेंट के अनुदान के माध्यम से निजी संपत्ति अधिकारों का निर्माण भविष्य के अनुसंधान के लिए बाधाएं पैदा कर सकता है। भले ही आईपीआर के धारक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन वास्तविक संरक्षक और जैविक संसाधन और संबंधित ज्ञान के धारकों के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं और प्रदाताओं के बीच आईपीआर के माध्यम से इस तरह के अनुसंधान और जैविक संसाधनों के व्यावसायीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभों का समान वितरण करना है। यह पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के आधार पर पूर्व सूचित सहमति और लाभ के बंटवारे के माध्यम से प्रवेश के लिए एक अंतरराष्ट्रीय जनादेश के निर्माण के द्वारा इन हितधारकों के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने का प्रयास करता है। भारत ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 को सीबीडी अर्थात जैविक संसाधनों के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे को लागू करने के लिए लागू किया। जैविक विविधता अधिनियम की धारा 6 के लिए आवश्यक है कि भारत से प्राप्त जैविक संसाधन पर किसी भी शोध या सूचना के आधार पर किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त होगा।

29 अक्टूबर 2010 को अपनाए गए नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य सीबीडी के तीसरे उद्देश्य को मजबूत करना है - आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग पर लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण। इस संबंध में, नागोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 और 16 में कहा गया है कि प्रत्येक पार्टी उचित, प्रभावी और आनुपातिक विधायी, प्रशासनिक या नीतिगत उपाय करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'न्यायिक संसाधन' और 'आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान' अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं। पहले से सूचित सहमति के अनुसार पहुँचा जा सकता है और यह कि पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों की स्थापना की गई है, जैसा कि घरेलू उपयोग और लाभ-साझाकरण कानून या अन्य पार्टी की नियामक आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक है। इसके अलावा, पक्ष, गैर-अनुपालन की शर्तों को संबोधित करने के लिए उचित, प्रभावी और आनुपातिक उपाय करेंगे, जहां तक संभव हो और उपयुक्त हो, घरेलू पहुंच और लाभ-साझाकरण कानून या नियामक आवश्यकताओं के कथित उल्लंघन के मामलों में सहयोग करते हैं।

एनबीए उन स्थितियों में आया है जहां विदेशी न्यायालयों में स्थित व्यक्तियों, संस्थानों और कंपनियों ने नवाचार विकसित करने के लिए भारतीय जैविक संसाधनों का एक्सेस और उपयोग किया है और विदेशी पेटेंट कार्यालयों में पेटेंट के लिए आवेदन किया है। गैर-अनुपालन की इन स्थितियों को संबोधित करने के लिए, राष्ट्रीय कानून ने जैविक संसाधनों के आधार पर आविष्कारों के लिए पेटेंट के अनुदान का विरोध करने के लिए वैधानिक कार्य के साथ जैविक विविधता अधिनियम की धारा 18 (4) के तहत एनबीए को सशक्त बनाया है, जो एनबीए से पूर्व अनुमोदन बिना प्राप्त किया गया था । 13 अक्टूबर, 2015 को आयोजित प्राधिकरण की 35 वीं बैठक ने इस मुद्दे पर चर्चा की और एनबीए सचिवालय को ऐसे आईपीआर अनुप्रयोगों का विरोध करने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया। नतीजतन, एनबीए ने 55 पेटेंट आवेदनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है जो दुनिया भर के विभिन्न पेटेंट कार्यालयों में दायर किए गए थे। ये पेटेंट आवेदन भारत से विभिन्न जैविक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिसमें हल्दी (कर्माका लोंगा), भारतीय गूजबेरी (एम्बेलिसा ऑफ़िसिनैलिस), नीम (अज़दिराच्टा इंडिका), अदरक (ज़िनज़ाइबर ऑफ़िसिनल), अश्वगंधा (विथानिया सोम्निफेरा) सेंटेला ऐशियाटिका, टर्मिनालिया अर्जुन, भारतीय खाडी पत्ती (सिन्नमोमुम टर्मला) अलोवेरा, स्फ़ेरंथस इंडिकस आदि शामिल हैं। विदेशी पेटेंट आवेदनों के खिलाफ शुरू किए गए उपायों के परिणामस्वरूप, एनबीए को अब तक पूर्व अनुमोदन के लिए तीन (3) आवेदन प्राप्त हुए हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार। इनमें से, एनबीए ने दो (2) मामलों (एबीएस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए) में मंजूरी दी है।

55 पेटेंट आवेदनों के खिलाफ शुरू किए गए उपाय द थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेशन 'के रूप में हैं जो दुनिया भर के 8 अलग-अलग पेटेंट कार्यालयों में दायर किए गए थे। इन 13 तृतीय पक्ष टिप्पणियों में वर्ष 2018-19 में दायर किए गए थे।

तालिका 3- वर्ष 2018 - 19 में किये गए उपायों की सूची

पेटेंट कार्यालय	की गई कार्यवाही की संख्या
यूरोपियन पेटेंट कार्यालय (ईपीओ)	5
संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (यूएसपीटीओ)	5
कनाडाई बौद्धिक पेटेंट कार्यालय (सीआईपीओ)	3

7.2 भारतीय पेटेंट कार्यालयों द्वारा प्रकाशित पेटेंट्स का अनुवीक्षण

जैविक विविधता (बीडी) अधिनियम, 2002 की धारा 6 के लिए आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत से प्राप्त जैविक संसाधन पर किसी भी शोध या जानकारी के आधार पर किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन कर रहा हो, एनबीए की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगा। पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 10 (4) (ii) (डी) के लिए आवश्यक है कि आविष्कार में प्रयुक्त जैविक संसाधनों के स्रोत और उत्पत्ति का खुलासा किया जाए। इसके अलावा जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 6 की भावना को 25 मार्च, 2013 को 'पेटेंट के लिए जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए दिशानिर्देश' और 'पारंपरिक ज्ञान और जैविक सामग्री से संबंधित पेटेंट आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए दिशानिर्देश' में शामिल किया गया है। 18 दिसंबर 2012 को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के तहत पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क (सीजीपीडीटीएम) भारत से प्राप्त जैविक सामग्री पर आधारित आविष्कारों के लिए पेटेंट तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक द्वारा 'एनबीए अनुमति' की एक प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती है। इसके अलावा इस आवश्यकता को फॉर्म I में एक घोषणा के रूप में भी शामिल किया गया है जिसे पेटेंट आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों पर आधारित आविष्कारों के लिए पेटेंट एनबीए से अनुमोदन प्राप्त किए बिना प्रदान नहीं किया जाएगा। इन दिशानिर्देशों के बावजूद, कुछ पेटेंट अभी भी दिए जा रहे हैं और जैविक विविधता (बीडी) अधिनियम, 2002 का उल्लंघन कर रहे हैं।

इसलिए, एनबीए सचिवालय ने हर महीने भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईपीओ) द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पेटेंट आवेदनों की निगरानी शुरू की थी ताकि पेटेंट कार्यालय के साथ-साथ आवेदक को उन आविष्कारों के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जा सके जो संभावित रूप से दायरे में आएंगे। धारा 6 की और एनबीए की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। बायोटेक्नोलॉजी, एग्रोकेमिकल्स, टीके-बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड एंड फार्मास्युटिकल्स के प्रासंगिक प्रभागों के लिए निगरानी प्रक्रिया की गई। एनबीए ने अक्टूबर 2018 और मार्च 2019 के बीच 2,405 आवेदनों की जांच की थी और 351 मामलों में आईपीओ को संचार भेजा था, जिसमें बताया गया था कि उक्त आविष्कार धारा 6 के दायरे में आएगा और एनबीए की मंजूरी अनिवार्य थी। आईपीओ ने आवेदकों को आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए, पेटेंट प्रदान करने से पूर्व, इन पत्रों को अपनी वेबसाइट में भी प्रकाशित किया था ताकि आवेदक समय से पहले एनबीए से संपर्क कर सकें.

तालिका 4- आईपीओ द्वारा प्रकाशित पेटेंटों की निगरानी के लिए सांख्यिकी

माह	प्रकाशित आवेदनों की संख्या	एनबीए के दायरे मेम न आने वालो की संख्या
अक्टूबर 2018	404	67
नवंबर 2018	414	56
दिसम्बर 2018	355	42
जनवरी 2019	351	47
फ़रवरी 2019	359	37
मार्च 2019	522	102
योग	2,405	351

जैव संसाधनों के उपयोग के लिए प्राधिकरण द्वारा स्वीकृतियां

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैविक संसाधनों और / या अनुसंधान के लिए संबंधित ज्ञान तक पहुंच की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए अनिवार्य है; जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग; व्यावसायिक उपयोग; आईपी अधिकार प्राप्त करना; अनुसंधान के परिणामों का स्थानांतरण और एक्सेस किए गए जैविक संसाधनों और / या संबंधित ज्ञान का हस्तांतरण। आवेदक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं अधिनियम की धारा 19 और 20 में, जैविक विविधता नियम 2004 और एबीएस विनियम 2014 के 14, 17, 18, 19 और 20 मे दी गई हैं.

उपरोक्त गतिविधियों के लिए, एनबीए विभिन्न हितधारकों अर्थात गैर-भारतीय व्यक्ति या संस्था से आवेदन प्राप्त कर रहा है; इस उद्देश्य के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से भारतीय व्यक्ति या संस्था और उसकी की जांच की जा रही है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी तालिका 5 में दी गई है।

तालिका 5: एबीएस अनुप्रयोगों की श्रेणी

धारा	फ़ार्म	श्रेणी
बीडी अधिनियम ,2002 की धारा 20	फ़ार्म IV	तृतीय पक्ष एक्सेस किए गए जैविक संसाधनों और / या संबंधित ज्ञान का हस्तांतरण.
ए ब ी ए स विनियम्, 2014 की धारा 13	फ़ार्म बी	जैविक संसाधनों का उपयोग करके भारतीय शोधकर्ताओं / सरकारी संस्थानों द्वारा भारत के बाहर आपातकालीन उद्देश्य के लिए गैर-वाणिज्यिक अनुसंधान या अनुसंधान का संचालन करना

स्थापना के बाद से, इस कार्यालय को विभिन्न हितधारकों से फॉर्म IV (88) और फॉर्म बी (89) के 177 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण के चरणों को तालिका -6 में दिखाया गया है।

तालिका -6: फॉर्म IV और फॉर्म बी के एबीएस अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण के चरण

विवरण	फ़ार्म IV	फ़ार्म बी	योग
प्राप्त	6	22	28
निष्पादित	0	14	14
प्रक्रियाधीन	6	7	13
उल्लंघन	0	0	0
बंद/ वापस लिये गये	0	1	1
हस्ताक्षरित/अनुमोदित करार	1	0	1
निष्पादित (पूर्व वर्ष मे प्राप्त आवेदन)	0	3	3
बंद (पूर्व वर्ष मे प्राप्त आवेदन)	1	2	3
निरस्त	0	0	0
उल्लंघन	0	0	0

बौद्धिक संपदा अधिकार और जैव विविधता अधिनियम, 2002 से संबंधित जागरूकता; और सार्वजनिक भागीदारी

9.1 क्रूड हर्ब्स सहित जैविक संसाधनों के निर्यात के तौर-तरीकों पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक-

सीमा शुल्क-सीबीईसी द्वारा प्रस्तावित, एनबीए, चेन्नई में 19 अप्रैल, 2018 को जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (बीडी एसक्ट) के अनुपालन में जैविक जड़ी बूटियों सहित जैविक संसाधनों के निर्यात के तौर-तरीकों पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी), विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने बीडी अधिनियम / इक्सिम नीति / वन्यजीव संरक्षण अधिनियम / सीमा शुल्क अधिनियम, आदि के प्रावधानों को ध्यान में रखकर बंदरगाहों पर बीडी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और वे विभिन्न व्यवस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली सर्वसम्मति पर पहुंचे।

9.2 प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता

9.2.1 वर्तमान विज्ञान:

उपयोगकर्ताओं द्वारा जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता सृजन पर अपनी पहल के तहत, एनबीए ने अग्रणी विज्ञान पत्रिका के 10 मासिक अंकों से विज्ञापन देना शुरू किया है, जिसे वैज्ञानिक बिरादरी के काफ़ी दर्शकों द्वारा देखा जा रहा है। इस स्कोर पर, बीडी अधिनियम के बारे में 10 मई 2018 को पहला अंक प्रकाशित किया गया था। बाद में, एनबीए ने 10 जून 2018 को "एबीएस ई-फाइलिंग" पर, 10 जुलाई 2018 को, "जैविक संसाधनों तक पहुंच" पर, 10 अगस्त, 2018 को बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए एनबीए का पूर्व अनुमोदन पर, सितंबर, 2018 को "रिसर्च एंड असेस्ड बायोलॉजिकल संसाधनों के परिणामों का हस्तांतरण" पर, 16 वर्ष अक्टूबर 2018 को एनबीए मे बीडी एक्ट के 16 वर्ष, दिसंबर 2018 को फ़ार्म बी और फ़ार्म सी के बारे मे और एबीएस इ फ़ाइलिंग के बारे में 10 मार्च 2019 को विज्ञापन जारी किया.

9.2.2 डाउन टू अर्थ:

डाउन टू अर्थ पत्रिका उन प्रमुख पत्रिकाओं में से एक है जिसकी करीब लाख पर्यावरणविद्, उद्योगों, अंतर्राष्ट्रीय / संयुक्त राष्ट्र थिंक टैंक संगठनों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं, आदि तक विशाल पहुंच है,

.चूंकि इसकी विशाल् पहूच है, एनबीए ने पांच (5) अंकों में बीडी अधिनियम के बारे में विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, पहला विज्ञापन डाउन टू अर्थ - 16-31 अगस्त, 2018 को "एबीएस ई-फाइलिंग" पर जारी किया गया और दूसरा विज्ञापन 16-30 सितंबर, 2018 को "रिसर्च एंड एक्सेसेड बायोलॉजिकल संसाधनों के परिणामों का हस्तांतरण" पर जारी किया गया: बीडी अधिनियम के बारे में अक्टूबर 2018 को, एनबीए के 16 साल; दिसंबर 2018 फॉर्म-बी एंड फॉर्म-सी और 10 मार्च, 2019 को "एबीएस ई-फाइलिंग" के बारे में अंक जारी किये गये. इसी तरह, एनबीए ने "जैविक संसाधनों तक पहुंच" के बारे में हेरिटेज अमृत की पत्रिका में विज्ञापन प्रकाशित किया।

9.3 छात्रों में जागरूकता पैदा करना:

प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि वे सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस में बीडी एक्ट को शामिल करके जैव विविधता 2002 के बारे मे छात्रों एवं अनुसन्धानकर्ताओं में जागरूकता पैदा करें. प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, एनबीए ने भारत में सभी राज्यों में प्रमुख विश्वविद्यालयों को सूचीबद्ध किया और बीडी अधिनियम 2002 के बारे में पाठ्यक्रम / अंडर / पोस्ट के पाठ्यक्रम में शामिल करने के अनुरोध के साथ संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों / कुलपतियों को सुचना भेजा। यह कार्रवाई छात्रों के लिए अधिनियम के प्रावधानों के बारे में ज्ञान प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। तदनुसार, अब तक, एनबीए ने विभिन्न विश्वविद्यालयों जैसे कि निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में पत्राचार भेजा है।

क) तमिलनाडु	-	19 विश्वविद्यालय
ख) केरल	-	16 विश्वविद्यालय
ग) कर्नाटक	-	39 विश्वविद्यालय
घ) आंध्र प्रदेश	-	23 विश्वविद्यालय
च) तेलंगाना	-	14 विश्वविद्यालय
छ) गुजरात	-	42 विश्वविद्यालय
ज) छत्तीसगढ़	-	16 विश्वविद्यालय

इसी तरह, एनबीए दूसरे राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों को इस तरह की सूचना भेजने की प्रक्रिया में है।

9.4 जैव विविधता पर जागरूकता कार्यक्रम के लिए एनबीए का अनुदान

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 एनबीए को लागू करने के अपने मूल आदेश की प्रासंगिकता के साथ, विश्वविद्यालयों / कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों, राज्य जैव विविधता बोर्डों आदि की गतिविधियों, जागरूकता कार्यक्रमों और घटनाओं का एक सीमित सीमा तक समर्थन करता है।

एनबीए समय-समय पर जैव विविधता पर नए और मूल कार्यों के प्रकाशन या प्रलेखन के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। उपरोक्त गतिविधियों का समर्थन करने के लिए, प्राधिकरण ने प्रस्ताव जांच समिति (तालिका 7) की सिफारिश के आधार पर 59 प्रस्तावों का समर्थन किया है।

तालिका 7: 2018-19 के दौरान आयोजित प्रस्ताव जांच समिति की बैठकों की सूची

2018-19 के दौरान आयोजित प्रस्ताव जांच समिति की बैठकों की सूची	
आयोजित बैठकों की कुल संख्या	6
समिति के समक्ष प्रस्तुत कुल प्रस्ताओं की संख्या	92
फ़ंड के लिये संस्तुत कुल प्रस्ताओं की संख्या	59
संस्तुत वित्तीय सहायता की कुल संख्या	1,02,68,700
मंजूर की गई वित्तीय सहायता की कुल राशि	81,57,146

9.5 भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2018

भारत की जैव विविधता सम्मेलन के सम्मेलन की ग्यारहवीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यूएनडीपी के साथ मिलकर भारत में 2012 में भारत जैव विविधता पुरस्कारों की शुरुआत की थी. 2014 और 2016 में जैव विविधता प्राधिकरण के साथ साझेदारी में यूएनडीपी द्वारा दूसरे और तीसरे राउंड का सफलतापूर्वक संचालन किया गया।

चौथे दौर के पुरस्कारों को एनबीए में संस्थागत रूप दिया गया और इसके लिए गोवा के माननीय मुख्यमंत्री ने 22 मई, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चौथा भारत जैव विविधता पुरस्कार लॉन्च किया। इसके बाद, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने चौथे भारत जैव विविधता पुरस्कार, 2018 की मेजबानी की, जिसमें पुरस्कार के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में यूएनडीपी भारत आनबोर्ड कार्य कर रहा था और उसमेम निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए थे - (i) संरक्षण (ii) जैविक संसाधनों का उपयोग (iii) पहुंच और लाभ साझा करने के लिए प्रतिकारक तंत्र और (iv) सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ।

प्राप्त आवेदनों की जांच करने और विजेताओं को अंतिम रूप देने के लिए, एनबीए ने एक पुरस्कार चयन समिति का गठन किया था जिसमें विभिन्न प्रासंगिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ सदस्य थे। एनबीए द्वारा इस समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर बुलाई जाती हैं और सदस्यों द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों के काम को मान्य करने के लिए फील्ड विजिट की जाती है। नतीजतन, पुरस्कार चयन समिति के सदस्यों द्वारा विजेताओं का चयन किया गया। उन्हें 22 मई 2018 को हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आयोजन के दौरान 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक प्रमाण पत्र दिया गया। असाधारण कार्यों के प्रयासों की सराहना करने और प्रोत्साहित करने के लिए, उत्सव के दौरान कुछ विषयों के लिए विशेष उल्लेख किया गया था। पुरस्कार के विजेताओं की सूची तालिका 8 में दी गई है।

तालिका 8 :
भारत जैव विविधता पुरस्कार 2018 के विजेताओं की सूची

श्रेणी	उप श्रेणी	विजेता	विशेष उल्लेख
जंगली प्रजातियों का संरक्षण	संस्थान	सिंगचुंग बुगुन ग्राम सामुदायिक रिजर्व प्रबंधन समिति, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश	उमरू बीएमसी, री-भोई जिला, मेघालय
		लेमेसाचेनलोक संगठन, लॉन्गेंग, नागालैंड	ट्री फ़ाउंडेशन, चेन्नई, तमिलनाडु
			गोदरेज एंड बॉयस मैन्यूफ़ैक्चरिंग क. लि, मुंबई,
			कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश
पालतू प्रजातियों का संरक्षण–	संस्थान	कच्छ उंठ उच्छेरक मालधारी संगठन (कुम्स, भुज-कच्छ, गुजरात	सहजा समृद्धि, बेंगलुरु, कर्नाटक
	व्यक्ति	श्री काल्डेन सिंघी भूटिया, उत्तर सिक्किम, सिक्किम	श्री शाजी एन एम, वायनाड, केरल
जैविक संसाधनों का सतत उपयोग	संस्थान	संघम महिला किसान समूह, मेदक, तेलंगाना	भारत सरकार-यूएनडीपी-जीईएफ सिंधुदुर्ग परियोजना, मुंबई, महाराष्ट्र
			टिज़ू घाटी जैव विविधता संरक्षण और आजीविका नेटवर्क, ज़ुनहेबोटो, नागालैंड
	व्यक्ति	सुश्री पार्वती नागराजन, विल्लुपुरम, तमिलनाडु	
पहुँच और लाभ साझा करने के लिए पुनर्प्राप्त करने योग्य तंत्र		रायपासा बीएमसी, धलाई, त्रिपुरा	
सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समिति		पिथौराबाद बीएमसी, सतना, मध्य प्रदेश	कोरिंगा बीएमसी, पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश
		इराविपेरूर बीएमसी पथनम्थीता, केरल	मोदी (झेरी) बीएमसी, आसिफाबाद, तेलंगाना
			मीनांगडी बीएमसी, वायनाड, केरल
			सिकरीबारी बीएमसी, धलाई, त्रिपुरा

9.6 अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस (आईडीबी) -2018

अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस समारोह का उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा किया गया था। समारोह में भाग लेने वाले अन्य गणमान्य व्यक्ति थे- श्री ए.के.जैन, आईएएस, अध्यक्ष, एनबीए, और अतिरिक्त सचिव, एमओईएफ और सीसी; श्री हंस राज वर्मा, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार, श्री के शंभू कलोलिकर, आईएएस, प्रमुख सचिव, तमिलनाडु सरकार और डॉ पूर्वजा रामचंद्रन, सचिव, एनबीए।

अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस -2019 का राष्ट्रीय स्तर का उत्सव भारत सरकार और एनबीए द्वारा संयुक्त रूप से 22 मई, 2019 को तमिलनाडु के कलैवनार आरंगम, चेन्नई में तमिलनाडु सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 2019 का विषय था "हमारी जैव विविधता, हमारा भोजन, हमारा स्वास्थ्य"। तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण विभाग के निदेशक डॉ। जयंती मुरली को इस आयोजन के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया।

इस सत्र में जैव विविधता / पर्यावरण के क्षेत्र में कई प्रसिद्ध व्यक्तित्व, केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों के वरिष्ठ अधिकारी (पर्यावरण, वन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, तटरक्षक, राज्य जैव विविधता बोर्ड, प्राधिकरण के सदस्य, वैज्ञानिक और शोधकर्त और बीएमसी के सदस्यों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों, महिला स्व-सहायता समूहों, इको-क्लबों, गैर सरकारी संगठनों आदि के लगभग 1200 प्रतिभागियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसे एक शानदार सफलता दिलाई।

समारोह के दौरान, एक विषयगत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और मानव कल्याण के लिए जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के संगठनों, सीएसओ और एनजीओ के कई विभागों ने भाग लिया।

जीव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37, 38, 40 और 64 के तहत जारी किए गए नियम

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 64

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी के साथ, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बनाएगा।

10.1 जैविक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान और लाभ साझाकरण विनियम, 2014 पर दिशानिर्देश।

आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग पर नागोया प्रोटोकॉल के अनुसरण में धारा 64 की उपधारा (1) के साथ धारा 64 और उप-धारा (4) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, आनुवंशिक विविधता अधिनियम, 2002 के नागोया प्रोटोकॉल के अनुसरण में 29 अक्टूबर, 2010 को जैविक विविधता पर कन्वेंशन के उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने नियमों को "जैव संसाधनों के लिए दिशानिर्देश और संबद्ध ज्ञान और लाभ साझाकरण विनियम, 2014" बनाया और 21 नवंबर 2014 को अधिसूचित किया।

नियमों से तात्पर्य है:

क. जैविक संसाधनों तक पहुंच और / या अनुसंधान के लिए अनुसंधान या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए संबद्ध ज्ञान

ख. वाणिज्यिक उपयोग के लिए या जैव-सर्वेक्षण और वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव-उपयोग के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच की प्रक्रिया

ग. जैविक संसाधनों से संबंधित अनुसंधान के परिणामों के हस्तांतरण की प्रक्रिया

घ. शोध के लिए तृतीय पक्ष को सुलभ जैविक संसाधनों और / या संबद्ध ज्ञान के हस्तांतरण की प्रक्रिया। वाणिज्यिक उपयोग

च. बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए अनापत्ति लेने की प्रक्रिया

छ. वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए लाभ साझाकरण का तरीका; अनुसंधान / वाणिज्यिक उपयोग के लिए तीसरे पक्ष के लिए पहुँच प्राप्त जैविक संसाधनों और / या संबद्ध ज्ञान का हस्तांतरण

10.1.1 विशेषज्ञ समिति को जैविक विविधता अधिनियम और नियमों में मुद्दों की पहचान करना होगा जिसमे बदलाव हो सकता है और जिसमें संशोधन अपेक्षित हो सकता है

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 16.01.2019 के अपने कार्यालय कार्यालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति गठित किया जिसका कार्य जैव विविधता अधिनियम और नियमों में मुद्दों की पहचान करना होगा जिसमे बदलाव हो सकता है और जिसमें संशोधन अपेक्षित हो सकता है. समिति का गठन अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर होगा. तदनुसार, एनबीए ने 6 बैठकों का आयोजन किया और एमओएफ़सीसी को अपनी रिपोर्ट देने की सुविधा प्रदान की।

1) 1) पहली बैठक 22 जनवरी 2019 को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर में आयोजित की गई

2) बीडी अधिनियम और नियमों में मुद्दों की पहचान करने के लिए एनबीए, चेन्नई में 23 और 24 जनवरी 2019 को एनबीए के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई।

3) बीडी अधिनियम और नियमों से संबंधित मुद्दों / चुनौतियों पर 31 जनवरी और 1 फरवरी, 2019 को एमओईएफसीसी, नई दिल्ली में मंथन सत्र आयोजित किया गया।

4) एनबीए, चेन्नई में 08 फरवरी, 2019 को दूसरी बैठक हुई।

5) एनबीए, चेन्नई में अधिनियम / नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों / चुनौतियों पर विभिन्न मंत्रालयों / हितधारकों के समूहों / एसबीबी के साथ परामर्श बैठक 09 और 11 फ़रवरी को आयोजित की गई।

6) एनएलएसआईयू, बेंगलुरु में 15 फरवरी 2019 को रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए में अंतिम बैठक आयोजित की गई.

10.2 जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के तहत जैव विविधता विरासत स्थलों (बीएचएस) की घोषणा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मेघालय, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों ने जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के प्रावधानों के तहत तीन जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस) घोषित किए। निम्नलिखित विवरण तालिका -9 में दिए गए हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान घोषित
जैव विविधता विरासत स्थलों का विवरण

क्रमांक	राज्य	बीएचएस का नाम	स्थान	अधिसूचना संख्या
1	मेघालय	खलव कुर सीमीम किल्लेंग	उमकोन गांव, उमलिंग ब्लॉक, री-भोई जिला	No. For.53/2018/59 dated 13.12.2018
2	उडीसा	मंडरसू	रायकिया ब्लॉक,	No.10F(TR)27/2019/ 5265/F& E dated 12.3.2019
3	पश्चिम बंगाल	चिल्कीगढ़ कनक दुर्गा जैव विविधता विरासत स्थल	जम्बोनी ब्लॉक, झारग्राम जिला	926/ EN/T-II-7/003-ii/2003, dated 16.04.2018 (Gazetted on 21.05.2018)

10.3 जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अंतर्गत संशोधन

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श के साथ केंद्र सरकार को उन पौधों और पशुओं की प्रजातियों को अधिसूचित करे,जो विलुप्त होने के कगार पर हैं क्योंकि उनका स्तित्व खतरे में है. यह इनके किसी भी उद्देश्य के लिए संग्रह को रोकने या विनियमित करने और उन प्रजातियों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए उचित कदम उठाने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। अब तक 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जैसे असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ने कुल 159 पौधों और 175 पशु प्रजातियों को सूचीबद्ध करते हुए बीडी अधिनियम के अनु. 38 के अंतर्गत अधिसूचित किया है.

एमओईएफ़सीसी और एनबीए ने u / s 38 के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने के लिये शेष 13 राज्यों के साथ बात कर रहे हैं। तेलंगाना, गुजरात और नागालैंड की राज्य सरकारों ने हाल ही में खतरे के अंतर्गत आने वाली प्रजातियों को अधिसूचित करने के लिये अपने अनुमोदन की सूचना दे दिया है. एमओईएफ़सीसी बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (बीएसआई) और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जेडएसआई) के साथ प्रजातियों की सूची के अनुवीक्षण के लिये इस विषय पर बातचीत कर रहा है।

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI -600113

Receipts and Payments Account for the year ended 31 st March, 2019

(Amount in Rs)

Receipts	Current Year: 2018-19		Previous Year: 2017-18		Payments	Current Year: 2018-19		Previous Year: 2017-18
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan		Plan	Non-Plan	Plan
A. Opening-Balances:					I. Expenditures:			
					a) Establishment-		0	21,01,157
NBA Account					I previews year Rs. 3293252			
a) Cash in hand	50,000	0	50,000	0	ii) Current Year Rs. 43774319	47067571	0	3,40,29,361
b) Bank Balances:								
SB Account	1,81,38,298	0	1,26,28,798	0	ii) Administrative-Expenses			
B. NBF Account								
a) Bank Balances(SB &	44,80,69,129	0	19,07,73,622	0	a)General Expes	47921048		
b) Fixed Deposit A/c	24,72,91,672	0	28,70,26,965	0	I previews year Rs.738157		0	7,83,626
NBA Asean Project A/c	1,92,29,055	0	1,95,07,138	0	ii) Current Year Rs. 47182891		0	5,94,28,776
C) GEF Bank A/c	7,30,25,718	0	2,45,62,444	0	III. Funding for awarness	91,57,412	0	67,95,985
F) CEBPOL Bank A/c	91,76,363	0	1,42,36,917	0	Iv) Fixed Assets	14,19,817	0	1,71,250
e) unclassifed receipts suspense A/c	1,00,122							
II. Grants-Received:					III) GIA to SBB's			
a) Grant Received from	18,50,00,000	0	19,22,60,040	0	a)Strenghening of SBBs	3,05,36,517	0	3,18,59,763
					b)Constitution of BMCs.& PBRs.Preparation	4,98,97,885	0	5,34,72,543
b) Refund of GIA from								
III. Income on-Investments from					II) Refund of interest earend on GIA to Govt.	23,06,844	0	524998
a) Earmarked / Endowment Funds				0	VII.Other Payments			
					Miscellaneous Expenditure/ Bank Charges on NBF A/c	620	0	909
					Deposits/E.M.D.repaid	2,38,000	0	61,000
					b) ACB project		0	19,230
					Project A/c			
					CEBPOL A/c	53,54,571	0	58,02,486
IV. Interest received					GEF.Project A/c	5,79,26,504	0	3,28,39,591
A) NBA A/c	17,46,793	0	23,06,844	0	NBA Asean Project A/c	46,76,187	0	476937
b) NBA Fund A/c	1,72,03,960	0	13369647	0				
On Fixed Deposit	70,22,010	0	127588					
V. Income to NBF A/c								
A) Application fee	39,29,536	0	9,34,111	0				
b) Royalty Fees/Upfront	3,55,50,131	0	65,13,975	0				
c) 5% Benefit Sharing	25,58,11,265	0	17,63,51,094	0				
VI. Other Income								
c) Refund of Expendutre		0	3,445	0				
Fixed deposit returned	10102267	0	2,02,64,707					
b) Sale of Newspapers		0	3,169	0				
C) RTI filing fee	120	0	70	0				
g) unclassifed receipts suspense A/c	1,51,350	0	1,00,122					
VI. Amount - Borrowed								
VII. Other Receipts: Earnest Money / Security Deposit / Ret.Money recd.from Contractors		0	1,15,000	0				

Receipts	Current Year: 2018-19		Previous Year: 18	2017	Payments	Current Year: 2018-19		Previous Year: 2017-18
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan		Plan	Non-Plan	Plan
VIII _ Project Account								
CEBPOL A/c	3,45,211		7,41,932	0				
		0						
GEF Project A/c	19,42,388		8,13,02,866	0				
		0						
NBA Asean Project A/c	7,17,743	0	1,98,855	0				
Performance Guaranttee	9,750		0	0				
Tax refund with Interest	896442	0	68620					
					VIII. Closing – Balances			
					a) Cash in hand	50,000	0	50,000
					b) Bank Balances:			
					(i) In Deposit A/c	25,73,93,939	0	24,72,91,672
					(ii) In Savings A/c	1,72,48,309	0	1,81,38,298
					(ii) In Fund A/c	76,78,36,884	0	44,80,69,129
					c) GEF Cash & Bank A/c	1,70,41,602	0	7,30,25,718
					d) CEBPOL Bank A/c	41,67,003	0	91,76,363
					NBA Asean Project A/c	1,52,70,610	0	1,92,29,055
					e) unclassifed receipts suspense A/c		0	1,00,122
Total	**133,55,11,323**	**0**	**104,34,47,969**	**0**	**Total**	**133,55,11,323**	**0**	**104,34,47,969**

ACCOUNTS OFFICER

SECRETARY

CHAIRPERSON

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI -600113

Income and Expenditure Account for the year ended 31st.March,2019

(Amount in Rs.)

INCOME	Sch. No.	Current Year: 2018-19		Previous Year: 2017-18	
		Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
Income from Sales / Services	12				
Grants/ Subsidies: Rs. Grants received as per Sch.No.13 18,50,00,000 un utilized Grants for 2018-19 1,52,82,950 Add: Receivable for year 2018-19 + 50,00,000 Less: Capitalization of Fixed Assets-} during the year 2018-19 } (-) 14,19,817 Net Income from Grants 20,38,63,133	13	20,38,63,133	0	20,38,28,750	0
Fees / Subscription	14	0	0	0	0
Income from Investments (Income on Investments from Earmarked / Endowment Funds transferred to Funds)	15	0	0	0	0
Income from Royalty, Publication etc.	16	0	0	0	0
Interest Earned	17	21,08,339	0	22,78,888	0
Other Income	18	8,96,562	0	3,65,014	0
Increase / (decrease) in stock of Finished goods and works in-progress	19	0	0	0	0
Income receivable from Govt.Gratutiy & leave salary		405530		1284650	
TOTAL (A)		**20,72,73,564**	**0**	**20,77,57,302**	**0**
EXPENDITURE					
Establishment Expenses	20	4,79,88,629	0	3,86,12,332	0
Other Administrative Expenses etc.	21	5,74,60,745	0	7,14,51,576	0
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	8,04,34,402	0	8,53,32,306	0
Interest	23	0	0	0	0
Depreciation as per Schedule 8		9,93,702	0	15,85,364	0
Difference of Dep.from WDV to SLM Rs. 9617916 Add: Purchase value on eleminated asset Rs. 669076 Less:Acc Dep. As per WDV Rs. 382249 Add : Dep. Added back Rs.7416		99,12,159	0	0	0
Payable to Government: Un-Utilized Grant Revalidation for the year 2019-20 1,42,82,700 Saving Bank Interest 2018-19 21,08,339		1,63,91,039		1,80,86,836	
TOTAL (B)		**21,31,80,676**	**0**	**21,50,68,414**	**0**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		-5,907,112	0	-7,311,112	0
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24				
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25				

ACCOUNTS OFFICER

SECRETARY

CHAIRPERSON

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI -600113

Balance Sheet for the year ended 31st March, 2019

(Amount in Rs.)

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Sch. No.	Current Year: 2018-19		Previous Year: 2017-18	
		Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
CAPITAL FUND	1	18,62,115	0	63,49,410	0
RESERVES AND SURPLUS	2		0	0	0
NATIONAL BIODIVERSITY FUND	3	105,65,34,359	0	70,69,22,421	0
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	0	0	0	0
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	0	0	0	0
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	0	0	0	0
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	3,28,30,986	0	3,46,81,904	0
TOTAL		**109,12,27,460**	**0**	**74,79,53,735**	**0**
ASSETS					
FIXED ASSETS	8	28,98,810	0	1,23,84,854	0
INVESTMENTS–FROM EARMARKED/ ENDOW MENT FUNDS	9	0	0	0	0
INVESTMENTS – OTHERS	10	0	0	0	0
CURRENT ASSETS,LOANS,ADVANCES ETC.	11	108,83,28,650	0	73,55,68,881	0
TOTAL		**109,12,27,460**	**0**	**74,79,53,735**	**0**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24				
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUN TS	25				

ACCOUNTS OFFICER SECRETARY CHAIRPERSON

वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक योजना

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत की जैव विविधता अधिनियम को लागू करने के लिए और कन्वेंशन द्वारा जैविक विविधता (सीबीडी) पर दिए गए जनादेश को पूरा करने के लिए भी हर वर्ष कार्रवाई बिंदुओं की एक सूची निर्धारित करता है। राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की सक्रिय भागीदारी के साथ 2019-20 के दौरान निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

1) बीएमसी के राज्य-वार नेटवर्क और पीबीआर की तैयारी में अब तक की गई प्रगति की समीक्षा, मौजूदा परिचालन प्रक्रिया में चुनौतियों और कमियों का विश्लेषण करना। बीएमसी की कार्यात्मक स्थिति का आकलन करना और देश के जैवविविधता संपन्न क्षेत्रों में और आसपास के बीएमसी के पुनरुद्धार को प्राथमिकता देना।

2) राज्यों में पीबीआर की तैयारी के लिए अनुकूलित तंत्र की समीक्षा (साइट और राज्य विशिष्ट कार्यप्रणाली; कैप्चर किए गए आंकड़ों का प्रमाणीकरण, वित्तीय सहायता का उपयोग, सहायता की मात्रा के संशोधन की आवश्यकता, यदि कोई हो आदि)।

3) एनबीए सभी केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत शुरू करने में एमओईएफसीसी के हस्तक्षेप की कोशिश करेगा और अधिनियम की धारा 22 (2) से संबंधित शक्तियों या कार्यों को प्रत्यायोजित करने की प्रक्रिया को गति प्रदान करेगा और अंडमान - निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह में विशेष जोर देने के साथ संघ शासित प्रदेशों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन की सुविधा प्रदान करेगा।

4) एसबीबी द्वारा प्रलेखित डेटा को संकलित करने के लिए एक समान प्रारूप विकसित करने के लिए पीबीआर को डिजिटल करना।

5) बीएमसी के गठन और पीबीआर की तैयारी के लिए अनुदान से एसबीबी के लिए सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके पूरे भारत में स्थानीय निकायों के एक डिजिटल डेटाबेस का निर्माण।

6) जैव-संसाधनों, उनके संरक्षण और सतत प्रबंधन से संबंधित लाइन विभागों के साथ वन्यजीव, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित करना।

7) विभिन्न हितधारकों के लिए गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, अकादमिक, सरकारी विभागों के माध्यम से जैव विविधता अधिनियम, 2002 पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और सेमिनारों का आयोजन।

8) विभिन्न हितधारकों के लिए बीडी अधिनियम, 2002 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मीडिया, प्रिंट, आचरण क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना।

9) बीडी अधिनियम की धारा 40 के तहत सामान्य रूप से कारोबार होने वाली वस्तुओं (एनटीसी) के रूप में वर्गीकृत किए गए जैव संसाधनों की सूची में सुधार की आवश्यकता पर आधारित सुधार की सुविधा देना।

10) बीडी अधिनियम की धारा 38 के तहत विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी प्रजातियों की सुरक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था और सुविधा प्रदान करना।

11) राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के विकास और पंचायती राज, हैदराबाद के सहयोग से स्थानीय स्वशासन पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों को लाभान्वित करने के लिए जैव विविधता शासन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को लागू करना।

12) विषय विशेषज्ञ समितियों को विषय मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए और निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण की बैठकें आयोजित करना।

13) एनबीए सचिवालय में एनआईसी के साथ मिलकर एबीएस अनुप्रयोगों के वास्तविक समय प्रसंस्करण को लागू करना।

14) प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए रेड सैंडर्स की रिपोर्ट में लिए गए निर्णयों को लागू करना।

15) लाभार्थियों के साथ विशेष रूप से बोवाइन मवेशी भ्रूण और रेड सैंडर्स के उपयोग पर अर्जित लाभार्थियों के साथ जैविक संसाधनों और / या संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से अर्जित लाभ साझा करना.

16) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली की प्रधान पीठ ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और जैविक विविधता नियम, 2004 के प्रवर्तन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए नोटिस जारी किया। माननीय एनजीटी ने यह देखा कि देश में विद्यमान स्थानीय निकायों की कुल संख्या के उक्त अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन में अंतर था। इस आदेश के अनुपालन में, एमओईएफसीसी के साथ समन्वय में एनबीए राज्य सरकारों, राज्यों के पंचायती राज विभाग और राज्य जैव विविधता बोर्डों के साथ आवधिक बैठकें करेगा। अतिरिक्त सचिव, एमओईएफसीसी जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बीएमसी के शीघ्र गठन के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों को अनुरोध करते हुए पत्र लिख सकते हैं। एनबीए बीएमसी के गठन और राज्यों की पीबीआर तैयार करबे की दिशा में किए गए कार्यों और प्रगति पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां

13.1. कानूनी और नियामक ढांचे की समीक्षा

13.1.1 वर्तमान में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा या उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं

विधि कक्ष विभिन्न अदालतों / न्यायाधिकरणों के समक्ष राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण / पर्यावरण और वन मंत्रालय के खिलाफ मुकदमों से निपटने के लिए और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के लिए पेश वकील की सहायता के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के उल्लंघन और उक्त अधिनियम के तहत जारी किसी भी आदेश या निर्देश से संबंधित मामलों को लेकर सक्रिय कदम उठा रहा है। एनबीए में लंबित मामलों की सूची तालिका -10 में दी गई है।

तालिका 10- विभिन्न न्यायालयों / न्यायाधिकरणों के समक्ष एनबीए में लंबित मामलों की सूची-

क्रमांक	अदालत/ट्रिब्यूनल का नाम	केस संख्या	संख्या
1	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP 8137 of 2018	1
2	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP 17471 of 2019	1
3	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP 18122 of 2019	1
4	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP 18141 of 2019	1
5	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	CIVIL APPEAL 5827 of 2019	1
6	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	CIVIL APPEAL 5826 of 2019	1
7	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP 7951 of 2014	1
8	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	Criminal Appeal No.1720 / 2015	1
9	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	Criminal Appeal No.1721 / 2015	1
10	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, चेन्नई	O A No.10/2014	1
11	जे.एम,एफ़सी, धारवाड	C.C.579 of 2012	1
12	धारवाड़ में कर्नाटक बेंच का उच्च न्यायालय	Crl. P.No.100616 of 2014	1
13	धारवाड़ में कर्नाटक बेंच का उच्च न्यायालय	Crl. P.No.100618 of 2014	1
14	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल , (पीबी –कोर्ट संख्या. II) नई दिल्ली	Original Application No.347/2016	1
15	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर बेंच	W.P. No.6968/2017	1
16	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर बेंच	W.P No. 8880 of 2019	1
17	बंबई उच्च न्यायलयt	W.P. No. 414 of 2018	1
18	केरल उच्च न्यायलय, एर्णाकुलम	W.P (Civil) No. 41622 of 2018	1
19	केरल उच्च न्यायलय, एर्णाकुलम	W.P (Civil) No. 41976 of 2018	1
20	केरल उच्च न्यायलय, एर्णाकुलम	W.P (Civil) No. 41903 of 2018	1
21	केरल उच्च न्यायलय, एर्णाकुलम	W.P (Civil) No. 42017 of 2018	1
22	कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर	W.P. No. 5546 of 2019	1
23	कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर	W.P. No. 6111 of 2019	1

13.1.2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आवेदन और अपीलें सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप विधि कक्ष द्वारा संसाधित की गईं थी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा, मामलों के अनुसार, विधि कक्ष के सहयोग से निपटाई गई थीं। समीक्षाधीन अवधि में निपटाए गए आरटीआई की कुल संख्या 38 है।

13.1.3 समझौते का मसौदा तैयार करना

समझौतों का कानूनी अनुवीक्षण, समझौता ज्ञापन और अन्य दस्तावेज विधि कक्ष के अन्य कार्यों में से एक है।

13.1.4 एसबीबी नियम

एनबीए ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 63 के तहत उन्हें दी गई शक्तियों के अनुसार विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए राज्य जैविक विविधता नियमों की समीक्षा किया। राज्य जैविक विविधता नियमों की समीक्षा एनबीए द्वारा या तो स्वत: संज्ञान लेकर या संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) के ज़्नुरोध के आधार पर की गई है।

13.2 एनबीए द्वारा एसबीबी को वित्तीय सहायता प्रदान की गई

एनबीए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की दिशा में ग्रांट-इन-एड्स द्वारा सभी राज्य जैव विविधता बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है। इस दिशा में, एनबीए ने हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्यों में 513 नई बीएमसी की स्थापना के लिये ने रु. 3,31,64,792/- की राशि जारी किया। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और पंजाब में 138 पीबीआर की तैयारी के लिए 1, 69, 20,000 / - की कुल राशि जारी की गई थी।

इसके अलावा, एनबीए ने एसबीबी को रु .2, 97, 91,822 / - रुपये की वित्तीय सहायता जारी की, जो बुनियादी ढांचे के घटकों, संविदात्मक कर्मचारियों के आउटसोर्सिंग, प्रशिक्षण और हितधारक समूहों की क्षमता निर्माण, सहकर्मी से सहकर्मी के लिए मांगी गई वित्तीय सहायता के लिये, एसबीबी / बीएमसी के लिए एक्सचेंज विजिटिंग, ज्ञान सामग्री की छपाई और प्रसार, थीमेटिक एक्सपर्ट कमेटी के गठन और 2018-19 के दौरान देश भर के 23 राज्यों के लिए वेबसाइट अनुरक्षण हेतु है। 31.03.2019 के अनुसार गठित बीएमसी और तैयार किये गये पीबीआर कुल सूची तालिका 11 में दी गई है।

तालिका 11- राज्यवार गठित बीएमसी और 31.03.2019 के अनुसार तैयार पीबीआर –

राज्य	जिला पंचायतें		मध्यवर्ती पंचायतें (ब्लॉक / तालुक / मंडल / नगर पालिका / नगर निगम))		ग्राम / ग्राम पंचायतें		सभी स्तरों पर गठित बीएमसी की किल संख्या	सभी स्तरों पर प्रलेखित पीबीआर की कुल संख्या
	कुल	गठित	कुल	गठित	कुल	गठित		
आंध्र प्रदेश	13	3	664	624	12924	5689	6316	200
अरूणाचल प्रदेश	25	0	177	0	1795	139	139	43
आसाम	26	0	189	189	2241	40	229	136
बिहार	38	0	534	0	8386	0	0	0
छत्तिसगढ	27	0	146	0	10978	242	242	0
गोवा	2	0	14	1	191	191	192	0
गुजरात	33	0	407	0	13996	7596	7596	1164
हरियाणा	22	1 5	140	15	6222	1732	1762	0
हिमाचल प्रदेश	12	4	132	2	3226	713	719	6
जम्मू व काश्मीर	22	0	306	0	4172	0	0	0
झारखंड	24	07	294	126	4391	3730	3863	25
कर्नाटक	30	16	176	148	6022	5350	5514	1958
केरल	6	6	87	87	941	941	1034	932
* मध्य प्रदेश	50	50	313	0	23381	23381	23431	890
महाराष्ट्र	34	15	681	141	27835	24334	24490	18
मणिपुर	12	0	40	4	2676	163	167	22
मेघालय	11	0	46	0	6839	280	280	45
मिजोरम	8	0	26	0	534	286	286	5
नागालैंड	11	0	74	0	1238	122	122	0
उडीसा	30	0	314	0	6801	2480	2480	104
पंजाब	22	22	145	17	1310	35	74	43
राजस्थान	33	0	295	0	9892	119	119	0
सिक्किम	4	0	0	0	187	42	42	4
तमिलनाडु	31	0	385	385	12524	664	1049	0
तेलंगाना	33	5	662	70	12751	3109	3184	173
त्रिपुरा	8	0	70	55	1178	821	876	467
उत्तराखंड	13	0	173	0	7956	948	948	124
उत्तर प्रदेश	75	1	821	0	58781	58781	58782	325
पश्चिम बंगाल	23	0	468	435	3341	0	435	150
कुल।	**678**	**144**	**7779**	**2299**	**252709**	**141928**	**144371**	**6834**

*मध्य प्रदेश – पुनर्गठित बीएमसी की संख्या (2015-19) – 683 जीपी स्तर पर

13.3 राज्य जैव विविधता बोर्डों की राष्ट्रीय बैठक

राज्य की जैव विविधता बोर्ड (SBB) की तेरहवीं (13 वीं) राष्ट्रीय बैठक देश में विभिन्न राज्यों में जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तीस्ता हॉल, इंदिरा पीरवरन भवन,एमओईएफसीसी, नई दिल्ली में 29 दिसंबर, 2018 को आयोजित की गई थी। यह वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की स्थापना के बाद से आयोजित होने वाली ऐसी वार्षिक राष्ट्रीय बैठकों की श्रृंखला के अनुरूप था। एसबीबी की राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन पर्यावरण, वन & जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा किया गया था।, जो इस अवसर के मुख्य अतिथि थे। श्री सिद्धान्त दास, आईएफएस, महानिदेशक वन, एमओईएफसीसी; डॉ. ए के मेहता, अतिरिक्त सचिव, एमओईएफसीसी, डॉ. सुजाता अरोड़ा, सलाहकार, एमओईएफसीसी, डॉ. कुलदीप सिंह, निदेशक, एनबीपीजीआर, श्री यशवीर सिंह, आर्थिक सलाहकार, एमओईएफसीसी और श्रीमती अमरजीत आहूजा, आईएएस (सेवानिवृत्त) बैठक मे षामिल होने वाले अन्य गणमान्य व्यक्ति थे। 22 एसबीबी के अध्यक्ष और सदस्य सचिव, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, प्राधिकरण के सदस्य, एमओईएफसीसी के अधिकारीगण सहित लगभग 80 प्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों से विशेष आमंत्रित और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि एसबीबी की इस वार्षिक बैठक में भाग लिए।

एसबीबी की तेरहवीं राष्ट्रीय बैठक ने जैव विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में विशेष रूप से जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की स्थापना और हाल ही में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पारित एक आदेश के पीछे ड्रॉप में जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करने की भी समीक्षा की।

जैव विविधता विविधता (सीबीडी) पर भारत की प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रासंगिक राष्ट्रीय लक्ष्यों सहित आइची जैव विविधता लक्ष्य की दिशा में प्रगति की समीक्षा की गई। सीबीडी को 6 वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट पूरे देश में आयोजित परामर्शों में प्राप्त इनपुट और कन्वेंशन को लागू करने के लिए की गई कार्रवाई के आधार पर तैयार की गई थी। माननीय मंत्री ने इस बैठक के दौरान छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत की और "भारत की प्रगति पर राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य- A पूर्वावलोकन" नामक एक सूचनात्मक दस्तावेज़ जारी किया।

बैठक में विचार-विमर्श एसबीबी द्वारा अधिनियम के दायरे में किए गए मुख्य गतिविधियों, इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सामूहिक अनुभवों को साझा करने और राज्यों के विभिन्न मामलों पर कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन में किए गए प्रयासों पर आधारित था।

13.4 सरकारी संस्थानों / विभागों के साथ उच्च स्तरीय बातचीत:

1. डॉ. बी मीनाकुमारी अध्यक्ष राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने मेक्सिको सिटी, मैक्सिको में 24-25 मई 2018 को "2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा" के नागोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन और इसके योगदान के लिए प्रैक्टिकल तरीके फॉरवर्ड चैलेंज और थर्ड एबीएस डायलॉग में भाग लिया। संवाद में अफ्रीका, यूरोपीय संघ, होंडुरास, भारत, केन्या, मैक्सिको, पेरू और वियतनाम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

2. श्री टी. रविकुमार, सचिव, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ने 19-20 जून, 2018 को पेरिस, फ्रांस में सत्र के लिए एथिकल बायोड्रेड (यूईबीटी) की कंपनियों के लिए वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया और भारत में मौजूदा एबीएस कानून, जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए आवेदन प्रक्रिया और लाभ-बंटवारे पर प्रकाश डाला। उन्होंने संबंधित सामुदायिक सशक्तिकरण का भी वर्णन किया, जो कि जैविक संसाधनों की प्रकृति और विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि जैविक संसाधनों जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधन, पर्यावरणीय बायोरेमेडिएशन, न्यूट्रास्यूटिकल, अनुसंधान और रेड सैंडर्स के निर्यात (एक उच्च मूल्य वाले जैव- संसाधन) की खरीद करता है।
3. 28 मई 2018 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जैव विविधता विभाग के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) से प्राप्त चर्चा पत्र पर चर्चा की गई थी। , जिसमें सचिव, एनबीए ने भाग लिया।
4. संसदीय अनुमान समिति ने 2 जुलाई 2018 को तमिलनाडु के ऊटी में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), तमिलनाडु जैव विविधता बोर्ड और सरकारी वनस्पति उद्यान के प्रतिनिधियों के साथ 'जैव विविधता और पर्यावरण-संरक्षण विषय' पर अनौपचारिक चर्चा किया. एनबीए ने सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब तैयार किए और लोकसभा सचिवालय को आगे प्रसारण के लिए एमओईएफसीसी को भेजा।

13.5 चौथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव(आईआईएसेफ़) -2018

5-8 अक्टूबर, 2018 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान के सहयोग से चौथे आईआईएसएफ़ 2018 का आयोजन किया गया था। आईआईएसएफ़ का उद्देश्य युवा छात्रों, वैज्ञानिक और टेक्नोक्रेट को एक मंच प्रदान करना है। स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटीज, नमामि गंगे, अननाथ शरत अभियान आदि जैसे प्रमुख कार्यक्रमों की लाइन में ज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान के लिए यह भूमिका पर जोर देता है। यह जनता के लिए विज्ञान की भूमिका और समाज के लिए विज्ञान पर जोर देता है।

चौथे आईआईएसएफ़ का उद्घाटन 6 अक्टूबर, 2018 को लखनऊ में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था और इसमें लगभग 10000 प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व किया गया था जिसमें 5000 छात्र, 550 शिक्षक, पूर्वोत्तर क्षेत्र के 200 छात्र, 20 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और लगभग 200 स्टार्ट-अप शामिल थे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने लखनऊ में चार दिवसीय विज्ञान महोत्सव में कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का उद्घाटन किया, जिनमें युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, वैश्विक भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी हितधारकों की बैठक (जिस्ट) और मेगा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग एक्सपो शामिल हैं। । IISF-2018 की अपनी फोकल थीम "परिवर्तन के लिए विज्ञान" में 23 विशेष कार्यक्रम थे।.युवा वैज्ञानिकों के काम के प्रदर्शन और और कई प्रदर्शनियां आयोजित की गई थी।

आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने हॉल नंबर 3 में मेगा साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री एक्सपो में एक स्टॉल लगाया। एनबीए की ओर से, प्रोजेक्ट टीमों यूएनईपी-जीईएफ़-एमओईएफ़सीसी ने आईआईएसएफ़ 2018 के कार्यक्रम प्रतिभागियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक प्रदर्शनी लगाई। यूएनईपी-जीईएफ़ और सेबाल, एनबीए की टीम के सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया। एनबीए प्रदर्शनी में जैव विविधता अधिनियम 2002 से संबंधित 16 पोस्टर, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के बारे में लगाए गये जैसे-

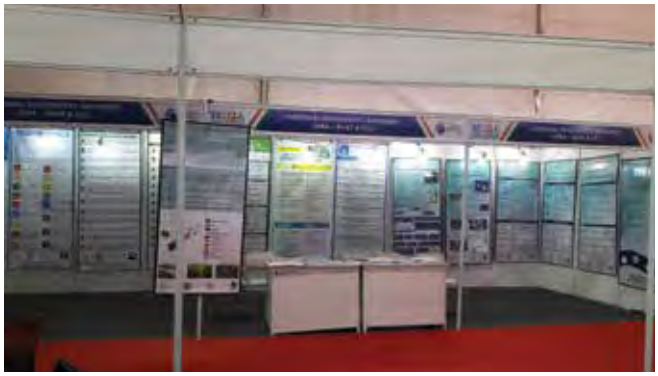

पहुँच और लाभ साझाकरण स्पष्टीकरण, जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (बीएमसी), जैव विविधता का आर्थिक मूल्यांकन, सतत विकास लक्ष्य, राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य, ऐची जैव विविधता लक्ष्य, उत्तर प्रदेश में जैव विविधता क्षेत्र आदि और जैव विविधता हितधारकों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को कई एनबीए प्रकाशन सामग्री वितरित की गई।

13.6 एनबीए द्वारा मनाये गये / आयोजित महत्वपूर्ण दिवस-

13.6.1 एनबीए के 15 वें स्थापना दिवस का आयोजन

एनबीए का 15 वाँ स्थापना दिवस 1 अक्टूबर, 2018 को एनबीए, चेन्नई में मनाया गया। प्रो. डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन, पूर्व सचिव डेयर और

आईसीएआर, एमओए एंड एफडब्ल्यू, जीओआई और संस्थापक, एमएसएसआरएफ, गेस्ट ऑफ ऑनर थे। श्री हंस राज वर्मा, आईएएस, सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मुख्य अतिथि थे, जबकि एनबीए ककी अध्यक्ष डॉ. बी. मीनाकुमारी ने समारोह की अध्यक्षता की थी। दिनेश मिश्रा, प्राधिकरण सदस्य और डॉ. एच. मल्लेशप्पा, आईएफ़एस. पीसीसीएफ़ और एचओएफ़एफ़, तमिलनाडु वन विभाग भी इस उत्सव में शामिल हुए। इस आयोजन के दौरान यूएनईपी-जीईएफ परियोजना का एक प्रकाशन "एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए वार्ता" शीर्षक से जारी किया गया।

13.6.2 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2018 को एनबीए, चेन्नई में मनाया गया। अध्यक्ष, एनबीए की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें श्री श्रीरविशंकर के आर्ट ऑफ़ लिविंग प्रोग्राम से योग के प्रतिपादक श्री मारुत

एसवीपीआर ने योग के महत्व को समझाया और योग का बुनियादी प्रशिक्षण भी दिया।

13.6.3 हिंदी दिवस

एनबीए के कर्मचारियों ने 14 सितंबर, 2018 को हिंदी दिवस मनाया। हिंदी सप्ताह के उपलक्ष्य में एनबीए में एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। प्रो. एल.अमजद अली खान मुख्य अतिथि थे और उन्होंने हिंदी भाषा के महत्व पर भाषण दिया। हिंदी में पढ़ना, लिखना, गाना, प्रश्नोत्तरी और स्मृति खेल जैसे विषय एनबीए के कर्मचारियों के लिए आयोजित किए गए और 14 सितंबर, 2019 को मुख्य अतिथि द्वारा विजेताओं को पुरस्कार दिए गए.।

13.6.4 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

केंद्रीय सतर्कता आयोग और एमओईएफ और सीसी के निर्देशानुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर 30 अक्टूबर, 2018 को सभी

एनबीए कर्मचारियों को एक अखंडता प्रतिज्ञा दिलाई गई और कर्मचारियों को उस दिन और उसके महत्व के बारे में बताया गया।

13.7 परियोजनाएं / कार्यक्रम

बीडी अधिनियम और नियमों के माध्यम से अनिवार्य कार्यों के अलावा, एनबीए को एमओईएफ और सीसी द्वारा विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय परियोजनाओं / कार्यक्रमों को लागू करने के कार्यों के साथ सौंपा गया है। परियोजनाओं / कार्यक्रम का उद्देश्य सीबीडी और बीडी अधिनियम के लक्ष्यों को आगे और पूरा करना है।

13.7.1 यूएनईपी - जीईएफ़ – एमओईईएफ़ और सीसी एबीएस परियोजना

उद्देश्य

यूएनईपी - जीईएफ - एमओईएफ और सीसी परियोजना का उद्देश्य एबीएस पर संस्थागत, व्यक्तिगत और प्रणालीगत क्षमताओं को बढ़ाना है जिससे भारत मे जैव विविधता अधिनियम 2002 तथा नियम 2004 का कार्यान्वयन पहुंच और लाभ साझाकरण करार कार्यान्वयन के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण को प्राप्त किया ज सके।

कार्यान्वयन एजेंसी और साझेदार

यह परियोजना वर्तमान में भारत के दस प्रांतीय राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में लागू की जा रही है।

एनबीए दस राज्य जैव विविधता बोर्ड, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (बीएसआई), जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जेडएसआई), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम - डिवीजन ऑफ एनवायरनमेंटल लॉ एंड कन्वेंशन (यूएनईपी /डीईएलसी) के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय - इंस्टीट्यूट फॉर द एडवांस्ड स्टडी ऑफ सस्टेनेबिलिटी (यूएनयू-आईएस) और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ़) इस परियोजना को कार्यान्वित करता है।

परियोजना के घटक

परियोजना के मुख्य घटक हैं:

- एबीएस के लिए संभावित जैव विविधता की पहचान और चयनित पारिस्थितिकी प्रणालियों जैसे कि वन, कृषि और आर्द्रभूमि में उनका मूल्यांकन।
- जैविक विविधता अधिनियम के एबीएस प्रावधानों को लागू करने के लिए उपकरण, कार्यप्रणाली, दिशानिर्देश, रूपरेखा का विकास।
- एबीएस पर पायलटिंग समझौते
- राष्ट्रीय स्तर पर एबीएस प्रावधानों से संबंधित नीति और विनियामक ढाँचों का कार्यान्वयन और जिससे अंतर्राष्ट्रीय एबीएस नीति के मुद्दों में योगदान होता है।
- बीडी अधिनियम के एबीएस प्रावधानों के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण।
- जन जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ाना।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान:

1. यूएनईपी-जीईएफ़-एमओईएफ़सीसी एबीएस प्रोजेक्ट टीम ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और तेलंगाना राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा आयोजित प्रो. जयशंकर तेलगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विविधता 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शैक्षिक प्रदर्शनी का समन्वय किया।. प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय श्री जोगू रमन्ना, माननीय मंत्री पर्यावरण, वन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और बीसी कल्याण, तेलंगाना सरकार ने किया। प्रदर्शनी में विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, जैव विविधता प्रबंधन समितियों, विकास एजेंसियों और गैर-लाभकारी एजेंसियों को कवर करने वाली 26 से अधिक विभिन्न एजेंसियों द्वारा भाग लिया गया था।

2. प्रदर्शनी का अवलोकन एमओईएफ़सीसी, भारत सरकार और एनबीए के अधिकारियों जैसे अतिरिक्त सचिव श्री अरुण कुमार मेहता, सलाहकार, डॉ. सुजाता अरोरा औ क्रमश: अध्यक्ष डॉ. मीनाकुमारी बी, श्री रबीकुमार, सचिव ने किया।
3. कार्यक्रम के दौरान परियोजना प्रबंधन इकाई यूएनईपी-जीईएफ़, एनबीए ने त्रिपुरा राज्य से ब्रूम ग्रास को कवर करने वाले एक मामले के साथ फिल्म को एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग पर लॉन्च किया।

जैव संसाधनों के साथ जुड़े पारंपरिक ज्ञान का विमोचन- एक केस दस्तावेज:

यूएनईपी-जीईएफ-एमओईएफसीसी एबीएस परियोजना, राज्य परियोजना इकाइयों से टीम के सदस्यों की मदद से "जैविक संसाधनों से संबद्ध पारंपरिक ज्ञान - एक केस दस्तावेज" नामक एक दस्तावेज विकसित किया, जो जैव से जुड़े पारंपरिक ज्ञान और जानकारी में नीतिगत अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए एक व्यापक प्रकाशन का प्रयास है। -संसाधन दस्तावेज़ का उद्देश्य नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को कानूनी तंत्रों को लागू करने के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना है जो बदले में नवप्रवर्तनकर्ताओं, ज्ञान और सूचना के धारकों को जैविक संसाधनों के संरक्षण और निरंतर उपयोग के लिए समान हिस्सा पाने में मदद करते हैं। डॉ। आर.एस. राणा, अध्यक्ष, एक्सपर्ट कमेटी, एग्रोबायोडायवर्सिटी पर अध्यक्ष द्वारा 11 सितंबर, 2018 को एक्सपर्ट कमेटी ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के उत्सव के दौरान, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के परिसर में आयोजित किया गया।

यूएनईपी-जीईएफ़-एमओईएफ़सीसी एबीएस परियोजना की समीक्षा बैठक:

एनबीईपी-जीईएफ-एमओईएफसीसी एबीएस परियोजना की समीक्षा बैठक एनबीए में 12 सितंबर को आयोजित की गई। दस प्रांतीय राज्यों के

प्रतिनिधियों ने परियोजना के प्रत्येक घटक के तहत आयोजित अपनी गतिविधियों को प्रस्तुत किया। परियोजना गतिविधियों की भविष्य की योजना के लिए चर्चा के बिंदु और सुझाव नोट किए गए थे।

आठवीं परियोजना संचालन समिति:

19 सितंबर, 2018 को नर्मदा पर "पहुंच और लाभ साझाकरण प्रावधानों पर ध्यान देने के साथ जैविक विविधता अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने" पर यूएनईपी-जीईएफ़-एमओईएफ़सीसी एबीएस परियोजना की आठवीं परियोजना संचालन समिति (8 वीं पीएससी) की कॉन्फ्रेंस हॉल, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ़सीसी), नई दिल्ली बैठक में हुई। । बैठक की अध्यक्षता श्री अरुण कुमार मेहता, अतिरिक्त सचिव, एमओईएफसीसी और पीएससी के अध्यक्ष ने किया।

यूएनईपी-जीईएफ़-एमओईएफ़सीसी एबीएस परियोजना, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, एमओईएफ़सीसी, भारत सरकार द्वारा "भारत के इनसाइट्स हेड ऑफ़ इंप्लीमेंट ऑफ़ एक्सेस एंड बेनेफिट-शेयरिंग एंड लॉन्च ऑफ़ अ ऑनलाइन कोर्स आफ़ एबीएस" पर आयोजित किया गया.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार की सलाहकार डॉ. सुजाता अरोड़ा ने शुरुआत में शर्म अल शेख, मिस्र में साइड इवेंट के प्रतिभागियों का स्वागत किया; विभिन्न देशों के दलों का स्वागत करते हुए और टिप्पणी करते हुए, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां जैसे यूएनडीपी, एफ़एओ, यूएनयू-आईएएस, एससीबीडी, जीआईजेड, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जैसे कि नॉर्वेजियन एनवायरनमेंट एजेंसी, आईसीएनईटी, एनईपीए, आईयूसीएन, एसीबी जो नागोया प्रोटोकॉल पर कार्य कर रही हैं और कार्यान्वयन कर रही हैं, ने अपने-अपने देशों में एबीएस तंत्र, उसने नागोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन और भारतीय संसद द्वारा लागू प्रासंगिक कानूनों पर भारत में जैव-विविधता नीतियों के साथ-साथ भारत में उठाए गए हस्तक्षेपों और पहलों का संदर्भ साझा किया। उन्होंने एबीएस तंत्र के मूल सिद्धांतों, भारतीय जैविक विविधता अधिनियम 2002 और नियम 2004 के महत्व को समझाया, संघीय भारत में जैविक विविधता अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन की संस्थागत संरचना। उसने भारत के भीतर एबीएस नियामक ढांचे और जैविक विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति और भारतीय संदर्भ में एबीएस प्रावधानों पर भी जानकारी दी। सचिव, एनबीए ने अधिनियम की व्याख्या करते हुए भारत भर में इसके कार्यान्वयन की कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों छूट, दिशानिर्देश, क्षेत्रवार एबीएस अनुप्रयोग, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से किए गए लाभ साझा करने वाले घटक और क्षमता निर्माण जैसे यीएनईपी-जीईएफ़, यूएनडीपी-जीईएफ़, जीआईजेड और सेबाल की पहल को साझा किया।

परियोजना की उपलब्धियां:

इस परियोजना में कुल 318 जैव विविधता प्रबंधन समितियों, 297 स्थानीय जैव विविधता कोष और प्रलेखित 140 लोगों की जैव विविधता रजिस्टर, उपयोगकर्ताओं, प्रदाताओं और नियामकों से जुड़े 462 एबीएस समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, त्रिपुरा, तेलंगाना

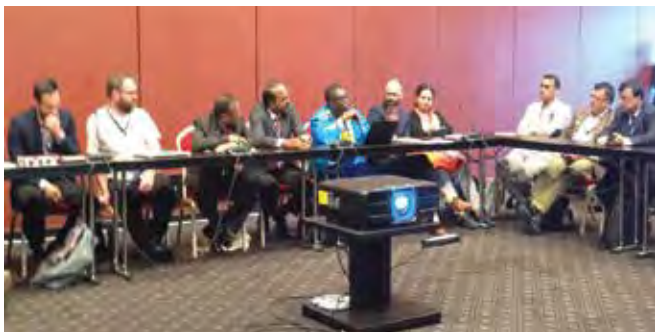

और पश्चिम बंगाल राज्यों में सांविधिक राज्य जैव विविधता कोष में कुल रु. 13,66,93,215/- एकत्र किया गया है।

13.7.2 इंडो-जर्मन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (एबीएस) साझेदारी परियोजना

पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और ड्यूश गेश्ल्सचफ्ट फ़ोर्ट इंटरनेशनेल ज़ुसमेनारबीट (जीआईजेडएस) के साथ तीन पायलट स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स अर्थात् महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तमिलनाडु के साथ साझेदारी और लाभ साझाकरण परियोजना को लागू किया गया है। उत्तराखंड। एबीएस सहभागिता परियोजना भारत और जर्मनी के बीच एक तकनीकी सहयोग है और भारत-जर्मन जैव विविधता कार्यक्रम के तहत आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संघीय मंत्रालय (बीएमजेड) द्वारा कमीशन किया गया है।

उद्देश्य

एबीएस भागीदारी परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तराखंड के राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समितियों की क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना और एबीएस पर नागोया प्रोटोकाल के अन्तर्गत भारत की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत एबीएस तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संब्द्ध पारंपरिक ज्ञान प्रदान करवाना है.

पहुंच

उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, परियोजना निम्नलिखित दृष्टिकोणों पर काम करती है:

- जैविक विविधता अधिनियम 2002, एबीएस दिशानिर्देश और एबीएस पर नागोया प्रोटोकॉल के बारे में बेहतर समझ के सृजन के लिये जागरूकता बढाने, सूचना और विभिन्न क्षेत्रो, विभिन्न हितधारक समूहों और हितधारकों के बीच संवाद.
- वाणिज्यिक या अनुसंधान उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों के उपयोग के आधार पर समुदायों के बीच लाभ-साझाकरण पर अच्छे कार्यों का विकास
- एबीएस प्रक्रियाओं में जैविक संसाधनों के उपयोग की प्रभावी निगरानी के लिए एनबीए के लिए एक आईटी-सक्षम एबीएस निगरानी प्रणाली का विकास

  यह परियोजना राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तराखंड के राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित की जाती है।

प्रगति

- इस परियोजना ने तीन राज्यों के विभिन्न हितधारक समूहों में एक हजार से अधिक लोगों के साथ सीधे जुड़ाव किया है। इनमें वन विभाग और अन्य सरकारी लाइन विभागों जैसे कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज (आरडीपीआर), जैव विविधता आधारित व्यवसाय और बीएमसी के सदस्य शामिल हैं।
- परियोजना द्वारा विकसित एक संचार रणनीति एबीएस क्षमता विकास पहल, जीआईजेड जर्मनी द्वारा एक सीओपी13 साइड-इवेंट में लॉन्च की गई थी। जर्मनी प्रोजेक्ट ने सीओपी13 में एक साइड-ईवेंट का नेतृत्व किया जिसका शीर्षक "भारत की शुरुवाती अंतर्दृष्टि और लाभ साझाकरण का कार्यान्वयन और भारत में अन्य एबीएस कार्यान्वयन उत्पादों के समर्थन के साथ एबीएस पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम" का शुभारंभ करना था. ये यूएनईपीजीईएफ, इंडो-नॉर्वेजियन सेंटर फॉर बायोडायवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, यूएनडीपी एबीएस ग्लोबल प्रोजेक्ट और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय - इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज (यूएनयू-आईएएस) थे।
- एबीएस अनुरूप मूल्य श्रृंखला की स्थापना में पायलट एसबीबी का समर्थन करने के लिए परियोजना द्वारा अध्ययन किया गया है और जैव-संसाधनों के व्यापार में ट्रैसेबिलिटी को स्पष्ट करने के लिए स्रोत स्थानों पर बीएमसी के साथ लाभ साझा करने को सुनिश्चित किया है।
- पेटेंट अनुप्रयोगों और अनुसंधान में भारतीय जैविक संसाधनों के उपयोग को ट्रैक करने के लिए एनबीए के लिए एक आईटी अनुवीक्षण उपकरण का विकास
- लाभ साझा करने की अच्छी प्रथाओं को विकसित करने के लिए भारतीय विशेषज्ञों के साथ हितधारक परामर्श आयोजित किया गया था

बैठकें

1. पहूच और लाभ साझाकरण परियोजना ने 20 वीं और 21 अप्रैल, 2018 को चेन्नई में जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत

जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के गठन और कार्यप्रणाली में अवधारणा और प्रोटोकॉल पर प्रशिक्षण आयोजित किया। दो दिवसीय प्रशिक्षण का उद्देश्य जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की स्थापना में शामिल प्रक्रिया की समझ को मजबूत करना और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करने में बीएमसी की भूमिका को शामिल करना था।

2. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली और डॉयचे गेसलचाफ्ट फर इंटरनेशनेल ज़ुसमेनारबीट (जीआईजेड) जीएमबीएच, नई दिल्ली ने एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग के तहत प्रत्येक ने डेढ़ दिन की दो कार्यशालाएं 24 - 25 अप्रैल, 2018 को चेन्नई में और 26 को - 27 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित कीं। विनियामक प्राधिकरणों और विनियामक ढाँचों पर उपयोगकर्ताओं और अभिगम और लाभ साझाकरण (एबीएस) अनुपालन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और इसके एबीएस प्रावधानों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के रूप में अनुपालन बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया।

3. एबीएस संचार रणनीति विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला 2-3 मई 2018 को चेन्नई में आयोजित की गई थी। कार्यशाला का उद्देश्य भारत में एबीएस के प्रभावी कार्यान्वयन को तेज करने के लिए लक्षित हितधारकों पर एक प्रभावी संचार रणनीति की पहचान करना और डिजाइन करना था।

4. "स्थिरता, इक्विटी और जैव विविधता के अनुकूल उत्पादन" विषय पर प्राइवेट बिजनेस एक्सन फ़ार बायोडाइवर्सिटी (पीबीएबी) तथा एक्सेस एवं बेनेफ़िट शेयरिंग (एबीएस) की सहभागी परियोजनाओं ने संयुक्त रूप से वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा 16 मई 2018 को मुंबई में वार्षिक वैश्विक प्रदर्शनी सेवाओं के एक भाग के रूप में आयोजित सीआईआई व्यवसाय, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में एक सत्र आयोजित किया.

5. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अध्यक्ष डॉ. बी मीनाकुमारी ने 24-25 मई, 2018 को मेक्सिको सिटी, मैक्सिको में "2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा के नागोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन और इसके योगदान के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों और व्यावहारिक तरीकों पर तीसरी एबीएस वार्ता" में भाग लिया। संवाद में अफ्रीका, यूरोपीय संघ, होंडुरास, भारत, केन्या, मैक्सिको, पेरू और वियतनाम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

6. महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड (एमएसबीबी) ने एबीएस पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के साथ मिलकर नागपुर और पुणे में क्रमशः 29 और 30 मई 2018 को 'ट्रेनर्स ऑफ़ एक्सेस एंड बेनिफिट-शेयरिंग' पर दो कार्यक्रम आयोजित किए। ये प्रशिक्षण महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड (एमएसबीबी) और महाराष्ट्र के अन्य संबंधित विभागों के बीच पहुंच और लाभ साझाकरण (ABS) तंत्र के कार्यान्वयन के लिए थे, जो महाराष्ट्र राज्य से जैविक संसाधनों के संरक्षण और स्थायी उपयोग की ओर ले जाता है।

13.7.3 एफ़एओ तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (टीसीपी)

भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (एनबीएपी) 2008 और राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य (एनबीटीपी) के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र के योगदान को मजबूत करना

एफएओ-भारत द्वारा पर्यावरण मंत्रालय, वन मंत्रालय के सहयोग से एफएओ तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (टीसीपी) परियोजना "भारत के राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (एनबीएपी) 2008 और राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य (एनबीटी) को मजबूत बनाने" पर आधारित है। इसका संचालन दो साल (2017-2018) की अवधि के लिए 263,000 अमरीकी डालर के बजट के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (एमओएफ़सीसी) और कृषि

और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफ़डब्ल्यू) के सहयोग से हुआ। इसका उद्देश्य एनबीएपी और संबंधित एनबीए के कार्यान्वयन के लिए तीन राज्यों (केरल, मिजोरम, पंजाब) में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर हितधारकों की क्षमता बढ़ाने के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जैव विविधता की मुख्यधारा के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करना है।

उद्देश्य:

- एनबीएपी 2008 और एनबीएपी परिशिष्ट 2014 के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर व्यवस्थित और व्यापक समीक्षा करना।
- संबंधित एनबीटी के कार्यान्वयन में मदद करने के लिए बहु-हितधारक कार्य योजना को विकसित करने में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर कृषि-विविधता के संरक्षण और उपयोग में लगे हितधारकों की क्षमता बढ़ाना।
- राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (एनबीएपी) 2014 के ध्वनि कार्यान्वयन के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र के योगदान को मजबूत करने की आवश्यकता को देखते हुए और राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य (एनबीटी) को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास और क्षमता विकास के लिए मजबूत प्रयासों की आवश्यकता है।

परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित कार्य किये गये हैं।

1. 8 जून 2018 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), नई दिल्ली में एक हितधारक बैठक आयोजित की गई, जिसमें परियोजना राज्यों के राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) के प्रतिनिधियों और एमओईएफ़सीसी,राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) और एमओएफ़डब्ल्यू के प्रतिनिधियों ने भाग लिया
2. राज्यों में विचार-मंथन सत्रों का आयोजन परियोजना कार्यों की सामग्री और प्रक्रिया पर चर्चा करने और परियोजना राज्यों में क्षमता निर्माण पहलू के लिए पाठ्यक्रम के मसौदे पर चर्चा के लिए किया गया था। (अक्टूबर 2018-दिसंबर 2018)
3. राज्यों में क्षमता निर्माण कार्यशालाएं-अंतराल मूल्यांकन के लिए साइट और साइट स्तर परामर्श (नवंबर 2018-फरवरी 2019) सभी परियोजना राज्यों में किए गए।
4. नई दिल्ली में 6 -7 मार्च, 2019 को एक अनुभव साझाकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें परियोजना राज्यों, भागीदारों, एनबीए और एमओईएफसीसी के साथ विशिष्ट भावी कार्यों की समीक्षा और परियोजना के कार्यान्वयन की समय-सीमा पर अब तक काम किया गया है।

13.7.4 आसियान-भारत सहयोग परियोजना

एबीएस पर नागोया प्रोटोकाल के कार्यान्वयन हेतु क्षमता निर्माण , सिटी बायोडाइव्रिसटी इंडेक्स और स्ट्रेटेजिक प्लान आन बायोडाइवर्सिटी नामक एनबीए-आसियान सेंटर फॉर बायोडायवर्सिटी कोऑपरेशन प्रोजेक्ट को आसियान सचिवालय ने दो साल के लिए 993,333 यूएसडालर की लागत के साथ अनुमोदित किया था। आसियान सेंटर आन बायोडाइवर्सिटी पर एबीएस पर नागोया प्रोटोकाल के कार्यान्वयन हेतु क्षमता निर्माण , सिटी बायोडाइव्रिसटी इंडेक्स और स्ट्रेटेजिक प्लान आन बायोडाइवर्सिटी की एक समीक्षा बैठक19 सितंबर 2019 को एमओईएफ़सीसी में आयोजित हुई.

वित्तीय वर्ष के दौरान, परियोजना के तहत निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं: -

I. .आसियान में एची लक्ष्य 11 के कार्यान्वयन पर क्षेत्रीय कार्यशाला और 30 जुलाई -1 अगस्त 2018 को मनीला, फिलीपींस के बीच पर्यावरण 2016-2025 पर आसियान रणनीतिक योजना के लिए लक्ष्य निर्धारण पर बैठक।

ii आसियान के सदस्य राज्यों में विकास के क्षेत्रों में मुख्यधारा की जैव विविधता पर क्षेत्रीय बैठक। 15-17 अक्टूबर, 2018. मनीला, फिलीपींस।

iii एक्सेस एंड बेनेफिट शेयरिंग (एबीएस) और ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) पर नागोया प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए और एबीएस लीगल फ्रेमवर्क के विकास और कार्यान्वयन पर एनबीए, चेन्नई, भारत में 22-25 अक्टूबर, 2018 को क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाविकास का आयोजन।

iv. अध्यक्ष, एनबीए ने आसियान में एची लक्ष्य 11 के कार्यान्वयन पर क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया और 30 जुलाई -1 से अगस्त 2018 तक मनीला और फिलीपींस में आसियान रणनीतिक योजना के लिए लक्ष्य निर्धारण पर हुई बैठक में भी भाग लिया और आसियान सदस्य राज्यों (एएमएस) के प्रतिनिधियों के साथ एची लक्ष्य 11 के कार्यान्वयन पर भारत के अनुभव को प्रस्तुत किया.

एनबीए, चेन्नई में 22-25 अक्टूबर, 2018 तक एबीएस और टीकेडीएल पर भारत-आसियान क्षेत्रीय कार्यशाला

इस परियोजना के तहत, एनबीए, चेन्नई में आसियान देशों के लिए 22-25 अक्टूबर, 2018 को एक्सेस और लाभ साझा करने और परंपरा ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी पर नागोया प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए “एबीएस कानूनी ढांचे के विकास और कार्यान्वयन” पर एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 9 आसियान सदस्य राज्यों अर्थात

कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम के प्रतिनिधि और एसीबी-मनीला और आसियान सचिवालय, इंडोनेशिया के विशेषज्ञों ने भाग लिया। आसियान के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि इस विषय पर भारत की प्रगति से प्रभावित थे और उन्होंने अपने-अपने देशों के साथ-साथ टीकेडीएल में भी राष्ट्रीय एबीएस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन से संबंधित तरीका सीखा।

13.7.5 "इंटर-बायो: एकीकृत जैव-राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता-रणनीति और कार्य योजना (एनबीएसपी) के कार्यान्वयन के लिए आईसीएलईआई परियोजना"

"इंटरेक्ट-बायो: जैव विविधता के लिए एकीकृत उप-राष्ट्रीय कार्रवाई - राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी) के कार्यान्वयन के लिए एकीकृत परियोजना" आईसीएलएआई परियोजना पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, भवन और परमाणु सुरक्षा (बीएमयूबी) मंत्रालय,

जर्मनी सरकार द्वारा उनके अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल (आईकेआई) के द्वारा समर्थित है। परियोजना के कार्यान्वयन को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा समर्थित किया जा रहा है।

.इन क्षेत्रों में आईसीएलईआई के कार्यालयों की साझेदारी में, तीन देशों - ब्राजील, भारत और तंजानिया में चार साल की अवधि वाली परियोजना को लागू किया जा रहा है। भारत में परियोजना शहर कोचीन मॉडल शहर के रूप में हैं, और मंगलौर और पणजी उपग्रह शहरों के रूप में हैं। परियोजना की पहली परियोजना संचालन समिति की बैठक इंटर-बायो: जैव विविधता के लिए एकीकृत उप-राष्ट्रीय कार्रवाई - राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना के कार्यान्वयन का समर्थन परियोजना की पहली बैठक 19 सितंबर 2018 को एमओईएफसीसी में आयोजित की गई। दूसरी पीएससी बैठक 19 मार्च 2019 को एमओईएफसीसी में आयोजित की गई थी।

13.7.6 भारत-यूएनडीपी परियोजना - एनआर6

सीबीडी के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत एक दायित्व के रूप में, भारत को चार वर्षों में एक बार कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों पर सीबीडी सचिवालय को राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के अब तक पाँच चक्र (1998, 2001, 2005, 2009 और 2014) पूरे हो चुके हैं और भारत की राष्ट्रीय रिपोर्ट 6 (एनआर 6) 31 दिसंबर 2018 को प्रस्तुत की गई थी। एनआर 6 रिपोर्टिंग प्रारूप के लिए आवश्यक है कि पार्टियां अपने राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों (एनबीटी) पर हुई की प्रगति की रिपोर्ट करें और वैश्विक ऐची जैव विविधता लक्ष्य की उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय योगदान पर भी रिपोर्ट करें.

एनबीए ने 11 अप्रैल, 2018 को कॉन्फ्रेंस हॉल, एनबीए, चेन्नई में सीबीडी पर भारत की छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार करने की दिशा में और भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य पर हुई प्रगति पर एक परामर्शी बैठक आयोजित की, जिसमें 17 राज्य जैव विविधता बोर्ड के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक जैसे एमओईएफ़सीसी जेडेएसआई, सीएजेडआरआई, एनबीआरआई और यूएनडीपी शामिल हैं। वर्ष के दौरान, भारत के एनआर6 की तैयारी से संबंधित कार्य पूरा हो गया। सितंबर-अक्टूबर 2018 के दौरान बैठकों की एक श्रृंखला में, मंत्रालय, एनबीए और यूएनडीपी के वरिष्ठ अधिकारियों वाले एक मुख्य समूह ने मसौदे और टिप्पणियों की जांच की और एनआर6 मसौदा को संशोधित किया। अंत में, भारत की राष्ट्रीय रिपोर्ट 6 (एनआर 6) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा 29 दिसंबर 2018 को जारी किया गया।

13.8 राज्य जैव विविधता बोर्डों की गतिविधियाँ

13.8.1

अरुणाचल प्रदेश

रिपोर्ट वर्ष की अवधि के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश जैव विविधता बोर्ड ने वर्ष के दौरान एक बोर्ड बैठक की। अब तक गठित 144 बीएमसी में से, इस अवधि में 18 बीएमसी का गठन किया गया था और 6 पीबीआर अंतिम अनुवीक्षण की स्थिति में थे। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम अपर सुबनसिरी और पश्चिम कामेंग जिलों में आयोजित किए गए थे।

13.8.2

असम

समीक्षाधीन अवधि के दौरान दो बोर्ड बैठकें की गईं। असम एसबीबी ने अंचलिक पंचायतों (189) और स्वायत्त परिषदों (40) में मध्यवर्ती स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के गठन का कार्य पूरा कर लिया है। बीएमसी द्वारा अब तक तैयार किए गए 108 पीबीआर में से ब्लॉक स्तर पर 16 पीबीआर प्रलेखित किए गए थे। असम एसबीबी ने नागालैंड एसबीबी के प्रशिक्षुओं के लिए पीबीआर तैयार करने और असम में युवा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जैव विविधता अनुसंधान सहयोगी कार्यक्रम (बीआरएपी) के तीन महीने के पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। बोर्ड ने राज्य के विभिन्न जिलों और स्वायत्त परिषद में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से बीएमसी को भी संवेदनशील बनाया है। जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के प्रावधानों के तहत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक अधिसूचना ने असम राज्य से 14 खतरे वाली प्रजातियों को अधिसूचित किया है।

13.8.3

छत्तीसगढ़

विचाराधीन अवधि के दौरान, बोर्ड ने ग्राम स्तर पर अब तक गठित कुल 262 BMCs में से 39 BMCs का गठन किया था। 31 मार्च 2019 तक राज्य भर में कुल 39 पीबीआर तैयार किए गए। जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस (आईडीबी) मनाया गया। भारतीय संस्थाओं द्वारा जैव-संसाधनों के उपयोग के संबंध में दो आवेदनों को इस वर्ष के दौरान जैविक विविधता अधिनियम की धारा 24 (1) के तहत बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

13.8.4

गुजरात

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड ने दो बैठकें की। इस अवधि के दौरान 7665 गठित बीएमसी में से 69 बीएमसी ग्राम स्तर पर गठित की गई थीं. आवेदकों द्वारा जैव-संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग के लिए राज्य बोर्ड द्वारा छह आवेदनों को मंजूरी दी गई थी। जैविक विविधता अधिनियमों और नियमों के बारे में वन अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए दो क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

13.8.5

गोवा

समीक्षा के दौरान अवधि के दौरान गोवा जैव विविधता बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। इस वर्ष के दौरान ग्राम स्तर पर गठित 191 बीएमसी में से 12 नए बीएमसी का गठन किया गया। 31 मार्च 2019 को 79 पीबीआर तैयार करने का काम चल रहा है। बोर्ड ने "सेक्रेड ग्रोव्स ऑफ गोवा" पर एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसे 22 मई, 2018 को आईडीबी के उत्सव के दौरान जारी किया गया था। पंछियों, एम्फीबियंस सरीसृप, तितलियों, मोथ, ऑर्किड, कवक पर पांच पाकेट आकार के पीबीआर जारी किये गये और मकडियों सहित कुछ अकशेरुकी जीवों को रिहा किया गया था। बोर्ड ने 22 मई 2018 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया और 2 फ़रवरी 2019 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस धूमधाम से मनाया. बोर्ड ने इस वर्ष के दौरान 35 विभिन्न मामलों में प्राप्त शिकायतों के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किया है.

13.8.6

हरियाणा

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य बोर्ड द्वारा दो बैठकें आयोजित की गई थीं। हरियाणा एसबीबी ने इस वर्ष में ग्राम पंचायत स्तर पर कुल 4658 बीएमसी का गठन किया।

13.8.7

हिमाचल प्रदेश

विचाराधीन वर्ष के दौरान एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। हिमाचल प्रदेश एसबीबी ने 31 मार्च, 2019 को ग्राम स्तर पर 605 बीएमसी स्थापित की हैं, जिनमें से 258 बीएमसी 2018-19 के दौरान बनाई गई हैं। इसके अलावा, ब्लॉक और नगरपालिका स्तर पर एक-एक बीएमसी और जिला स्तर पर 4 बीएमसी भी बनाए गए हैं। इस वर्ष के दौरान ग्रामीण स्तर पर 122 पीबीआर का दस्तावेजीकरण पूरा किया गया। बोर्ड ने चंबा, सोलन, लाहौल और स्पीति, बिलासपुर और सिरमौर जिलों में जैव विविधता कानूनों, एबीएस तंत्र और जैव विविधता की मुख्यधारा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित कीं। बोर्ड ने एनबीए की वेबसाइट पर 28 राज्यों के बीएमसी डेटाबेस की मेजबानी के लिए यूएनईपी-जीईएफ-एमओईएफ और सीसी एबीएस परियोजना के समर्थन के तहत एक राष्ट्रीय मंच विकसित किया है।

13.8.8

जम्मू और कश्मीर

राज्य बोर्ड जम्मू और कश्मीर राज्य में बीएमसी के गठन की प्रक्रिया में था। एसबीबी ने सरकारी डिग्री कालेज कठुआ में छात्रों एवं स्थानीय समुदाय को शामिल करके अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया।

13.8.9

झारखंड

वर्ष के दौरान दो बोर्ड बैठकें की गईं। बोर्ड ने राज्य में विभिन्न स्तरों पर बीएमसी के गठन में तेजी लाई है। वर्ष 2018-19 के दौरान, झारखंड SBB ने ग्राम स्तर पर 1992 बीएमसी, ब्लॉक स्तर पर 116 बीएमसी, नगरपालिका स्तर पर 11 बीएमसी और जिला स्तर पर 6 बीएमसी का गठन किया। संबंधित ग्राम स्तर के बीएमसी के लिए कुल 93 पीबीआर प्रलेखित किए गए थे। बोर्ड ने जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए अधिनियम की धारा 23 (बी) के तहत 1 आवेदन को मंजूरी दे दी है। अन्य पहलों के अलावा, बोर्ड ने "झारखंड के मकड़ियों" और "पीबीआर पद्धति" पर पुस्तिका, "झारखंड के पंख वाले शीतकालीन मेहमान" पर एक कॉफी टेबल बुक प्रकाशित की है। राज्य के 19 जिलों में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के वन विभाग के वन्यजीव विंग के सहयोग से छात्रों और प्रदर्शनी स्टालों को शामिल किया गया। जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न जिलों के 72 स्थानों पर डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए। 13 जिलों में 330 बीएमसी के लिए प्रशिक्षण सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वन अधिकारियों के बीच बीडी अधिनियम और नियमों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

13.8.10

कर्नाटक

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, चार बोर्ड बैठकें बुलाई गई। कर्नाटक बोर्ड ने राज्य के नियमों में संशोधन किया है और कर्नाटक जैविक विविधता (संशोधन) नियम, 2019 को अधिसूचित किया है। एसबीबी ने ग्राम स्तर पर वसा के गठन के 5395 बीएमसी से बाहर की अवधि के दौरान 441 बीएमसी की स्थापना की है। इस अवधि में दस ब्लॉक स्तर, नगरपालिका में 1 और जिला स्तर पर 2 बीएमसी का गठन किया गया। अब तक बोर्ड ने ग्रामीण स्तर पर 1955 पीबीआर तैयार किए हैं, जिनमें से 191 इस अवधि के दौरान तैयार किए गए थे। ब्लॉक स्तर पर एक पीबीआर और जिला स्तर पर 5 भी इस अवधि के दौरान तैयार किए गए थे। बोर्ड ने डिफॉल्ट करने वाली संस्थाओं के खिलाफ पांच मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से एक का निस्तारण किया गया और बाकी चार पक्षपातपूर्ण हैं। कर्नाटक एसबीबी ने जैव-संसाधनों की पहुंच के लिए भारतीयों और भारतीय कंपनियों से Sec 24 (1) के तहत 103 अनुप्रयोगों को मंजूरी दी है। जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए बोर्ड द्वारा धारा 23 बी के तहत छब्बीस आवेदनों को मंजूरी दी गई थी। बोर्ड ने जैव विविधता पुरस्कारों की स्थापना की है और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 4 प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया है। बोर्ड द्वारा जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस स्कूली छात्रों और आम जनता को शामिल करते हुए मनाया गया, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं, फोटो प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया गया। बोर्ड ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में राज्य स्तरीय पुरस्कारों की शुरुआत की है। व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार जैव विविधता और कृषि-जैव विविधता के संरक्षण के लिए तीन प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किए गए थे। सैंडूर तालुक के बीएमसी को सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समिति का पुरस्कार मिला।

13.8.11

केरल

इस वर्ष के दौरान चार बोर्ड बैठकें आयोजित की गई। पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार, राज्य में योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिये क्षेत्रीय कार्यदल हैं। जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के लिए कार्यदल का गठन स्थानीय स्तर पर जैविक विविधता अधिनियम के लिए और सरकारी स्तर पर (बीओ नंबर 2462/2018 / एलएसजीडी दिनांक 19.09.2018 के लिए) बीएमसी सदस्यों को शामिल करने के लिए किया गया था। राज्य ने जीओ संख्या 19/2019 एफ़&डब्ल्यूएलडी दिनांक 16.01.2019 के अंतर्गत रेंज अधिकारियों को जैव विविधता नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है जिसमें बीएमसी को पर्यावरण निगरानी समूह को निगरानी समूहों के रूप में नामित किया गया है। अंतर-विभागीय परामर्श प्रक्रिया के निर्माण और विभिन्न गतिविधियों के समन्वय के लिए। विभागों, जैव विविधता के लिए जीओ संख्या 60/2018 /पर्यावरण दिनांक 11/05/2018 के अंतर्गत एक राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया था जिसमें पर्यावरण मंत्रालय, स्थानीय सरकार, जल संसाधन, कृषि, वन, मत्स्य, पर्यटन, पशुपालन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के सचिवों और केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष को शामिल किया गया था। राज्य में सभी 941 ग्राम पंचायतों, 87 नगर पालिकाओं और 6 निगमों पर बीएमसी का एक पूरा नेटवर्क है। राज्य में विचाराधीन वर्ष के दौरान, अब तक तैयार किए गए 892 पीबीआर में से 46 पीबीआर को प्रलेखित किया गया था। मीनांगडी और एराविपरूर बीएमसी को वर्ष 2018 के लिए भारत के जैव विविधता पुरस्कार के “सर्वश्रेष्ठ बीएमसी” श्रेणी के तहत पुरस्कार मिला। बोर्ड ने मेनस्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस पर केरल राज्य बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस और राज्य स्तरीय परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया सराहनीय घटनाओं में से बोर्ड ने जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस , विश्व पर्यावरण दिवस और राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया. वर्ष के दौरान हुई अन्य गतिविधियों में प्रकृति शिविर, डिजिटल फोटोग्राफी प्रतियोगिता, बीएमसी के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रम और लाइन विभाग थे. बोर्ड ने जैव विविधता पर जागरूकता पैदा करने की दिशा में कई शैक्षणिक संस्थानों की वित्तीय सहायता की और बीएमसी, संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया कर्मियों को जैव विविधता संरक्षण और जागरूकता में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए केरल राज्य जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया।

13.8.12

मध्य प्रदेश

एसबीबी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक बैठक बुलाई। अब तक एमपीएसबीबी ने ग्राम स्तर पर 23, 043 बीएमसी, ब्लॉक स्तर पर 313, नगर पालिका स्तर पर 337 और जिला स्तर पर 50 बीएमसी का गठन 31 मार्च, 2019 तक किया है। राज्य भर में कुल 890 पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया गया है। पिथौराबाद ग्राम पंचायत में बीएमसी को भारत जैव विविधता पुरस्कार 2018 के तहत सर्वश्रेष्ठ बीएमसी से सम्मानित किया गया और इस बीएमसी के अध्यक्ष श्री बाऊलाल दहिया को जैव विविधता संरक्षण में उनके योगदान के लिए वर्ष 2019 के लिए "पद्मश्री" से सम्मानित किया गया। बोर्ड ने जैव संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग के लिए धारा 23 (बी) के तहत 31 आवेदन और धारा 24 (1) के तहत 74 आवेदनों को मंजूरी दी है। बोर्ड ने यूएनडीपी-भारत के समर्थन से वर्ष 2018-30 के लिए राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एसबीएसएपी) को संशोधित किया है। इस वर्ष में बोर्ड द्वारा आयोजित जैविक विविधता (IDB), विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व गौरैया दिवस, "बीज नायक सम्मेलन 2018" और वन्यजीव सप्ताह का आयोजन किया गया। एसबीबी द्वारा गणेश उत्सव के दौरान विभिन्न पौधों की प्रजातियों के बीजों के उपयोग से एक विशेष संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। "माटी गणेश बीज गणेश" नामक कार्यक्रम ने प्रत्येक गणेश प्रतिमा के अंदर बीजों को प्रत्यारोपित करने का एक अनूठा विचार पेश किया, जो बाद में पौधों की विविधता की रक्षा के लिए मिट्टी के बर्तनों में लगाए जाते हैं। मध्य प्रदेश एसबीबी ने मोगली बाल उत्सव 2018 का आयोजन, जैव विविधता कानूनों और कार्यशालाओं के उपयोग और लाभ साझाकरण तंत्र पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किया है.

13.8.13

मणिपुर

समीक्षा अवधि वर्ष के दौरान एक बोर्ड बैठक बुलाई गई थी। ग्रामीण स्तर पर अब तक स्थापित 145 बीएमसी में से, ब्लाक स्तर पर 3 बीएमसी और नगरपालिका स्तर पर 1 बीएमसी के साथ वर्ष में 77 बीएमसी का गठन किया गया. इस वर्ष के दौरान तेरह पीबीआर प्रगति पर थे। "मणिपुर की जैव विविधता, जैव संसाधनों और उनके बाजार का स्थायी उपयोग" पर एक वृत्तचित्र फिल्म निर्माणाधीन है। बोर्ड मणिपुर के एम्फीबियंस और सरीसृपों पर एक फील्ड गाइड और राज्य की जैव विविधता पर एक कॉफी टेबल बुक विकसित करने की प्रक्रिया में था। वर्ष के दौरान, बोर्ड द्वारा बीएमसी पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जैव विविधता संरक्षण पर तीन प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रम आयोजित किए गए।

13.8.14

मिजोरम

इस वर्ष राज्य बोर्ड द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। गाँव स्तर पर 31 मार्च 2019 को स्थापित 440 बीएमसी में से 191 बीएमसी का गठन समीक्षाधीन अवधि में किया गया था। एक ग्राम स्तर के पीबीआर को विचाराधीन अवधि में प्रलेखित किया गया था। इस वर्ष जैविक विविधता (आईडीबी) के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर को चिह्नित करने के लिए छात्रों और बीएमसी सदस्यों को शामिल करते हुए एक "जैव विविधता रन", फोटो प्रतियोगिता और पैनल चर्चा का आयोजन किया गया है। राज्य बोर्ड ने कोलासीब, डब्ल्यू। फेलेंग और सोहेलम गांवों में बीएमसी के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है।

13.8.15

मेघालय

बोर्ड ने अपनी पहली जैव विविधता हेरिटेज साइट को अधिसूचित किया है, जिसका नाम री-भोई जिले में खलाव कुरी सईम किल्लेंग है। 31 मार्च, 2019 तक एसबीबी ने 281 बीएमसी का गठन किया है, जिनमें से 15 को इस वर्ष के दौरान स्थापित किया गया है। वर्ष में राज्य में अब तक निर्मित 45 पीबीआर मे से ग्रामीण स्तर पर 30 पीबीआर प्रलेखित किये गये हैं. 64 पीबीआर की तैयारी चल रही है। बोर्ड ने जैव विविधता पर तीन पोस्टर का एक सेट प्रकाशित किया है। री-भोई जिले में उमरु बीएमसी को भारत जैव विविधता पुरस्कार (आईबीए) 2018 की "विशेष उल्लेख / सराहना" श्रेणी के तहत "सर्वश्रेष्ठ बीएमसी 2018" के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेघालय एसबीबी ने वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए प्रशंसा के प्रमाण पत्र के साथ पश्चिम जयंतिया हिल्स के "का ख़्लो लाईकोंगवासन चिरमंग समुदाय" से सम्मानित किया। सभी 11 जिलों में पूरे राज्य में जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया।

13.8.16

नागालैंड

बोर्ड ने विचाराधीन वर्ष के दौरान एक बैठक आयोजित की। ग्राम स्तर पर स्थापित 125 बीएमसी में से, 120 का गठन इस वर्ष के दौरान किया गया था। 15 पीबीआर का दस्तावेजीकरण प्रगति पर था। बोर्ड ने उत्पादन इकाई, ड्रीमज़ अनलिमिटेड के सहयोग से "भविष्य के लिए" जैव विविधता प्रबंधन पर एक लघु फिल्म का निर्माण किया था और इसे जैविक विविधता (आईडीबी), 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आधिकारिक रूप से लॉन्च किया।

प्रसंस्करण, पैकेजिंग के लिए प्रशिक्षण और स्थानीय फलों और सब्जियों का विपणन 23 और 29 मार्च, 2019 को खोनोमा और गैरीफेमा बीएमसी और नेहरू युवा केंद्र, भारत सरकार के सहयोग से किया गया था। नागालैंड बोर्ड ने 7 से 19 जनवरी, 2019 तक टीकू वैली जैव विविधता संरक्षण और आजीविका नेटवर्क जुहेन्बोटो जो सुखाई, घुखुइ और किविकुति के छात्र यूनियनों के सहयोग से आयोजित और मेजबानी में किया गया था, उसमें भाग लिया. भारत के जैव विविधता पुरस्कार कार्यक्रम 2018 में, लेमेसचेनलोक संगठन, लोंगलेंग, नागालैंड ने "वन्य प्रजातियों के संरक्षण" श्रेणी में मान्यता प्राप्त की और टिज़ू वैली जैव विविधता संरक्षण और आजीविका नेटवर्क ने "जैविक संसाधनों का सतत उपयोग" श्रेणी में विशेष उल्लेख पुरस्कार प्राप्त किया.

13.8.17

ओडिशा

बोर्ड ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक बैठक बुलाई। ओडिशा में अब तक स्थापित 1918 बीएमसी में से, इस वर्ष के दौरान कुल 693 बीएमसी गठित की गई। इस अवधि में राज्य में अब तक प्रलेखित कुल 101 पीबीआर में से ग्राम पंचायत के स्तर पर चौदह पीबीआर तैयार किए गए हैं। व्यापारियों, निर्माताओं और जैव संसाधनों के अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ओडिशा बोर्ड ने एक कानूनी सलाहकार समूह का गठन किया है। राज्य ने कंधमाल जिले के रिकिया ब्लॉक में मंदसारू में अपनी पहली जैव विविधता विरासत स्थल को अधिसूचित किया है। एसबीबी ने वन विभाग के फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आयुर्वेदिक दवा निर्माताओं, व्यापारियों, पारंपरिक चिकित्सकों, चिकित्सकों और अन्य हितधारकों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। ओडिशा तट में ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए वन कर्मचारियों और फिशर लोगों को प्रशिक्षित किया गया था। जैव विविधता और अबीएस से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंगुल और पुरी जिलों में बीएमसी सदस्यों के लिए विनिमय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

13.8.18

पंजाब

बोर्ड ने31 मार्च, 2019 तक, राज्य भर में 74 BMC स्थापित किए हैं, जिनमें से 22 जिला स्तर पर, 17 ब्लॉक स्तर पर बीएमसी और 35 का गठन ग्राम स्तर के स्थानीय निकायों में किया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान ग्राम पंचायतों में एक और जिला स्तर पर तीस पीबीआर प्रलेखित किए गए हैं। आईडीबी समारोह के एक भाग के रूप में, पंजाब एसबीबी ने शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और जिला प्रशासन के सहयोग से प्रदर्शन, सेमिनार, प्रतियोगिताओं और क्षेत्र के दौरे जैसे कई अन्य कार्यक्रमों के अलावा चंडीगढ़ के सुखना लेक में एक विशेष जैव विविधता वॉकथॉन का आयोजन किया। आईडीबी के अवसर को चिह्नित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, जालंधर पर "पंजाब में जैव विविधता का संरक्षण" नामक एक आधे घंटे का कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। इस वर्ष के दौरान, राज्य बोर्ड ने एफएओ-टीसीपी के तहत कृषि-जैव विविधता पर राज्य स्तरीय गैप मूल्यांकन कार्यशाला का आयोजन किया है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लुधियाना के कैंपस में पामेटी के साथ प्रोजेक्ट। पंजाब एसबीबी ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज और डिस्ट्रिक्ट बीएमसी के सहयोग से "कल्चरल एंड बायोडायवर्सिटी हेरिटेज ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट फ़रीदकोट" पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की। जैव विविधता को पीएससीएसटी (पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी) की मासिक पत्रिका, "निरंत सोच" में प्रकाशित किया गया था। बोर्ड ने एमजीएसटीए कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ में टेकोमेल्ल अंडूलता की अत्यधिक खतरे वाली प्रजातियों के लिए वृक्षारोपण की पहल की है। जिला बीएमसी और नगर निगम, बठिंडा ने देशी पेड की प्रजातियों के 3.5 से 6 एकड में जैव विविधता पार्क क्षेत्र विस्तारित करने के लिये हाथ मिलाया है।

13.8.19

राजस्थान

राजस्थान राज्य बोर्ड ने ग्राम स्तर पर अब तक स्थापित 106 बीएमसी में से विचाराधीन 6 बीएमसी का गठन किया है। राज्य ने 16 जिलों में जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है। जिला स्तर पर, जागरूकता कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किए गए हैं।

13.8.20

सिक्किम

सिक्किम जैव विविधता बोर्ड ने राज्य में अब तक गठित 42 बीएमसी में से समीक्षा के तहत वर्ष में 12 बीएमसी स्थापित किया है। अब तक 14 पीबीआर राज्य भर में प्रलेखित किए गए हैं, 10 पीबीआर को 2018-19 के दौरान छपाई के लिए अंतिम रूप दिया गया था। "यारसा गुम्बु" (ओफ़ियोकॉर्डिसेप्स सिनेंसिस) के व्यावसायिक उपयोग के लिए तीन अनुप्रयोगों को मंजूरी दी गई थी और दिल्ली में स्थित समुदायों और दो व्यापारियों के बीच एबीएस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। राज्य बोर्ड ने जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं। एसबीबी के अधिकारियों ने बीएमसी के गठन की दिशा में कई ग्राम सभाओं में भाग लिया।

13.8.21

तमिलनाडु

इस वर्ष के दौरान राज्य बोर्ड द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। 31 मार्च 2019 के अनुसार शहरी पंचायतों में कुल 528, ब्लॉक पंचायतों में 385, नगर पालिकाओं में 124 और निगम स्तर पर 12 बीएमसी का गठन किया गया था। तमिलनाडु बोर्ड ने "वाइल्ड तमिलनाडु - प्रकृति का एक सत्यनिष्ठा शीर्षक" नाम से एक कॉफी टेबल बुक जारी की है। "। बोर्ड ने बीडी एक्ट के प्रावधानों के तहत पुदुक्कोट्टई जिले के अरन्थांगी रेंज के मनमलेकुडी इलाके से "रेत के कीड़े" (पॉलीकेट) के अवैध संग्रह और परिवहन के लिए अलग-अलग अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। बोर्ड ने राज्य भर के विभिन्न स्थानों पर 17 कार्यशालाओं का आयोजन किया है, जिसमें रेखाओं के जिला स्तर के अधिकारियों और पंचायतों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और आदेशों के बारे में जागरूकता पैदा की गई है।

13.8.22

तेलंगाना

अब तक एसबीबी ने ग्राम पंचायत स्तर पर 3144 बीएमसी का गठन किया है, जिनमें से 113 का गठन इस वर्ष किया गया है। ब्लॉक स्तर पर, इस अवधि में जिला स्तर पर 13 बीएमसी और एक बीएमसी का गठन किया गया था। 31 मार्च, 2019 को कुल 213 पीबीआर प्रलेखित किए गए हैं, जिसमें 2018-19 के दौरान तैयार किए गए 126 पीबीआर शामिल हैं। जैव विविधता संरक्षण पर एक फिल्म और दूसरी एबीएस तंत्र पर यूएनईपी-जीईएफ़ परियोजना के सहयोग से बीएमसी हेतु संबंधित हितधारकों के लिए विकसित की गई थी। तेलंगाना की कृषि-जैव विविधता और मछली विविधता पर प्रकाशन जारी किया गया है। यूईपी-जीईएफ परियोजना से वित्तीय सहायता के साथ तेलंगाना की जैव विविधता पर एक फिल्म भी विकसित की गई थी। बोर्ड ने बीडी अधिनियम की धारा 23 (बी) के तहत 23 आवेदनों को मंजूरी दी है। बोर्ड ने स्थानीय नस्लों की मान्यता में अछमपेट में एक मवेशी शो का आयोजन किया है।

13.8.23

त्रिपुरा

त्रिपुरा में 2018-19 के दौरान एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। एसबीबी ने आधिकारिक अधिसूचना द्वारा मधु मक्खी को राज्य कीट का त्रिपुरा घोषित किया है। राज्य ने अब तक ग्राम स्तर पर 997 बीएमसी का गठन किया है, जिनमें से 511 बीएमसी का गठन इस वर्ष के दौरान किया गया था। ब्लॉक स्तर पर छह और नगर पालिका स्तर पर 1 बीएमसी का गठन भी इस अवधि के दौरान किया गया था। ग्रामीण स्तर पर अब तक तैयार किए गए 469 पीबीआर में से विचाराधीन वर्ष के दौरान छत्तीस पीबीआर तैयार किए गए हैं। राज्य बोर्ड ने जैव संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग के लिए बीडी अधिनियम की धारा 23 (बी) के तहत 22 आवेदनों को मंजूरी दी है। त्रिपुरा के धालई जिले के अंबासा ब्लॉक में रायपासा बीएमसी को "एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के रिप्लेसेबल मैकेनिज्म" की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और शिकारीबरी बीएमसी को भारत जैव विविधता पुरस्कार 2018 के अंतर्गत "बेस्ट बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी" के तहत विशेष बीएमसी के रूप में एक विशेष उल्लेख / प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया।

13.8.24

उत्तराखंड

इस वर्ष के दौरान एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। ग्रामीण स्तर पर स्थापित 910 बीएमसी में से 19 रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान बनाई गई थी। इस वर्ष ब्लॉक स्तर पर 89 बीएमसी का गठन किया गया था। इस वर्ष के दौरान ग्राम स्तर के बीएमसी में कुल 113 पीबीआर तैयार किए गए। अधिनियम की धारा 24 (1) के तहत, राज्य बोर्ड ने भारतीय संस्थाओं से प्राप्त 85 पूर्व सूचनाओं को मंजूरी दी है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने 2016 की रिट पिटीशन (एम / एस) संख्या 3437 में यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के खिलाफ दिव्य फार्मेसी के मामले में उत्तराखंड एसबीबी के पक्ष में निर्णय दिया।

13.8.25

उत्तर प्रदेश

राज्य में राज्य पंचायती राज विभाग के समन्वय में स्थापित ग्राम स्तर पर 58781 बीएमसी का पूरा नेटवर्क है, जिनमें से 58518 बीएमसी रिपोर्ट अवधि के दौरान बनाए गए थे। बोर्ड ने अब तक 325 पीबीआर तैयार किए हैं, जिनमें से 69 पीबीआर विचाराधीन वर्ष के दौरान प्रलेखित किए गए थे। इस वर्ष में, बोर्ड द्वारा जैव-संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग के लिए एक अनुमोदन को मंजूरी दी गई थी और श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में मुकदमा लंबित है। बोर्ड ने पर्यावरण और संरक्षण पर महत्वपूर्ण अवसरों को चिह्नित करने के लिए जैव विविधता उत्सव, आईडीबी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता, तितली और गौरैया सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस और वन्यजीव सप्ताह मनाया है।

13.8.26

पश्चिम बंगाल

समीक्षाधीन अवधि के दौरान दो बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। ब्लॉक स्तर पर अब तक गठित 331 बीएमसी में से, इस वर्ष के दौरान 14 बीएमसी का गठन किया गया और नगरपालिका स्तर पर गठित 108 बीएमसी में से, 7 बीएमसी का गठन 2018-19 के दौरान किया गया। राज्य ने अब तक 31 मार्च, 2019 तक 144 पीबीआर तैयार किए हैं, जिनमें से 27 पीबीआर ग्राम पंचायत स्तर पर, 1 ब्लॉक स्तर पर और 3 पीबीआर रिपोर्ट अवधि के दौरान नगर पालिका स्तर पर तैयार किए गए थे।

पश्चिम बंगाल एसबीबी ने जंबोनी ब्लॉक, झाड़ग्राम जिले में स्थित चिल्कीगढ़ कनक दुर्गा को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया (अधिसूचना 926 / ईएन / टी-II-7/003-ii / 2003, दिनांक 16.04.2018)। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिधान नगर की अदालत ने परमपरा आयुर्वेद से एबीएस की अपेक्षित राशि के संग्रह के लिए डव्ल्यूबीएसबीबी के पक्ष में निर्णय दिया। राज्य बोर्ड ने जैव संसाधन के व्यावसायिक उपयोग के लिए धारा 23 (बी) के तहत 15 आवेदनों को मंजूरी दी। राज्य बोर्ड ने स्कूली छात्रों के युवा मन में जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई जैव भ्रमण किए हैं। राज्य जैव विविधता पुरस्कार हर साल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस (आईडीबी) के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर व्यक्तियों और संस्थानों को प्रदान किया गया।

प्राधिकरण के सदस्य

जीव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 8 (4ए) के अनुसार प्राधिकरण के सदस्य इस प्रकार हैं:

अध्यक्ष	अवधि
डॉ..ए.के. जैन, आईएएस	09 फ़रवरी 2018 से
डॉ (सुश्री). बी. मीनाकुमारी	09 फ़रवरी 2016 से 08 फ़रवरी 2018 तक
श्री हेम पाण्डेय, आईएएस	06 फ़रवरी 2014 से 08फ़रवरी 2016 तक
डॉ. बालकृष्ण पिसुपति	12 अगस्त 2011 से 05फ़रवरी 2014 तक
Shri एम.एफ़. फ़ारूकी, आईएएस	11 नवंबर 2010 से 11 अगस्त 2011 तक
डॉ. पी.एल. गौतम	31 दिसंबर 2008 से 3 नवंबर 2010 तक
श्री पी.आर. मोहंती, आईएफ़एस	01 अक्टूबर 2008 से 31दिसंबर 2008 तक
श्री जी.के.प्रसाद, आईएफ़एस	20 मई 2008 से 30 सितंबर 2008
डॉ. एस. कण्णैयन	20 मई 2005 से 19 मई 2008 तक
श्री विश्वनाथ आनन्द, आईएएस, IAS	01 अक्टूबर 2003 से 14जुलाई 2004 तक

धारा 8 (4 बी, सी) के अनुसार प्राधिकरण के वर्तमान पदेन सदस्य निम्नानुसार हैं:

क्रमांक		सदस्य
1	संयुक्त सचिव या जनजातीय मामलों के मंत्रालय में भारत सरकार के समकक्ष पद के अधिकारी	**श्री सुशीलेश मोहन सहाय, आईएफ़एस,** निदेशक, जनजातीय कार्य मंत्रालय, कमरा संख्या 736, ए-विंग, 7 वीं मंजिल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001।
2	अतिरिक्त महानिदेशक (वन) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार	**डॉ. अनिल कुमार, आईएफएस** अपर वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली - 110 003
3	पर्यावरण और वन मंत्रालय में इस विषय से संबंधित भारत सरकार के संयुक्त सचिव	**डॉ. सुजाता अरोड़ा,** सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन,, जोरबाग रोड, नई दिल्ली - 110 003
4	Jसंयुक्त सचिव या कृषि अनुसंधान और शिक्षा, कृषि मंत्रालय में इस विषय से संबंधित भारत सरकार के समकक्ष रैंक का अधिकारी	**संयुक्त सचिव (बीज),** कृषि और सहकारिता विभाग, कमरा संख्या 244, कृषि भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली -110 001
5	संयुक्त सचिव या जैव प्रौद्योगिकी विभाग में इस विषय से संबंधित भारत सरकार के समकक्ष रैंक का अधिकारी	**डॉ. रेणुस्वरुप,** वरिष्ठ सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक नंबर 2 लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003

क्रमांक		सदस्य
6	संयुक्त सचिव या समुद्र विकास विभाग में इस विषय से संबंधित भारत सरकार के समकक्ष रैंक का अधिकारी	**डॉ. आर. किरुबागरन,** वैज्ञानिक जी, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, वेलाचेरी-तांबरम मेन रोड, नारायणपुरम, पल्लीकरणै, चेन्नई – 600100
7	संयुक्त सचिव या कृषि और सहकारिता विभाग में संबंधित भारत सरकार के समकक्ष रैंक का अधिकारी	**उप महानिदेशक (फसल विज्ञान),**
8	भारत सरकार के मेडिसिन और होम्योपैथी विभाग में इस विषय से संबंधित भारत सरकार के समकक्ष सचिव या एक समान पद के अधिकारी	**श्रीमती शोमिता विश्वास,** मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड, आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, तीसरी मंजिल, आयुष भवन, बी ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए. नई दिल्ली -110 023
9	संयुक्त सचिव या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में इस विषय से संबंधित भारत सरकार के समकक्ष रैंक का अधिकारी	**डॉ संजय कुमार,** निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरसोर्स टेक्नोलॉजी, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, पालमपुर हिमाचल प्रदेश - 176 061।
10	संयुक्त सचिव या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में इस विषय से संबंधित भारत सरकार के समकक्ष रैंक का एक अधिकारी	**डॉ. बी.के. शुक्ला,** वैज्ञानिक जी, प्रमुख-प्लानिंग, समन्वय और प्रदर्शन प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, नई महरौली रोड, नई दिल्ली - 110 016

क्रमांक	गैर-आधिकारिक सदस्य
1	डॉ. परिमल चंद्र भट्टाचार्जी, ए / 3 आसियाना हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मेलगाँव, गौहाटी - 781011, असम
2	डॉ. योगेश शौचे, वरिष्ठ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जैव प्रौद्योगिकी लैब के सेल विज्ञान विभाग का राष्ट्रीय केंद्र, पुणे कैम्पस विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय रोड, गणेशखिंद, पुणे, महाराष्ट्र – 411007
3	श्री दर्शन शंकर, कुलाधिपति ट्रांसडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय सी / ओ स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं के पुनर्जीवन का फाउंडेशन (एफआरएलएचटी) # 74/2, जराकबांडे कवल, पोस्ट अट्टूर वाया , बैंगलोर - 560 064
4	डॉ. दिनेश मिश्रा, संख्या 65, सेक्टर 8 गांधी नगर, गुजरात -382008
5	प्रो. उमेश राय, निदेशक, साउथ कैंपस, दिल्ली विश्वविद्यालय, कमरा नंबर I 06, जूलॉजी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली – 110007

संगठनात्मक चार्ट

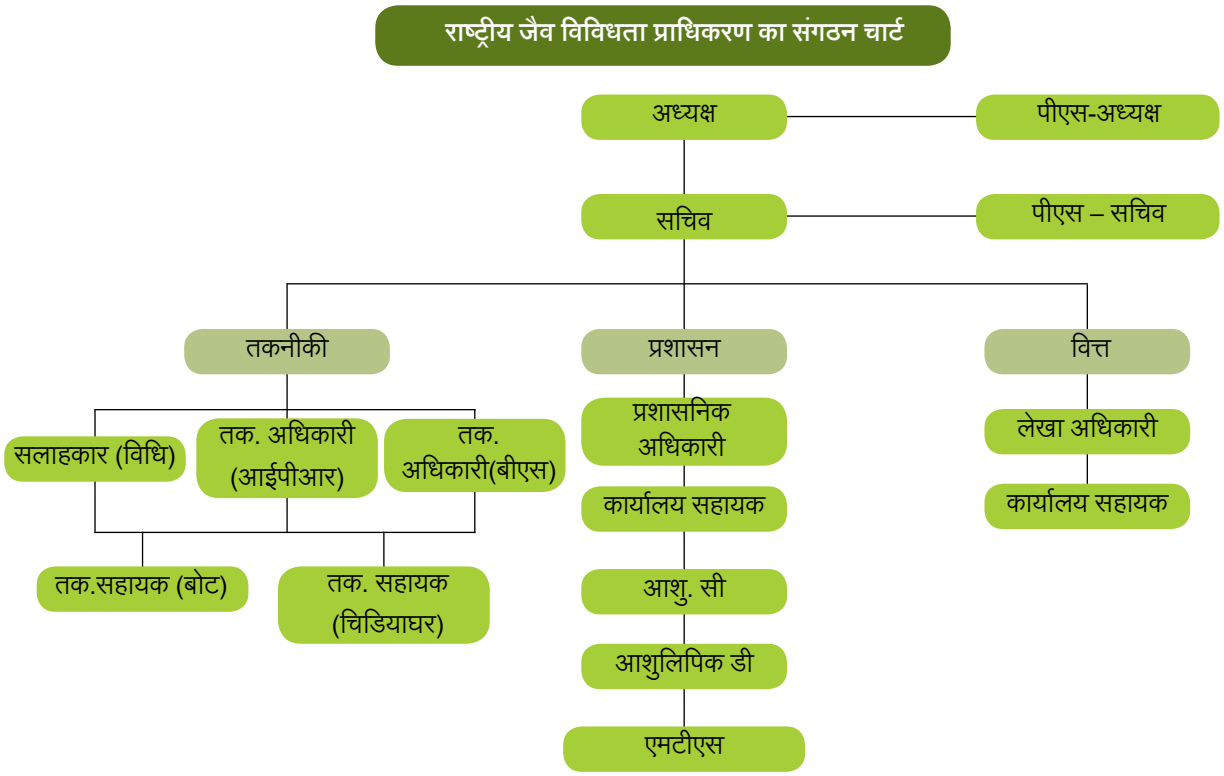

उपरोक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा, नियम 12 (6) के अनुसार एनबीए तकनीकी एवं विविध कार्यों के लिये परामर्शदाताओं के द्वारा समर्थित है.

अनुलग्नक 3

भर्ती सहित कर्मचारियों की संख्या

पद	स्वीकृत	भरी हुई	रिक्ति
अध्यक्ष	1	1	-
सचिव	1	1	-
प्रशासनिक अधिकारी	1	1	-
अध्यक्ष के पीएस	1	1	-
लेखा अधिकारी	1	1	-
तकनीकी अधिकारी	2	2	-
सलाहकार (विधि)	1	1	-
सचिव के पीएस	1	1	-
कार्यालय/कंप्यूटार सहायक	2	2	-
तकनीकी सहायक	2	2	-
आशुलिपिक “सी”	1	1	-
आशुलिपिक “डी”	1	1	-
एमटीएस	1	1	-
योग	16	16	-

प्रकाशन

- एबीएस के लिये बातचीत कौशल (यूएनजीपी-जीईएफ़-एमओईएफ़ और सीसी, एनबीए)
- "राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य पर भारत की प्रगति- एक पूर्वावलोकन"।
- सेबाल प्रकाशन

1	भारतीय तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों पर आक्रामक विदेशी प्रजाति के प्रभावों पर एक समीक्षा	सैंडिल्यन, एस, मीनाकुमारी बी, अजित कुमार, टी.टी. रूपम मंडल
2	भारतीय अंतर्देशीय जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों पर आक्रामक विदेशी प्रजाति के प्रभावों पर एक समीक्षा	सैंडिल्यन, एस, मीनाकुमारी बी, बीजू कुमार, ए रूपम मंडल
3	प्रबंधन के लिए भारत के आक्रामक विदेशी संयंत्रों को प्राथमिकता देने के लिए दिशानिर्देश	सैंडिल्यन एस, मीना कुमारी बी, बाबू सी.आर.
4	अंडमान द्वीप समूह के विशेष संदर्भ के साथ भारत के द्वीप पारिस्थितिक तंत्र पर आक्रामक विदेशी प्रजाति के प्रभाव	एस.संडिल्यन, मीनाकुमारी बी, बीजू कुमार, ए, कार्तिकेयन वासुदेवन
5	खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों के लिए अनुकूलित नए एबीएस उपकरण	मोर्टन वालो टीवीईडीटी और क्रिस्टिर रोसेंडल, फ्रिड्टजॉफ नानसेन इंस्टीट्यूट(एफ़एनआई)
6	पहुंच और लाभ के बंटवारे से संबंधित चयनित राष्ट्रीय विधानों की समीक्षा	लिव-स्टेफ़नी बैंटल और अंजलि सुगदेव
7	संरक्षित क्षेत्र और एबीएस: एक समीक्षा	प्रकाश नेलियात, बी मीनाकुमारी और टी रविकुमार
8	पहुंच और लाभ साझाकरण (एबीएस) का अनुपालन: एक सेक्टर विशिष्ट समीक्षा	प्रकाश नेलियात, बी. मीनाकुमारी और टी रविकुमार

अनुलग्नक 5

आयोजित / भाग लिये गये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम / सम्मेलन / बैठकें / कार्यशालाएं

1. तमिलनाडु जैव विविधता बोर्ड ने सभी जिला नोडल अधिकारियों (32 डीएफओ / वन्यजीव वार्डन) के लिए बीडी अधिनियम, 2002 के तहत बीएमसी संविधान की अवधारणा, प्रोटोकॉल और इसकी कार्य प्रणाली पर चेन्नई में 20-21 अप्रैल 2018 को प्रशिक्षण का आयोजन किया। तकनीकी अधिकारी (बीएस) एनबीए ने उक्त कार्यशाला में "भारत में एबीएस के कार्यान्वयन" पर भाषण दिया है

2. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर ने टीएनएयू और इसके क्षेत्रीय केंद्रों के युवा संकाय / वैज्ञानिकों के लिये 5 अक्टूबर 2018 को "ट्रिगरिंग इन्नोवशन्स इन रिसर्च" पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया। कार्यशाला में, तकनीकी अधिकारी (लाभ साझाकरण) ने जैव विविधता अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन पर एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें विशेष रूप से आवेदन पत्र दाखिल करना और उसके बाद की प्रक्रिया शामिल है। कार्यशाला में लगभग 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफ़ए), देहरादून के लिये पेशेवर वनवासियों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने और उन्हें स्थायी आधार पर देश के वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रबंधन के लिए सक्षमता विकसित करने में मदद करवाना अनिवार्य है। एनबीए, एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत, जैव विविधता संरक्षण और इसके शासन पर दोनों आईएफ़एस परिवीक्षाधीन और सेवारत आईएफ़एस अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के संचालन के लिए आईजीएनएफ़ए के साथ हाथ मिलाया है। तदनुसार, आईजीएनएफ़ए, देहरादून में 18 और 19 फरवरी 2019 को दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

4. वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, केलांबक्कम, चेन्नई के विधि स्नातक की पढाई कर रहे अंतिम वर्ष के छात्रों ने 25 फरवरी 2019 को एनबीए का दौरा किया। सलाहकार –वित्त, तकनीकी अधिकारी (लाभ साझाकरण) और तकनीकी अधिकारी (आईपीआर) ने जैव विविधता अधिनियम के प्रावधान पर विस्तृत प्रस्तुति दिया।

5. जैव विविधता नीति और नियम केंद्र - एनबीए ने 14 सितंबर, 2018 को एनबीए, चेन्नई में पहुच और लाभ साझाकरण (एबीएस), बीडी अधिनियम और ई-फ़ाइलिंग प्रोसेस आफ़ एबीएस अप्लीकेशन्स टू द पेटेंट अटार्नी पर एक क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित किया।

6. एनबीए-सेबाल ने राज्य जैव विविधता बोर्ड को एबीएस पर नागोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए एनबीए, चेन्नई में 25 और 26 फरवरी, 2019 को दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें 18 एसबीबी के अधिकारियों ने भाग लिया है। एबीएस पर नागोया प्रोटोकॉल, एनबीएसएपी,, एबीएस के कार्यान्वयन पर अनुभव विशेष रूप से विभिन्न गतिविधियों पर एबीएस प्रावधानों की प्रयोज्यता, शर्तों की परिभाषा जैसे विषयों पर चर्चा की गई। एबीएस दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए ईसी के साथ चर्चा की गई।

अन्य मंत्रालयों / विभागों द्वारा आयोजित बैठकों में एनबीए अधिकारियों की सहभागिता

1. जैव विविधता विविधता अधिनियम के कुछ प्रावधानों को फिर से लागू करने के लिए सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) से प्राप्त चर्चा नोट पर अतिरिक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में 28 मई 2018 को एक बैठक आयोजित की गई थी। , जिसमें सचिव, एनबीए ने भाग लिया है।

2. जीआईजेड- इंडो-जर्मन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के सहयोग से तमिलनाडु जैव विविधता बोर्ड ने मैसर्स इरुला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से सांप के जहर पर पहुंच संबंधी अनुपालन और आवेदन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए एक 24 अक्टूबर, 2018 को बीडी अधिनियम के तहत कांचीपुरम, टीबीजीपी, चेन्नई में बैठक आयोजित की, जिसमें तकनीकी अधिकारी (लाभ साझाकरण), एनबीए ने भाग लिया है।

3. जीआईजेड ने 19 दिसंबर, 2018 को नागपुर में महाराष्ट्र एसबीबी के जिला स्तर के नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त वन विभाग के अधिकारियों के लिए एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप का आयोजन किया है, जिसमें तकनीकी अधिकारी (बीएस), एनबीए ने "लीगलिटीज आफ़ बीएमसी, पीबीआर-लिंक्ड टू एबीएस" पर बीडी अधिनियम के अंतर्गत व्याख्यान दिया।

4. जीआईजेड परियोजना ने एनबीए, चेन्नई में 14 फरवरी, 2019 को वकीलों, उद्योगों, वैज्ञानिक, शोधकर्ताओं जैसे विभिन्न हितधारकों के लिए "एबीएस अनुप्रयोगों के ई-फाइलिंग" पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में, तकनीकी अधिकारी (बेनिफिट शेयरिंग), एनबीए ने एबीएस अनुप्रयोगों के ई-फिलिंग के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने एबीएस प्रावधानों, विभिन्न गतिविधियों पर बीडी अधिनियम की प्रयोज्यता, छूट आदि पर प्रकाश डाला और साथ ही साथ प्रतिभागियों द्वारा प्रसारित मुद्दों को स्पष्ट किया।

5. डॉ. निमुरा सातोशी, प्रबंध निदेशक, निमुरा जेनेटिक सॉल्यूशंस कं, लिमिटेड, जापान और डॉ. आयुमीओनुमा, प्रोफेसर, पर्यावरण अर्थशास्त्र, कीओ विश्वविद्यालय, जापान ने 30.10.2018 को भारत में पहुँच और लाभ साझाकरण के कार्यान्वयन से संबंधित विषय पर चर्चा के लिये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), चेन्नई का दौरा किया। एनबीए के अधिकारियों ने चर्चा बैठक में भाग लिया।

6. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज (NIRD & PR), ग्रामीण विकास और पंचायती राज में उत्कृष्टता का एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है, जो प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श की गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण विकास पदाधिकारियों, पीआरआई के चुने हुए प्रतिनिधियों, बैंकरों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के अंतर-संबंधित माध्यम से क्षमता निर्माण करता है। सेबाल परियोजना के तहत, एनबीए-सेबाल ने एनआईआरडी के साथ हाथ मिलाया है, जो सामान्य रूप से जैव विविधता शासन पर मास्टर प्रशिक्षकों / पीआरआई के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम की एक श्रृंखला आयोजित करने की गतिविधि के लिए है और विशेष रूप से बीएमसी के गठन और पीबीआर के प्रलेखन के लिये है। इसकी ओर, 24 जुलाई, 2018 को सेबाल और एनआईआरडी की ओर से एनबीए के बीच एक ज्ञापन निष्पादित किया गया। एमओयू में एनआईआरडी में मास्टर ट्रेनर / पीआरआई के प्रशिक्षकों / प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए चार (4) प्रशिक्षण कार्यक्रम (एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम और तीन क्षेत्रीय कार्यक्रम)हो सकते हैं। । तदनुसार, एनआईआरडी ने देश भर में चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

   - हैदराबाद में नवंबर 2018 में पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम
   - गुवाहाटी में दिसंबर 2018 में दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम
   - शिमला में मार्च 2019 के पहले सप्ताह में तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम
   - पुणे में मार्च 2019 के दूसरे सप्ताह में चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं, एसबीबी, बीएमसी, वन विभागों, ग्रामीण विकास, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों जैसे विभिन्न लाइन विभागों के लगभग 300 प्रतिनिधियों और विभिन्न राज्यों के एनजीओ ने भाग लिया था और उन्हें बीडी अधिनियम और बीएमसी / पीबीआर के प्रावधानों के साथ प्रशिक्षित किया गया. इसके अलावा, सभी एसबीबी कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं और विशेष रूप से, उन्होंने बीएमसी गतिविधियों, जैव विविधता विरासत स्थलों, संस्थानों जो जैव विविधता से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए प्रतिभागियों के लिए फील्ड विजिट / एक्सपोजर की व्यवस्था की है। कार्यक्रम को प्रतिभागियों द्वारा अच्छी तरह से समझ लिया गया था।

अनुलग्नक 7

सिटीजन चार्टर

1.1 एक नजर

भारत की समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग और लोगों की भागीदारी के साथ संबंधित ज्ञान, वर्तमान और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए लाभ के बंटवारे की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना।

1.2 मिशन

जैव विविधता के संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और जैविक विविधता नियम, 2004 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

1.3 शासनादेश

भारत के जैव संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों की पुष्टि करें और जैव संसाधनों और / या संबंधित ज्ञान के दुरुपयोग को रोकने में योगदान दें।

जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा, इसके घटकों के स्थायी उपयोग और लाभों के समान बंटवारे से संबंधित नीति और सहायता प्रदान करना।

जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए दिशा-निर्देशों, विस्तार सामग्री के निर्माण और हितधारकों तक पहुंचने के लिए गतिविधियों को विनियमित करना और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार उचित और समान लाभ साझा करना सुनिश्चित करना।

अन्य देशों के व्यक्तियों या भारत के किसी भी जैविक संसाधनों या भारतीय मूल के ऐसे जैविक संसाधनों से जुड़े ज्ञान को बौद्धिक संपदा अधिकार देने का विरोध करने के लिए उपाय करना।

राज्य सरकारों को उनके क्षेत्र विशिष्ट जैव विविधता से संबंधित सलाह देना, और विरासत स्थलों को सूचित करना और उनके प्रबंधन और स्थायी उपयोग के लिए उपाय भी सुझाना।

अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पीपुल्स जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करने के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) को मार्गदर्शन, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक अन्य कार्यों को करना।

1.4 हितधारक

जैव विविधता एक विविध विषय है जिसमें जैविक विविधता में विविध गतिविधियों, पहलों और हितधारकों को शामिल किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, पंचायत राज संस्थान और नागरिक समाज संगठन, उद्योग, गैर सरकारी संगठन, अनुसंधान और विकास संस्थान, विश्वविद्यालय और सार्वजनिक बड़े पैमाने पर शामिल हैं।

1.4 पेशकश की गई सेवाएं

जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग से संबंधित संवर्धन। राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियों, प्रायोजकों के अध्ययन और अनुकूली / परिचालन जांच और तकनीकी दिशानिर्देश एवं यथावश्यक रूप से अध्ययन की कमीशनिंग में आवश्यक अनुसंधान।

जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के लाभों के न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह दें। भारत में होने वाले जैविक संसाधनों तक पहुँचने या संबंधित ज्ञान के लिए अनुदान को मंजूरी देना, अनुसंधान के परिणामों को स्थानांतरित करने के लिए, बौद्धिक संपदा अधिकार की मांग करना, अनुसंधान के लिए या व्यावसायिक उपयोग के लिए या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए पहुँच वाले जैव-संसाधन का तीसरा पक्ष हस्तांतरण।

सभी हितधारकों द्वारा जैव-संसाधन तक पहुंच को सुगम बनाना और पारदर्शी तरीके से जैव विविधता के उपयोगकर्ताओं और संरक्षकों के बीच समान लाभ साझा करना सुनिश्चित करना।

1.6 शिकायत निवारण तंत्र

प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, लोक शिकायतों के निवारण के लिए नामित अधिकारी है। कोई भी शिकायत इनको संबोधित की जा सकती है-

प्रशासनिक अधिकारी
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण,
टाइसल बायो पार्क,
5 वीं मंजिल, सीएसआईआर रोड, तारामणि, चेन्नई 600 113.
फोन: 044-22542777, 1075; एक्स्टेंसह्न: 27
फैक्स: 044-22541200
ई-मेल: admn@nba.inc.in

1.7 नागरिकों / ग्राहकों से उम्मीदें

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का पालन करना और इसके तहत बनाए गए नियमों को लागू करना और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की भावना को बढ़ावा देना और प्रकृति के नियमों के प्रति सम्मान और एनबीए और एसबीबी द्वारा मानव जाति के समग्र हित में उपरोक्त गतिविधियों को पूरा करने के लिए सहयोग प्रदान करना।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग नई दिल्ली 110002

DGA/SD/EA/MoEF/SAR/N.B/2018-19/1247 दिनांक: 04.03.2020

सेवा में,

Dr. V. B. Mathur,
Chairman,
National Biodiversity Authority,
5th Floor, TICEL Bio Park,
CSIR, Road, Taramani,
Chennai - 600 113

विषय: **SAR on the accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year 2018-19**

महोदय,

मुझे वर्ष 2018-19 के लिए National Biodiversity Authority, Chennai का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया/अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा ज़ारी किया गया रेज़ोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद में प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियाँ इस कार्यालय तथा दो प्रतियाँ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाए। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियाँ भी इस कार्यालय को सूचित की जाए।

भवदीया,
आर.अ.
उप निदेशक (पर्या.ले.)

संलग्नक:– पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year ended 31 March 2019.

1. We have audited the attached Balance Sheet of National Biodiversity Authority, Chennai as at 31 March 2019 and Income & Expenditure Account / Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 29(2) of Biological Diversity Act. These financial statements are the responsibility of the National Biodiversity Authority, Chennai. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc., Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that

i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India, Ministry of Finance.

iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Biodiversity Authority, Chennai as

required under Section 29(2) of the Biological Diversity Act, in so far as it appears from our examination of such books.

iv) Based on our audit, we further report that

A. Balance Sheet

A.1. Liabilities-

1.1 National Bio-Diversity Fund- Schedule 3 Rs. 10565.34 lakh

1. An amount of Rs.10565.34 lakh was shown as closing balance of National Bio-Diversity Fund Rule 20(9) of Biological Diversity Rules provided for earmarking of 5 percent of the amount accumulated in the fund towards administrative and service charges. The amount however was not worked out and transferred from Fund Accounts to Authority Accounts due to non-receipt of clarifications raised on the issue. Pending final transfer of amount, the Authority did not make provisions to reflect this liability on fund accounts. Rs.528.27 lakh (5 per cent of Rs. 10565.34) was not reflected in Authority Account.

2. Assets

2.1 Fixed Assets – Rs. 28.98 lakh

NBA placed an order on National Informatics Centre Services Inc. in January 2016 at a total cost of Rs.35.34 lakh for development of On-line web enabled software for on-line submission of applications. The total cost was payable to the firm in instalments. NBA, so far paid an amount of Rs.32.79 lakh in two instalments to the firm. The amount however was not reflected as "work in progress in Schedule-8 – Fixed Assets". This resulted in understatement of work in progress and overstatement of revenue expenditure to the extent of Rs.32.79 lakh.

B. Income and Expenditure Account

1. Income

1.1 Income Account – Rs. 2072.73 Lakh

The amount of interest earned out of deposits made out of government grants is required to be added to grants and shown under liability as amount refundable to government. The entries to this effects are required to be carried out under 'Current liabilities. It was however observed that NBA depicted an amount of Rs.21.08 lakh being interest earned out on deposit made out of grants as income under Income and Expenditure Account and not shown Current liabilities. This resulted in overstatement of income and understatement of Current liabilities.

C) Grant-in-aid

During the year 2018-19, NBA received Grant-in-aid of Rs.20.03crore. This included unspent balance of Rs.1.53crore revalidated from previous year and out of total available funds of Rs.20.03crore. NBA could utilize a sum of Rs.18.60 crore leaving a balance of Rs.1.43crore as on March 2019.

D) Management letter

Deficiencies which have not been included in the Draft Separate Audit Report have been brought to the notice of the National Biodiversity Authority through Annexure I and II for remedial/corrective action.

vi) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure I to this Separate Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Biodiversity Authority, Chennai as at 31st March 2019 and

b. In so far as it relates Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

Place: New Delhi

of India

For and on behalf of the C&AG

Date: 04.03.2020

Director General of Audit (SD)

Annexure-I to Draft Separate Audit Report

1. Adequacy of Internal Audit.

Internal Audit of NBA was conducted initially for the period from 2003-04 to 2008-09. The report for this period contained 21 paras and all 21 paras are still outstanding. Further, the internal audit was conducted for the period from 2012-13 to 2016-17in the year 2018 and the report for this period was not received by NBA. The intervening period between 2009-10 to 2011-12 remained unaudited. The irregular conduct of audit, non-furnishing of report to NBA and non-furnishing of feedback after scrutiny of replies showed that internal audit was not effective.

2. Adequacy of Internal Control System

The Internal Control System is not adequate as audit found following deficiencies

- NBA prepared draft scheme / guidelines for engagement of consultants. The scheme though approved in principle by the Authority, impressed upon NBA to resubmit the guidelines after studying existing scenario in various ministries and autonomous bodies for making conscious decision. The revised scheme / guidelines, for engaging consultants however was not submitted and final approval of the authority was not obtained. Thus there is no approved guidelines in place at present. NBA, however engaged consultants and incurred expenditure of Rs.63.92 lakh during 2018-19
- The Management Information System (MIS) was not put in place
- Following Control Register are not maintained.
  - i) Contract Register
  - ii) Expenditure Control Register

3. System of Physical Verification of Fixed assets

NBA though conducted Physical verification of fixed assets, procedure enumerated in GFR was not followed. It was merely certified that "verification was conducted with satisfactory result". The physical presence of every assets and its satisfactory functioning was not recorded. The items that become obsolete, unrepairable, idle were not identified and listed out. Thus, the exercise was not conducted as enumerated in the GFR. As a result, audit could not ensure the correctness of value of assets and satisfactory functioning of assets shown in the account records.

4. System of physical verification of inventory

Physical verification of inventory was carried out for the year 2018-19.

5. Regularity in payment of statutory dues

Test check revealed no outstanding statutory dues with NBA as of March 2019.

Dy. Director (EA)

सत्यमेव जयते

महानिदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग
ए.जी.सी.आर. भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-110002
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
SCIENTIFIC DEPARTMENTS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110 002

सुनील दाढे, भा.ले.प.ले.से
SUNIL DADHE, IAAS

D.O. No. DGA/SD/EA/MoEF&CC /SAR/NBA-Chennai /2019-20/ 1250
Dated : 04.03.2020

Dear Dr. Mathur,

We have audited the annual accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year 2018-19 and have issued the Audit Report thereon vide letter dated 04.03.2020.During the course of audit, some deficiencies were noticed as per annexure- A which are of a relatively minor nature and were, therefore, not included in the audit report. These are being brought to your notice for remedial and corrective action.

With regards,

Yours sincerely,

04 III 2020

Encl : As above

Dr. V. B. Mathur,
Chairman,
National Biodiversity Authority,
5th Floor, TICEL Bio Park,
CSIR, Road, Taramani,
Chennai - 600 113

दूरभाष / Phone : +91-11-23403652, 23403650 फैक्स / Fax : +91-11-23702353

Annexure to Management Letter

1. **Liabilities**

The above Fund Account showed an amount of Rs.120.62 lakh as interest accrued on fixed deposits. The amount of interest accrued as per bankers' certificate, however, was Rs.120.97 lakh. Audit check revealed that an amount of Rs.0.35 lakh being the amount of interest earned out of deposit of Rs.7.01 lakh made in the bank was omitted to be included. This led to understatement of interest accrued in Schedule-3. The current assets in the balance sheet was also understated to the extent of Rs.0.35 lakh.

2. **Expenditure Account:** An amount of Rs.348.24 lakh was booked as salaries. This included remuneration of Contract staff amounting to Rs.176.41 lakh. In addition, an amount of Rs.63.92 lakh which was fee paid to consultant was also booked under salaries.

The amount of Pay and Allowances payable to regular employees borne on rolls of NBA alone are termed as 'Salaries' and therefore expenditure towards meeting salaries of regular employees alone are required to be booked under the object head "Grant-in-Aid Salaries" – Establishment Expenses. NBA, however booked expenditure towards remuneration of contract employees and fee of consultants which are not considered as 'Salaries' amounting to Rs.240.33 lakh under the object head "Grant-in-Aid Salaries".

The omission led to overstatement of 'Object Head-Salaries' and understatement of object head "Grant-in-Aid General".

3. **Income:** NBA received an amount of Rs.8.97 lakh being refund of Income Tax from Income Tax Department. This refund pertained to Income tax deducted by the bankers from the interest amount earned on Authority Account and Fund account. Instead of crediting the amount respectively to fund account and authority account by identifying correct amount of Income tax earlier deducted, NBA depicted the entire amount as other income in the Income and Expenditure Account. This led to overstatement of income to the extent of Rs.8.97 lakh. The cash balance under fund account and authority account is also understated.

4. Payments Account :

The Receipt & Payments account showed closing balance of cash in hand of Rs.50000 whereas Schedule-11- Current Assets showed cash in hand Rs.51380 which included value of postage stamps. As postage stamps in hand is treated as cash not including the value of stamps in closing balance led to understatement of "cash in hand" on the payment side of Receipt & Payments account.

5. Suspense Accounts

The 'Receipt' side of 'Receipts & Payments Account' showed an amount of Rs.1.51 lakh as 'Un-claimed receipts-suspense account'. This amount comprised 6 items and the term 'Suspense Accounts' denoted that the final head under which these items were required to be booked was not determined and the present classification was only temporary. The depiction of amount under the suspense account as 'Receipts' led to overstatement of receipts. As this amount was added to fund account, the fund account also overstated to the extent of Rs.1.51 lakh.

6. Diversion of funds

Ministry of Finance, Department of Expenditure, opened a new object head 'Grants for creation of capital assets'. During 2018-19, NBA received total grants of Rs.20.03 crores under the object head 'Grants-in-aid – General and Grants-in-aid – Salary'. No funds were received under the object head. 'Grants-in-aid – Capital'. NBA, however diverted an amount of Rs.14.20 lakh towards purchase of Assets during the year. This led to diversion of funds from one object head to other without the authority

7. Non accountal of accrued interest on loans & Advances

Current Assets depicted an amount of Rs.1.10 lakh as Loan and Advances recoverable from staff. NBA, however did not workout accrued interest on this outstanding balance and showed as income receivable under Income and Expenditure Account. This resulted in understatement of Current Assets and understatement of income.

8. Asset Register

Balance Sheet depicted various kinds of assets worth Rs.28.99 lakh as of March 2019. NBA, however did not maintain Asset Register in the prescribed proforma the closing balance of which duly tallied with that shown in the balance sheet. Audit therefore could not ensure the correctness of value of assets as shown in the balance sheet.

9. Understatement of Liabilities

NBA did not make provision for Audit Fee, Audit fee being statutory payment, the omission led to understatement of liabilities and understatement of expenditure in Income & Expenditure account

10. Non-receipt of Utilization Certificate

Audit noticed that out of 918 grants amounting to Rs.68.86 crore released during last twelve years to State Biodiversity Boards and other organization for which utilization certificate are due in the year 2018-19, utilization certificates were received only in respect of 754 grants amounting to Rs.45.54 crore. Utilization certificates for 164 grants amounting to Rs.23.32 crore were not received as of March 2019.

11. Non-disclosure of taking over of Assets

The Administrative Ministry (MoEF&CC) in April 2018 communicated in principal approval to NBA for taking over a part of Animal Welfare Board of India (AWBI) premises vacated by them in Chennai. NBA accordingly taken over entire first floor of the building in July 2018. Further, NBA also met all the expenditure towards security, taxes and electricity bill and other maintenance charges. The process of transfer of rights through legal document is under process. Though the portion of building was taken over and expenditure towards taxes and maintenance was incurred, the value of assets was not reflected in the annual accounts. NBA may disclose taking over of the assets in the notes to accounts pending completion of process of entering into legal agreement.

Dy. Director (EA)

Credits for All Natural Photos :

Dr. S. Rajesh Kumar

Design & Printed At :

Aparna Graphic Arts

Chennai - 600 002.

Mob: 9841011751, 9941011317

एनबीए के बारे में

भारत के जैविक विविधता अधिनियम (2002) को लागू करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की स्थापना 2003 में की गई थी। एनबीए एक सांविधिक निकाय है और यह भारत सरकार के संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के मुद्दे पर भारत सरकार के लिए सुविधा, विनियामक और सलाहकार रूपी कार्य करता है।

जैव विविधता संरक्षण अधिनियम (2002) एनबीए के साथ विकेन्द्रीकृत प्रणाली के माध्यम से अधिनियम के कार्यान्वयन को अनिवार्य करता है, जिसमें जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक के उपयोग से उत्पन्न लाभों के समान बंटवारे से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और राज्य सरकारों को जैव विविधता के क्षेत्रों के चयन के लिए धारा 37 की उप-धारा (1) के तहत धरोहर स्थलों के रूप में अधिसूचित करने और ऐसे धरोहर स्थलों के प्रबंधन के उपाय करने की सलाह दी गई है।

राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी), केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशा-निर्देश के अधीन, राज्य सरकारों को जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के समान साझा करने से संबंधित मामलों पर सलाह देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

एसबीबी भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए अनुमोदन प्रदान करने या अन्यथा अनुरोधों को भी विनियमित करता है। स्थानीय स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (बीएमसी) पर्यावरण संरक्षण, स्थायी उपयोग और जैविक विविधता के दस्तावेजीकरण के लिए ज़िम्मेदार हैं, जिसमें जैविक विविधता हेतु निवासों का संरक्षण, लैंड रेस, लोक किस्मों और खेती, घरेलू स्टॉक और नस्लों एवं जानवरों और सूक्ष्मजीवों का प्रजनन और ज्ञान शामिल है।

एनबीए, जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है, एक ऐसी संरचना के माध्यम से अपना जनादेश देता है, जिसमें प्राधिकरण, सचिवालय, एसबीबी, बीएमसी और विशेषज्ञ समितियां शामिल हैं। एनबीए ने, अपनी स्थापना के बाद से, 29 राज्यों में एसबीबी के सृजन का समर्थन किया है और स्थानीय स्तर पर 144371 बीएमसी की स्थापना की सुविधा प्रदान किया है।

National Biodiversity Authority

5th Floor, TICEL Bio Park,
CSIR Road, Taramani, Chennai - 600 113
Tel: +91-44-2254 1805 I Fax: +91-44-2254 1073

e-mail: chairman@nba.nic.in

www.nbaindia.org